खण्ड-257, अंक-5
सोमवार, 6 वैशाख, शक संवत् 1887
(26 अप्रैल, 1965 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 257 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय सूची


| विषय | पृष्ठ–संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | ४९९–५०३ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. .. | ५०३–५३४ |
| सदन के भावी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी .. .. | ५३४ |
| उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (१९६४–६५) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) .. | ५३४–५३५ |
| विधान परिषद् के तीन सदस्यों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना .. .. .. .. | ५३५–५३७ |
| अलीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा हिंसात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (निर्णय स्थगित) .. .. | ५३७–५४२ |
| राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ के छात्रों को डिप्लोमा न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना .. .. | ५४३ |
| नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध में जानकारी .. .. | ५४३ |
| चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर सदन में विचार करने की मांग .. | ५४४ |
| उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९६५ (मेज पर रखा गया) .. | ५४५ |
| विविध जानकारी .. .. .. .. | ५४५ |
| कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५ (खण्डशः विचार जारी) .. | ५४५–५९५ |
| नत्थियां .. .. .. .. .. | ५९६–६२३ |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

सोमवार, २६ अप्रैल, १९६५

---

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

---

## उपस्थित सदस्य—३६९

अक्षयवर्सिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
ए० सी० ग्राहस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गणेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री

झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री

पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
वंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिय, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (मल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री

रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री

श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे।

---

# प्रश्नोत्तर

---

## सोमवार, २६ अप्रैल, १९६५

---

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

### महापालिकाओं में नगर प्रमुखों का चुनाव

*१—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद), तथा श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) आदि—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य की महापालिकाओं के नगर प्रमुखों (मेयर) का कार्यकाल अप्रैल, १९६५ म समाप्त हो रहा है? यदि हां, तो उनका कार्यकाल समाप्त होने पर क्या नगर प्रमुखों के चुनाव होंगे? यदि हां, तो कब?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

कानपुर इलाहाबाद, लखनऊ तथा वाराणसी के नगर प्रमुखों का कार्यकाल ३०-४-६५ को तथा आगरा नगर प्रमुख का कार्यकाल ३०-६-६५ को समाप्त होगा। उक्त नगर प्रमुखों का वार्षिक निर्वाचन नियत दिनांक तक कराया जायगा।

श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब प्रमुख का कार्यकाल १ साल का है और आप जनवरी में नये चुनाव कराने जा रहे हैं तथा नये चुनावों के लिये नये मेयर चुने जायेंगे या यही मेयर बने रहेंगे या अधिनियम में संशोधन करके नये चुनाव करायें जायेंगे?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

जब नयी नगर महापालिका आ जायगी तो नये मेयर चुने जायेंगे। ये तो इसी काल के लिये है जब तक की अवधि बढ़ी हुई है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमकिता दिये गये तारांकित प्रश्न]

## सहारनपुर नगरपालिकाध्यक्ष के विरुद्ध आरोप

*१—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगरपालिका के अध्यक्ष ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुये जैसा कि उन्हें २५० रु० तक के बिल पास करने का बिना बोर्ड की मंजूरी के अधिकार हैं, हजारों रुपये की एक-एक मद के भिन्न भिन्न बिल ढाई-ढाई सौ के बना-बना कर स्वंय दिनांक १ जनवरी, १९६४ से ३० नवम्बर, १९६४ तक पास किये हैं ? यदि हां, तो पूर्ण सूची महीनेवार क्या है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां, यह कहना कुछ हद तक सत्य है। १ जनवरी, १९६४ से ३० नवम्बर, १९६४ की अवधि में पालिकाध्यक्ष ने जिन मदों का बिल अपने हस्ताक्षर से पास किया है उनकी महीनेवार सूची में १७२ मदें हैं परन्तु इनमें से केवल ६ ऐसी मदें हैं जिन्हे विभाजित करके अध्यक्ष ने बिल पास किये हैं। उक्प विभाजित मदों की महीनेवार सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५९६ पर)

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि २-११-६४ को जो मीटिंग पुराने बोर्ड की हुई, उसकी कार्यवाही आज तक जिलाधीश को नहीं भेजी गयी है, क्या इस प्रकार की और भी पचासों मदें हैं जिनको बढ़ा दिया गया है ? इसके अतिरिक्त और भी ऐसी मीटिंग्स की सूचना क्या माननीय मंत्री जी को है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

आपके प्रश्न का पहला हिस्सा तो सही है कि २-११-६४ की मीटिंग की कार्यवाही अभी तक जिला मैजिस्ट्रेट को नहीं भेजी गयी है। प्रश्न के दूसरे हिस्से के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मेरी वह शिकायत कि २-१-६४ की कार्यवाही जिलाधीश को नहीं भेजी गयी, उसकी जांच आपने मेरठ कमिश्नर को सुपुर्द कर दी है तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच भी मेरठ कमिश्नर से करायेंगे कि ६ मदें ही नहीं सैकड़ों मदें हैं जिनमें करीब डेढ़ लाख रुपये का हेर-फेर नगरपालिकाध्यक्ष ने किया है, अपनी मर्जी से २५०-२५० रुपये की रकम को खर्च कर के....

श्रीमती तारा अग्रवाल—

पहली बात तो मंत्री जी ने बता दी लेकिन जहां तक माननीय सदस्य का यह कथन है कि अध्यक्ष ने विभाजित करके व्यय किया तो उसके विषय में माननीय सदस्य को यह भी मालूम होना चाहिये कि ऐक्ट की धारा में २५० रुपया खर्च करने का अधिकार है लेकिन उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि वह विभाजित करके अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिये इस विषय में कानूनी विभाग से सलाह ली जा रही है और जो उचित कार्यवाही होगी वह की जायगी।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

जैसा कि सहारनपुर नगरपालिका के सम्बन्ध में बताया गया कि अध्यक्ष ने टुकड़े करके पेमेंन्ट किया और ऐसी घटनायें नगरपालिकाओं में अक्सर होती हैं तो क्या मंत्री जी ऐसे कोई आदेश देंगे कि अध्यक्ष इस तरह से बड़े बिलों के टुकड़े कर किसी हालत में भी उन को पास न करें ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इसकी जांच की जायगी और अगर ऐसा है तो उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री लखपतराम शर्मा—

मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि ६ मदों में २५०-२५० रुपया खर्च हुआ क्या कानून की मन्शा है कि कोई भी अध्यक्ष अगर २५० से अधिक खर्च करे तो पहले बोर्ड से पास करा ले लेकिन अगर वह स्वयं पास करता है तो वह अवैधानिक है, अगर अवैधानिक है तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

उत्तर तो दिया गया कि इन्हीं सब शिकायतों के आधार पर सरकार द्वारा २२ अप्रैल को नगरपालिका सहारनपुर की जांच के लिये आदेश जारी हो गये हैं ।

[२६ अप्रैल, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

## त्रिवेदीगंज ब्लाक में पशु चिकित्सालय

*१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक त्रिवेदीगंज, हैदरगढ़, जिला बाराबंकी में किन-किन जगहों पर पशु-चिकित्सालय खोलने का निश्चय किया गया है और यह कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे ?

कृषि उप-मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

त्रिवेदीगंज ब्लाक के मजरे हसुवांपुर जो ग्राम खेरा कनकु का एक भाग है तथा हैदरगढ़ ब्लाक में ग्राम फतेहगंज एवम् ग्राम कबूलपुर (लाही) में एक-एक पशु चिकित्सालय खोलने का निश्चय किया गया है । इस समय से पशु चिकित्सालय किराये के भवनों में स्थापित किये जा रहे हैं और आशा है कि ये शीघ्र ही कार्य करना आरम्भ कर देंगे ।

*२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त चिकित्सालयों के निर्माण पर अलग-अलग कितना धन व्यय किया जायगा और यह भवन कब तक बन जाने की आशा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उपरोक्त प्रत्येक पशु चिकित्सालय के निर्माण के लिये ५६,००० रु० का व्यय होना प्रस्तावित है । सम्भवतः ये भवन निर्माण कार्य आरम्भ होने के एक वर्ष के अन्दर बन जावेंगे ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या इस औषधालय में डाक्टरों की नियुक्ति हो गई है और चिकित्सा के अलावा और क्या काम उनके द्वारा किये जायेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

जहां तक इन औषधालयों में पशु-चिकित्सकों को भेजने का सवाल है वह आदेश जारी किये जा रहे हैं और इन चिकित्सालयों का काम है पशु-चिकित्सा और एक योजना जो क्रैश प्रोग्राम की आरम्भ की जा रही है उसमें चारे के उत्पादन की योजना है और पशुपालन की भी है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

यह जो ५६ हजार रुपये की एक प्रोजेक्ट पर व्यय करने की योजना है क्या उसकी स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में दे दी गई है और उस पर कब तक काम आरम्भ हो जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

अभी प्लान इस्टीमेट्स तैयार हो रहे हैं, जैसे ही वह तैयार हो जायेंगे वैसे ही सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

पशु चिकित्सालयों पर आप जो व्यय करते हैं उसकी वसूली आप कर लेते हैं तो यह देखते हुये कि वह रुपया गरीब किसानों से सम्बन्धित है, क्या आप उसको छोड़ देंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

## कारागार से बाहर काम करने वाले बन्दी

*३---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जेल से बाहर कार्य करने वाले कैदियों की १९६२-६३, १९६३-६४ की संख्या क्या थी, उनमें कितने भाग गये और कितने पुनः पकड़ कर जेल में आये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५९७ पर)

*४---श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन कैदियों ने जेल से बाहर आकर काम किया उनको बाहर काम करने की मजदूरी दी गई ? यदि हां, तो किस हिसाब से ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

बाहर काम करने वाले बंदियों में से केवल २२९४ को १९६२-६३ में तथा २३२५ को १९६४-६५ में मजदूरी दी गई जिसका ब्यौरा संलग्न तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५९७ पर)

## मुगलसराय नगरपालिका से निर्वाचक सूची के सम्बन्ध में शिकायत

*५---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, मुगलसराय, जिला वाराणसी के नागरिकों की ओर से दिनांक २३ सितम्बर, १९६४ का भेजा हुआ कोई प्रार्थना-पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ है कि जिसमें निर्वाचक सूची में अनुचित ढंग से परिवर्तन करने की शिकायत की गई है और उसकी प्रतिलिपि उनके अतिरिक्त अन्य अधिकारियों के पास दी गई है यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री चतुभुज शर्मा---

एक नागरिक की ओर से भेजा हुआ इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी को जांच के लिये भेजा गया । जांच करने पर आरोप निराधार पाये गये ।

*६-७---श्री मुमताज मुहम्मद खाँ (जिला बुलन्दशहर)---

[९वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

## स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ की मांगें

*८---श्री बालोजी अग्रवाल---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ की ओर से कोई स्मृति-पत्र तथा उनके दिनांक ३१ जनवरी, १९६५ के वार्षिक अधिवेशन के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

प्रथम भाग ।

जी हां ।

द्वितीय भाग ।

चूंकि शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये द्वितीय वेतन समिति नियुक्त करने का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है इसलिये इस पर अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

*९---श्री बालोजी अग्रवाल---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६४-६५ में किस-किस महापालिका ने अपने कर्मचारियों का कितना-कितना महंगाई भत्ता बढ़ाया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

वांछित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५९८ पर)

*१०---श्री बालोजी अग्रवाल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वायत्त शासन मंत्री के कर्मचारियों के लिये सरकार द्वितीय वेतन आयोग कब नियुक्त कर रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जैसा कि प्रश्न संख्या ८ के उत्तर में बताया गया है प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है ।

श्री बालोजी अग्रवाल---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले साल से १९६४-६५ में इसी माननीय सदन में यह उत्तर दिया गया था कि स्वायत्त शासन संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये द्वितीय वेतन आयोग की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है लेकिन मान्यवर गत डेढ़ साल से यही उत्तर दिया जाता है और आज भी वही उत्तर दिया जा रहा है तो क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट बताने की कृपा करेंगे कि यह वेतन आयोग कब तक बैठ जायेगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

सन् १९६४ में इसकी घोषणा अवश्य की गयी थी लेकिन यह प्रश्न वित्त से संबंधित था अतः वित्त विभाग में काफी समय लग गया है । अब वह मंत्रिपरिषद् के विचाराधीन है और आशा है कि शीघ्र ही निर्णय हो जायगा ।

श्री बालोजी अग्रवाल—

मान्यवर, कानपुर महापालिका में ७ रु० और ११ रु० इलाहाबाद में कुछ नहीं बढ़ाया है, वाराणसी में १० व ५ रुपये मंहगाई भत्ते में कर्मचारियों के बढ़ाये गये है । मान्यवर, अभी तक तो प्रांतीय सरकार के कर्मचारियों और महापालिकाओं के मंहगाई भत्ते में ही असमानता थी परन्तु यह असमानता अब हर महापालिका के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में हो गयी है ? क्या सरकार सभी महापालिकाओं को यह आदेश देने की कृपा करेगी कि कानपुर की नगर-पालिका में जो मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है वही सब महापालिकाओं के कर्मचारियों को दिया जाय ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

स्थानीय निकायों की अपनी-अपनी आर्थिक स्थिति होती है । जैसी उनकी आर्थिक स्थिति होती है वैसे-वैसे वे खर्च करते हैं । जिनकी स्थिति अच्छी थी, उन्होंने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है । सरकार आदेश द्वारा इस महंगाई भत्ते को नहीं बढ़वा सकती है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह वित्तीय विभाग को कब स्वीकृति के लिये भेज दी गयी थी और वे कागजात कब आये हैं । यह भी माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि उस पर कब तक विचार पूरा हो जायेगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

लगातार विचार हो रहा है और जैसे ही विचार का निष्कर्ष निकलेगा, आदेश हो जायेंगे ।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी उन महापालिकाओं को, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और जो अपने कर्मचारियों को उतना महंगाई भत्ता नहीं दे सकती विशेषरूप से सहायता देने की कृपा करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

सरकार जो सहायता देती है, वह सब को एक दृष्टि से ही देती है । महापालिका के अपने भी रिसोर्सेज होते हैं । जिन्होंने अपने रिसोर्सेज को बढ़ा लिया है उन्होंने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है ।

श्री बालोजी अग्रवाल—

आगरा महापालिका ने २६ जुलाई को प्रस्ताव पास किया कि ४५० रुपये वेतन पाने वाले उसके कर्मचारियों को ५ रुपये मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया जाय और उसी प्रकार कानपुर नगर-महापालिका ने भी ४५० रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ५ रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया जिसे कि सरकार ने स्वीकार कर लिया लेकिन आगरा महापालिका के उस प्रस्ताव को स्वीकृति न दे कर केवल १५० रुपये तक वेतन पाने वालों को ही ५ रुपये महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृत दी, तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह जो आगरा नगरमहापालिका ने ५ रुपया बढ़ाने के लिये स्वीकृति मांगी थी वह उनको दे दी गयी और उसके मुताबिक वह सितम्बर, ६४ से भुगतान भी कर रहे हैं । आगरा महापालिका ने दूसरे प्रस्ताव द्वारा १५ रुपये महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव किया था किन्तु साथ ही साथ सरकार से ऋण भी मांगा था जिसकी वजह से सरकार ने उसे अस्वीकृत कर दिया और महापालिका का वह प्रस्ताव पास नहीं हुआ ।

श्री बालोजी अग्रवाल—

मेरा प्रश्न यह था कि कानपुर और आगरा नगर पालिकाओं ने ४५० रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ५ रुपये की वृद्धि के लिये प्रस्ताव पास किये थे और सरकार ने कानपुर नगर-महापालिका के प्रस्ताव को तो स्वीकृति दे दी लेकिन आगरा नगरमहापालिका के कर्मचारियों के लिये केवल १५० रुपये तक वेतन पाने वालों को ही ५ रुपये की वृद्धि स्वीकृत की तो यह भेदभाव क्यों बरता गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इस अन्तर के संबंध में मेरे पास सूचना नहीं है । माननीय सदस्य अगर नोटिस देंगे तो उसको देख लूंगी ।

## महाइच क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दूकानें

*११—श्री राजनारायण सिंह (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाइच विधान सभा नवाचन क्षेत्र, चन्दौली में कितनी अदालत पंचायतों में सरकारी गल्ले की दूकानें हैं और वे दूकानें किन-किन लोगों को दी गई ह ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

सभी अदालत पंचायतों में सरकारी गल्ले की दूकानें हैं । जिन-जिन लोगों को दूकानें दी गई हैं उनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५९९ पर)

*१२—श्री राजनारायणसिंह (अनुपस्थित)—

क्या यह भी खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन न्याय ५ पंचायतों में सरकारी राशन की दूकानें नहीं हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह प्रश्न नहीं उठता ।

## सहारनपुर पालिकाध्यक्ष पर अनियमितता का आरोप

*१३—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २२ अप्रैल, १९६३ की विज्ञप्ति, जो कि उत्तर प्रदेश गजट २३ अप्रैल, १९६३ को नगरपालिका विभाग द्वारा जारी की गई, के अधीन बनाये गये नियमों में नियम ३ के अधीन नगरमहापालिकाओं पर यह प्रतिबन्ध है कि वह २०० रुपये से ऊपर के हर कार्य के लिये टेंडर मंगाये जाने के लिये बाध्य होंगे ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नगरपालिका के लिये इसी प्रकार के प्रतिबन्ध क्यों नहीं है और नगरपालिका, सहारनपुर के अध्यक्ष ने पिछले साल में लाखों रुपये के कार्य बिना बोर्ड की अनुमति तथा बिना टेंडर मंगाये क्यों करायें ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

प्रश्न के तीन भाग हैं। जहां तक पहले भाग का संबंध है उसका उत्तर नकारात्मक है ऐसी स्थिति में दूसरे भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न के अंतिम भाग के संबंध में यह कहना सत्य नहीं है कि पिछले साल पालिकाध्यक्ष लाखों रुपये के कार्य बिना बोर्ड की अनुमति तथा बिना टेंडर मंगाये ही कराये।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट की धारा १९६-बी के मातहत १ लाख रुपये के ऊपर के जितने कार्य होते हैं नगरपालिका के अन्दर उनकी स्वीकृति बोर्ड के बगैर नहीं हो सकती और २०० रुपये के ऊपर का कोई कार्य बगैर टेंडर मंगाये नहीं हो सकता तो क्या सरकार इस बात की भी जांच बाकी जांचों के साथ-साथ कराने को तैयार है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

ऐक्ट की किसी धारा के मातहत क्या-क्या प्राविधान है वह तो माननीय सदस्य ने स्वयं ही बतला दिया और जहां तक सहारनपुर म्युनिसिपल बोर्ड में बिना टेंडर मंगाये हुये गत वर्षों के व्यय की बात कही गयी है उस संबंध में जिलाधीश, सहारनपुर से जो सूचना आई है उसके अनुसार जो प्राविधान में है वही किया गया है और अब तक कोई कार्य बिना टेंडर मंगाये नहीं किया गया है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इसी सदन में पिछले १५ दिन के अन्दर यह बतलाया गया था कि १-१०-६४ को बिना किसी टेंडर के मंगाये श्री मगनलाल के ही टेंडर ९१,६०० रुपये का, जिसका एस्टीमेट बतलाया गया १ लाख १६ हजार रुपये का स्वीकृत किया गया ? यदि हां, तो माननीय मंत्री यह जांच कमिश्नर महोदय को देने को तैयार हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जी, हां।

*१४-१५---श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

[१० वें सोमवार के लिए स्थगित किय गये।]

## बांदा जिले में सस्ते अनाज की दूकानें

*१६---श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)---

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा में कितने पंचायती अदालतों में कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गईं और उनको मासिक कितना-कितना गल्ला दिया गया ? अब कितनी-कितनी कहां-कहां की दूकानें बन्द कर दी गईं ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)---

अभीष्ट सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखे विवरण में दर्ज है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६०० पर)

*१७---श्री मतोला सिंह---

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि जिला बांदा में शकर की दूकान कहां-कहां पर हैं और उनका वितरण राशन कार्ड द्वारा होता है या किसी अन्य तरीके पर और वितरण सही तौर

पर होता है ? क्या कभी उसके वितरण की जांच हुई ? यदि हां, तो कहां-कहां की गई और फल क्या निकला ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

फुटकर शक्कर दूकानों की सूची† (क १ से ४) संलग्न है । राशन कार्डों पर शक्कर वितरण बांदा, बबेक, राजापुर, मानिकपुर, मऊरूर्वी (ललितपुर, तरौहा) जरौनी तथा अतर्रा के नगर क्षेत्रों के दुकानों पर ही होता है । ग्रामीण क्षेत्रों की दूकानों पर शक्कर ग्राम प्रधान या, न्याय पंचायत के पंचों द्वारा दिये गये पर्चियों पर होता है । इन दूकानों की जांच बराबर हुआ करती है । जांच उपरांत जिन दूकानों के विरुद्ध कार्यवाही हुई उसकी सूची †(ख१ व २) में निर्दिष्ट है ।

*१८--श्री मतोलासिंह--

क्या खाद्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बिलगांव, तहसील नरैनी की शक्कर की दूकान में उसके सम्बन्धित ग्रामों के शिकायती-पत्र की शक्कर उसके सम्बन्धित ग्राम--जमरेई, जरेवनी आदि ग्रामों को कभी नहीं दी गई--अतएव जमरेई में शक्कर की दूकान खोली जाय ? क्या इसकी कोई जांच की गई है--जब होली का त्योहार करीब आ गया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जी हां । उक्त दुकान निरस्त कर दी गयी है और जमरेही के दूसरे व्यक्ति को एलाट कर दी गयी है ।

श्री मतोलासिंह--

क्या सरकार राशन की दूकानों से देहात तथा शहरों में सभी जगह राशनकार्ड द्वारा राशन देने की व्यवस्था पर विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

श्रीमन्, देहातों में पर्चियों के जरिये राशन के वितरण की व्यवस्था की जाती है । खाद्य समिति यदि चाहे तो कार्ड बना सकती है ।

श्री मतोलासिंह--

श्रीमन्, सही तरीके से वितरण नहीं होता है....

श्री अध्यक्ष--

आप चाहते हैं कि कार्ड बना दिये जायं ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसके लिये सरकार कुछ करने के लिये तैयार नहीं है ।

## मथुरा जिले के वन विभाग अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*१९--श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में कितने सन् १९६४ में प्रार्थना-पत्र वन विभाग अधिकारियों के खिलाफ चोरी से लकड़ी बेचना तथा मवेशियों के चराने पर माहवारी रुपया लेकर रसीद न देकर सरकारी कोष में धन जमा न करना विभाग तथा स्वयं मंत्री जी को मिले हैं और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

---

†छापी नहीं गई ।

*२०--क्या ग्राम कोटवन, नन्दग्राम, कामर खिटावटा व शेरनगर में ऐसी भी जमीन पर वन विभाग ने पत्थर गाड़ कर रोक दिया है जिसमें एक भी पेड़ नहीं लगा है। यदि हां, तो कितनी एकड़ है ?

*२१--क्या ऐसी जमीन को जो कोटवन गांव को आबादी तक है गांव के भूमिहीनों को देने के लिये दुबारा सर्वे करायेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री लखीसिंह--

अध्यक्ष महोदय, एक महीने से ज्यादा हो गया है और अभी तक सूचना एकत्रित नहीं हो पाई है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने किसी प्रार्थना-पत्र पर जांच करने की आज्ञा प्रदान की थी और चोरी से लकड़ी बेचने वाले कुछ कर्मचारी पकड़े गये थे ? उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

अध्यक्ष महोदय, जो प्रार्थना-पत्र या शिकायतें आई थी, वे जांच में गई हुई हैं। जब तक जांच का नतीजा नहीं आ जाता है तब तक कुछ बताना सम्भव नहीं है। इसीलिये कहा गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री लखीसिंह--

अध्यक्ष महोदय यह जांच अगस्त, सितम्बर, १९६४ में हुई है तो क्या जांच का परिणाम अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

श्रीमन्, अगर जांच का नतीजा हमारे पास होता तो हम जरूर सदन को सूचना देते।

## बुन्देलखंड में अनाज की पैदावार

*२२--श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड के जालौन, झांसी, हमीरपुर और बांदा में प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के चार वर्षों में अलग-अलग गेहूं, चना तथा खरीफ की फसलों का कितना लक्ष्य था तथा कितने की प्राप्ति हुई है इसकी ब्योरेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

पैदावार के आंकड़े संलग्न तालिका "क" में दिये गये है। १९६४-६५ के प्राक्कलन के आंकड़े भारत सरकार द्वारा अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। इसलिये गोपनीय है। प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पैदावार के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में जिन फसलो के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनके आंकड़े तालिका "क" में दिये हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ६०१-६०२ पर।)

*२३--श्री विजयसिंह--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि बुन्देलखंड में प्रथम पंचवर्षीय योजना से १९६४ की रबी फसल तक कितना-कितना रासायनिक खाद जिलेवार इस्तेमाल किया गया तथा रासायनिक उर्वरक का तीनों प्लान म कितना लक्ष्य रखा गया था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

विवरण संलग्न तालिका 'ख' में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६०१ पर ।)

*२४—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि दिनांक १ जनवरी, १९६५ से दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६४ तक बुन्देलखंड में कितनी भूमि में प्रतिवर्ष खेती हुई तथा कितना-कितना अन्न (खरीफ व रबी) प्रति वर्ष पैदा हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

आंकड़े फसली वर्ष के लिये एकत्रित किये जाते हैं जो १ जुलाई से आरम्भ होकर ३० जून को समाप्त होता है । आंकड़े तालिका 'ग' में दिये हुए हैं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६०१ पर ।)

श्री विजयसिंह—

श्रीमन्, मंत्री जी ने अभी उत्तर में कहा है कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ । मैं यह जानना चाहता हूं कि निर्धारित न करने का क्या कारण है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित हुए उनसे पैदावार कम होने के मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैंने निवेदन किया है कि किसी ऐसी योजना पर विचार नहीं हुआ है जिससे लक्ष निर्धारित किये जाते । तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित हुये हैं, आपका कहना ठीक है, जो लक्ष्य थे वह सब चीजों में पूरे नहीं हो सके ।

श्री विजय सिंह—

जो यह खाद वितरित की गयी है वह बहुत कम है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर इसका प्रचार अच्छी तरह से नहीं हुआ या सरकार ही पूरी तरह से और अच्छी तरह से वितरित नहीं कर सकी ? इसका क्या कारण है कि खाद कम वितरित हुई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

बुन्देलखंड में सिंचाई के साधनों की कमी है, जैसे-जैसे सिंचाई के साधन बढ़ते जायेंगे उर्वरक प्रचार बढ़ जायगा ।

श्री विजयसिंह—

मंत्री महोदय के पास प्रति वर्ष के आंकड़े जाते हैं कि कितने क्षेत्र में कृषि हुई और उस से कितनी-कितनी पैदावार हुई । बुन्देलखंड में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल तो ५५–५६ से ६०–६१ तक बराबर बढ़ता गया किन्तु फसल की पैदावार बराबर घटती गयी वह नहीं बढ़ी । तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि कृषि का क्षेत्रफल बढ़ने के बावजूद पैदावार कम होती गयी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह तो मौसम की खराबी के कारण हुआ । यह जो उपज कम हुई है वह आपको भी स्पष्ट है और इस सदन की सब माननीय सदस्यों को भी स्पष्ट है ।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

बुन्देलखंड में सिंचाई के साधन कम हैं, किन्तु बुन्देलखंड ऐसी जगह है जो खाद्य के मामले में सरप्लस एरिया है और वहां पर और अधिक अन्न पैदा किया जा सकता है। तो क्या इसे देखते हुये कृषि विभाग का ध्यान इस ओर गया है तथा अधिक खाद्य उत्पादन के लिये यहां पर कोई विशेष योजना बनाई गई है कृषि विभाग की ओर से ? यदि नहीं बनाई गई है, तो उसका क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

कृषि विभाग की यह जो योजनायें हैं वह बुन्देलखंड में भी चल रही हैं, किन्तु कोई बड़ी और विशेष योजना अभी तक इसलिये नहीं बन पायी है कि धन अभाव है। अगर धन की उपलब्धि हो जाये तो निश्चय ही कोई बड़ी योजना वहां के लिये बनाई जा सकती है।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

जिन-जिन स्थानों पर सिंचाई के समुचित साधन नहीं हैं उन स्थानों पर उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिये ऐसे स्थानों पर खाद लेने के लिये किसानों पर जोर क्यों दिया जाता है ? हमारे जिले बांदा में पाठा और तिलहर क्षेत्र में भी यही दशा है कि वहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं लेकिन लोगों पर खाद लेने के लिये जोर डाला जाता है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों पर सिंचाई के साधन नहीं हैं वहां पर खाद देने के लिये जोर न दिया जाये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इस विषय में सरकार यह समझती है कि किसान अपने ही परिश्रम से रहट के कुंए लगायेगा और बन्धियों आदि से अपने लिये सिंचाई का प्रबन्ध कर लेगा। ऐसा सोचकर उर्वरक दी जाती है।

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके पास कोई ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं, जिससे पता चल सके कि जबरदस्ती खाद देने के कारण रहट और बन्धियों की संख्या इतनी बढ़ गई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ?

श्री लखीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी ऐसा कोई सर्वेक्षण करायेंगे कि जहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं और किसानों को जबरदस्ती खाद दे कर कर्जदार बनाया जा रहा है ? तो क्या ऐसे आंकड़े एकत्र करके किसानों को बचाने की कृपा करेंगे कि उनको खाद न दी जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह कहने की आवश्यकता नहीं है किसानों से कि वे उसको न खरीदें।

श्री लखपतराम शर्मा—

बुन्देलखंड में एक आम शिकायत है कि जिन किसानों के पास खेती की जमीन कम है उनको अधिक खाद दी जाती है और उस खाद के प्रयोग का तरीका भी नहीं बताया जाता है और यह भी शिकायत है कि जिन लोगों को सरकार अनुदान देती है उसके बदले में उसको जबरदस्ती खाद दी जाती है और जो खाद नहीं लेता है तो उसको रुपया नहीं दिया जाता है, क्या इस तथ्य की जानकारी सरकार को है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

इसके लिये सूचना की जरूरत होगी ?

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि जिन खेतों में खाद डाली जाती है वहां उतने ही ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी और बुन्देलखंड के इलाके में खाद का वितरण तो बहुत जोरों पर है लेकिन पानी की कमी होने के कारण प्रति एकड़ उपज घटती चली जा रही है ? उस सम्बन्ध में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

हर फसल का उत्पादन वहां कम नहीं है । किसी फसल में अधिक है और किसी में कुछ कम है लेकिन माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह सही नहीं मालूम होता ।

श्री विजयसिंह---

अभी मंत्री जी ने कहा कि खाद के साथ-साथ पानी की आवश्यकता होती है । जो काम कृषि विभाग का है उसको भी सहकारिता विभाग को दे दिया गया है किन्तु सहकारिता विभाग खाद की उपादेयता के विषय में भी किसी को नहीं बताता है । लेकिन कुछ ऐसी खादें ह जैसे यूरिया वगैरह जो बिना पानी के भी खेत में पड़ने पर फसल को बढ़ाती है तो वह असिंचित क्षेत्र के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकती है और जब यह खाद उपलब्ध है तो जहां क्षेत्र असिंचित हैं उन क्षेत्रों में इस खाद को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

यह तो कोआपरेटिव विभाग से आप प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री विजयसिंह---

यह तो कृषि विभाग का काम है, खाद तो वे बांटते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

आप फिर से प्रश्न कर लीजिये ।

श्री विजयसिंह---

मैं यह प्रश्न कर रहा था कि बहुत-सी ऐसी रासायनिक खादें हैं जो बगैर पानी के भी दी जा सकती हैं वह क्यों नहीं दी जाती है ताकि पैदावार आगे बढ़े ?

श्री अध्यक्ष---

मंत्री जी, आपकी समझ में आया ? उनका प्रश्न यह है कि अगर आप कहते हैं कि इस इलाके में पानी न होने की वजह से और सिंचाई के साधन न होने की वजह से विशेष खाद हम नहीं देते हैं तो ऐसी खाद क्यों नहीं दी जाती जो बगैर पानी के इस्तेमाल की जावे और उससे उपज बढ़ सके ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री राजनारायण मिश्र---

क्या माननीय मंत्री जी ने बुन्देलखंड की जमीन का कोई सैम्पुल सर्वे कराया कि किस जमीन के लिये कौन-सी खाद की आवश्यकता है ? जबकि ब्लाक के लिये आर्डर्स हैं कि वह ६० जगहों का सैम्पुल सर्वे कराये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

स्वायल टेस्टिंग का जहां तक सम्बन्ध है वह तो किसान को स्वयं ब्लाक डेलपमेंट आफिसर के द्वारा कराना चाहिये ।

श्री चैतन्यराजसिंह--

मंत्री जी ने बताया कि वहां पर मौसम खराब होने की वजह से पैदावार कम हुई है, तो मैं क्या यह समझूं कि वाटरलागिंग की वजह से कम हुई है ?

श्री अध्यक्ष--

मौसम खराब होने से वाटरलागिंग से क्या सम्बन्ध है ?

श्री चैतन्यराजसिंह--

वहां श्रीमन्, ओला पड़ा नहीं, पाला पड़ा नहीं। और धान की पैदावार बुन्देलखंड में सिंचाई कम होने की वजह से घटती है और वाटर लागिंग की वजह से बढ़ती है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह यूनीफार्म फसल किस मौसम की वजह से खराब हुई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

मैने निवेदन किया कि कभी वर्षा देर में हुई और कभी वर्षा अधिक हुई।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वाटर लागिंग की वजह से दिक्कत हुई या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

मेरी सूचना यह है कि कभी वर्षा देर में आरम्भ हुई और कभी बहुत अधिक वर्षा हुई; इससे फसल पर असर पड़ा और फसल खराब हो गई ।

## एटा जिले में खाद की तकावी

*२५--श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा) (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले में सन् १९५७ व १९५८ की खाद की तकावी हजारों किसानों से जबरदस्ती वसूल की जा रही है जबकि किसानों ने कभी खाद नहीं लिया और न कहीं पुरनोट पर दस्तखत किये न कभी खाद का रुपया लिया, जिससे हजारों किसानों में असन्तोष फैला है ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)--

जी नहीं। वसूली उन किसानों से ही की जा रही है जिन्होंने तकावी पर खाद ली थी और उसका रुपया अभी तक नहीं दिया है।

*२६--श्री गंगाप्रसाद वर्मा--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त किसानों ने जिलाधीश, एटा, को हाल में प्रार्थना-पत्र दिये है कि उनसे झूठा खाद का रुपया लिया जा रहा है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्य-वाही की गई ?

श्री चरणसिंह--

जी हां। इस आशय के १७ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं जिनमें से ४ प्रार्थना-पत्रों के आरोप गलत पाये गये और शेष १३ प्रार्थना पत्रों पर अभी जांच हो रही है।

## बस्ती जिले में सीमेंट वितरण

*२७—श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के तहसीलदारों को यह अधिकार है कि वह मकान बनाने के लिये सीमेंट के परमिट दे सकते हैं तथा दिसम्बर, १९६४ एवं जनवरी, १९६५ में किस-किस तहसीलदार ने कितनी-कितनी सीमेंट के परमिट दिये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं। प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*२८-२९—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

[हटा दिये गये।]

## कीरतपुर में सीमेंट के परमिट की जांच

*३०—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर) तथा श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीमेंट के प्रार्थना-पत्रों पर एम० एल० ए० की सिफारिश जो फूड एडवाइजरी कमेटी का सदस्य होता है, काफी है ? क्या उक्त सिफारिश होने पर भी एक, दो बोरी सीमेंट के लिये पटवारी के पास दरख्वास्त भेजी जा सकती है कि सीमेंट दिया जावे या नहीं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सीमेंट के प्रार्थना-पत्रों पर यथासंभव विधायकों की सिफारिशों का सम्मान किया जाता है लेकिन जब कभी विधायकों को बिना अपनी जानकारी के सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ती है और शंकट उत्पन्न हो जाय तो जांच करने में लाभ ही होता है।

*३१—श्री श्रीराम तथा श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या नगीनाबाद, जिला बिजनौर, के तहसीलदार, नगीनाबाद नगर और कीरतपुर नगर जहां चेयरमैन और सदस्य रहते है उनकी सिफारिशों को न मानकर लेखपाल की रिपोर्ट मांगते हैं क्या यह भी सही है कि सिफारिश की पर्ची जो एम० एल० ए० द्वारा भेजी जाती है वह भी न मान के लेखपाल के पास रिपोर्ट सीमेंट देने के लिये भेजते हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

नजीबाबाद, जिला बिजनौर, के तहसीलदार द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन और सदस्यों की सिफारिशों का यथासंभव सम्मान किया जाता है लेकिन उन केसों में जो बार-बार सीमेंट लेने आते है उनकी जांच गिरदावर कानूनगो द्वारा करा ली जाती है। एम० एल० ए० की सिफारिश की पर्ची का यथासंभव सम्मान किया जाता है। सीमेंट के प्रार्थना-पत्रों को लेखपाल के पास जांच के वास्ते नहीं भेजा जाता है।

श्री श्रीराम—

मेरी सूचना यह है कि कीरतपुर के लेखपाल ने एक वर्ष में तहसीलदार के इशारे पर लगभग २ हजार रुपया पैदा किया सीमेंट दिलाने में और मैंने जब उसकी शिकायत माल मन्त्री जी से की तो माल मन्त्री जी ने उसका तबादला मुरादाबाद जिले की तहसील ठाकुरद्वारा को कर दिया। तो क्या माननीय मन्त्री जी लेखपाल की सिफारिश को न मानकर टाउन एरिया, म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन और मेम्बरों की सिफारिश पर सीमेंट दिलाने के लिये सप्लाई अफसर को लिखेंगे और कीरतपुर के पटवारी का वहां से तबादला करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

मेरी तो यह सूचना है कि नजीबाबाद में वहां के अध्यक्ष को इस बात के लिये कहा गया कि वह अपना सहयोग वितरण के लिये दें और वितरण उनके डिस्पोजल पर रहेगा। तो पहले वह राजी नहीं हुए और बाद में राजी हुये। तो कुछ दिन के बाद उन्होंने इन्कार कर दिया कि मैं इस मामले में नहीं पड़ता। फिर वहां डी० एस० ओ० को इन्तजाम करना पड़ा। जहां तक कीरतपुर का ताल्लुक है, वहां पर नायब तहसीलदार मौके पर जाकर सीमेंट का वितरण करते हैं। एम० एल० ए० की सिफारिश वाला कोई भी पर्चा नामंजूर नहीं किया गया। नगरपालिका के सदस्यों का जहां तक ताल्लुक है जब वह सिफारिश करते हैं तो उसका सम्मान किया जाता है लेकिन एलेक्टेड लोग एक यह दिक्कत महसूस करेंगे कि उनके लिये सिफारिश न करना बड़ा मुश्किल होता है। वह सही या गलत सिफारिश करते ही हैं और इसलिये ऐसे केसेज में जांच करवा लेना ठीक ही होता है।

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर तो राजस्व मंत्री ठीक देते हैं। उनका प्रश्न यह है एम० एल० ए० जो सिफारिश करते हैं उन पर कम विचार किया जाता है, तहसीलदार, पटवारी आदि पर अधिक विश्वास किया जाता है। माननीय सदस्य कहते हैं कि एम० एल० एज० की बात नहीं मानते।

राजस्व मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

मानने वाली बात जरूर मान ली जाती है।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या मंत्री जी बलायेंगे कि उन दरख़्वास्तों के बारे में अधिकारियों को किस प्रकार जानकारी हो जाती है जिनके बारे में एम० एल० ए० जांच नहीं करते और सिफारिश कर देते हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यहां मैं नाम नहीं लेना चाहता, वह उचित नहीं समझता, लेकिन इतना बतला दूं कि बहुत से साहब ने यह बात कही है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या मंत्री जी को पता है कि २० मार्च की सामान्य प्रशासन की बैठक में मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि एम० एल० ए० को सीमेंट आदि के लिये सिफारिशें न हुआ करें? सो क्या वह इस आशय के आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ताकि हम लोग इस अवांछनीय कार्य से बच जायं क्योंकि हमारी जांच के उपरान्त भी उस पर जांच होती है और वह हम लोगों को बुरा लगता है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

आप अपने पर नियंत्रण कर लीजिये, वह सबसे अच्छा रहेगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या मुख्य मंत्री जी ने उसके लिये आदेश दिया था?

श्री अध्यक्ष--

खाद्य मंत्री जी ने बतला दिया है।

श्री लखीसिंह--

श्रीराम जी के प्रश्न का आशय ही मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार से आदेश जारी कराने की कृपा करेंगे कि एम० एल० एज़० को सीमेंट आदि की दरख्वास्तों पर सिफारिश करने कोई हक न होगा?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

बेहतर होगा कि आप नान-आफिशियल वे में कोई रेजोल्यूशन पास कर दें, हम उसका पालन करेंगे ।

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)---

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि परमिट से सीमेंट नहीं मिलती लेकिन ब्लैक में हजारों बोरी मिल जाती है, क्यों ?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया । )

## जिला कृषि अधिकारियों का चुनाव

*३२---श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) तथा श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)---

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ व १९५८ में चुनाव होने के बाद भी लोक सेवा आयोग द्वारा कोई दूसरा चुनाव, जिला कृषि अधिकारी के पद के लिये हुआ है और उन्हें क्लास टू के पद पर रख दिया गया है ? यदि हां, तो क्या १९५७ व १९५८ में जिन लोगों का चुनाव हुआ था और जिनका लिस्ट में नाम था उनकी खपत होने के बाद दूसरे चुनाव वालों को रक्खा गया है या उन्हें छोड़ दिया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

जी हां । सन् १९५७-५८ में चुने गये व्यक्तियों की खपत होने के बाद ही दूसरे चुनाव वालों को रक्खा गया है । सन् ५७-५८ की चुनाव सूची से उन तीन व्यक्तियों का नाम काट दिया गया जिन्होंने अपना कार्यभार बार-बार अनुरोध करने पर भी नहीं ग्रहण किया ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि किन-किन लोगों के नाम काट दिये गये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

उनके नाम हैं---गोपाल शरण विद्यार्थी, जगन्नाथ सिंह और श्यामा प्रसाद शर्मा ।

श्री ऊदल---

पब्लिक सर्विस कमीशन ने १९५७-५८ में जिन लोगों का चुनाव किया था क्या सरकार ने उनके नाम एप्रूव कर दिये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

मैंने निवेदन किया कि उन सभी की नियुक्ति हो गयी है, सिर्फ उन तीन के अलावा जिन्होंने स्वीकार नहीं किया ।

श्री ऊदल---

एक सज्जन हैं श्री सत्यनारायण सिंह जिनका नाम पब्लिक सर्विस कमीशन ने चुना और उनके नाम के लिये सरकार से सिफारिश की, लेकिन आज तक सरकार ने उनका नाम एप्रूव नहीं किया । तो क्या सरकार बतायेगी कि उसने उनके नाम का अभी तक एप्रूवल किया है या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

## उतरौला वन क्षेत्र में नाजायज कटान

*३३—श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा उतरौला रेन्ज वन विभाग दक्खिनी डिवीजन जिला गोंडा में नाजायज कटाव जनवरी सन् १९६४ लगायत जनवरी, १९६५ में हुई है ? यदि हां, तो कितने बूट मिले हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां। जनवरी सन् १९६४ से जनवरी सन् १९६५ के बीच उतरौला रेन्ज, दक्षिण गोंडा वन प्रभाग के सरकारी जंगल में नाजायज कटान अवश्य हुआ जिसमें ४४९८ साखू व कोकाट के बूट मिले।

*३४—श्री नवरंगसिंह—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऊपर लिखे हुये रेन्ज की नाजायज कटान को रोकने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उतरौला रेन्ज में नाजायज कटान की रोकथाम के लिये ५ चौकीदार रात दिन जंगल की गश्त करने के लिये रक्खे गये हैं।

*३५—श्री नवरंगसिंह—

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि क्या उसमें कुछ उच्च अधिकारी का भी हाथ है ? यदि हां, तो किसका ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इस कटान में किसी विभागीय उच्च अधिकारी का हाथ नहीं पाया गया है।

श्री नवरंगसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इन पेड़ों में कोकाट और साखू के पेड़ कितने-कितने हैं तथा उनकी कीमत क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

साखू के पेड़ २२६ हैं, उन की कीमत ७,८०५.५ रुपये है; असना के ३ पेड़ हैं, कीमत ४६.५० रुपये है; महुआ के १५ पेड़ हैं, कीमत १,३४०.०० रुपये है; हल्दू के ३ पेड़ हैं, कीमत १८.०० रुपये है; शीशम का एक पेड़ है, कीमत ८.०० रुपये है; कोकाट के १७ पेड़ हैं, कीमत ११८.०० रुपये है; जामुन वगैरह के २,७१० पेड़ हैं, कीमत ५,९०५.५० रुपये है।

श्री विजयसिंह—

श्रीमन्, इन रेंज की देख-रेख के लिए एक उच्च अधिकारी नियुक्त किया गया था। अब ५ चौकीदार रखे गये हैं। तो जब इन चौकीदारों से काम चल सकता है तो क्या सरकार उस अधिकारी का पद समाप्त करने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अधिकारी सब जगह भ्रमण नहीं कर सकता। इसलिए यह जो ५ चौकीदार रखे गये हैं वे इसलिए रखे गये हैं कि वे उतरौला रेंज की अच्छी तरह देखभाल कर सकें और भविष्य में नाजायज तरीके से पेड़ न कटन पाय।

श्री विजयसिंह---

यह अधिकारी सालभर तक क्या करते रहे जो इनके कटने का पता तक नहीं चल पाया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

इसकी हम जांच कर रहे हैं, इसके लिए जो कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाया जायेगा उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जावगी।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

जो शीशम का पेड़ ८ रुपये में बिका वह क्या जलाने वाली लकड़ी के मतलब का था या इमारती लकड़ी के मतलब का और उसकी डेप्थ क्या थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

उसकी डेप्थ ४ और ८ इन्च के बीच थी ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---

यह नियम है कि जहां पर कटा होता है वहां पर आपके अधिकारियों को दो तीन बार जाना चाहिय, मगर साल भर हो गया, वहां पर कोई अधिकारी, रेंजर या डी० एफ० ओ० वगैरह, गया तक नहीं, क्या सरकार इसकी जांच करायगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

यह वह जंगल नहीं है जहां पर ठेकेदार बाकायदा ठेके पर जंगल को काटते हैं। यह तो नाजायज तरीके से काटे गये हैं। अब इसका पता तो तभी चला जब उन्होंने दौरा किया।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

आपने उत्तर में कहा कि जब दौरा किया तब पकड़ में आये। मैं जानना चाहता हूं कि किस आफिसर ने दौरा किया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

जब ए० सी० एफ० और रेंज आफिसर नें वहां दौरा किया तब पकड़ में आयें और इसका पता चला।

श्री नवरंगसिंह---

जो आफिसर मौके की जांच करने गये, वे सालभर में कितनी बार और कब-कब गये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री लखपतराम शर्मा---

इस क्षेत्र के जो रेंज अधिकारी हैं उनके जिम्मे कुछ हिस्सा रखा गया होगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने क्षेत्र का समय-समय पर दौरा किया या नहीं ? अगर नहीं, तो क्या उनके ऊपर सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

इस सबकी तो अभी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा कि किसकी गलती है, किसने दौरा नहीं किया।

## बुन्देलखंड में अन्न की उपज

३६--सर्वश्री काशीनाथबहादुर पाल (जिला बस्ती) (अनुपस्थित) तथा विजयसिंह आदि--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखण्ड के चारों जिलों में प्रत्येक जिलेवार कितना रकबा है जिसमें दो या तीन फसलें रोटेशन से ली जाती हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

ऐसा कोई क्षेत्रफल विशेष रूप से निर्धारित नहीं किया गया है जिसमें दो या तीन फसलें रोटेशन (Rotation) से ली जाती हैं। फिर भी, पिछले पांच वर्षों के आधार पर झांसी कमिश्नरी में जिलेवार औसत दो फसली क्षेत्रफल के आंकड़े† तालिका 'क' में दिये हुये हैं।

*३७--सर्वश्री काशीनाथबहादुर पाल (अनुपस्थित), तथा विजयसिंह आदि--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बुन्देलखण्ड में चावल पैदा करने वाला रकबा कितना है और गन्ना कितने रकबे में पैदा किया जाता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

पिछले पांच वर्षों के औसत में आंकड़े† तालिका 'ख' में दिये हुये हैं।

*३८--सर्वश्री काशीनाथबहादुर पाल तथा विजयसिंह आदि--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि बुन्देलखण्ड में १९६३ व १९६४ में प्रत्येक जिले में गेहूं, चना, मटर, चावल, गन्ना तथा मूंग, बाजरा, ज्वार, कितना-कितना पैदा किया गया और कितने-कितने रकबे में ? क्या इसकी ब्योरेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

१९६२-६३ तथा १९६३-६४ के लिए वांछित सूचना† संलग्न तालिका 'ग' में दी हुई है।

श्री विजयसिंह--

सरकार ने उत्तर दिया है कि केवल दो फसलें हुई हैं। तो क्या सरकार इसका पता लगवायेगी कि वहां तीन फसलें क्यों नहीं करायी गयीं जबकि वहां की जमीन बहुत अच्छी थी और उस योग्य थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

पिछले पांच साल के अनुभव के आधार पर ही यह आंकड़े दिये गये हैं। आइन्दा इस बात का खयाल रखा जायगा और यह कहा जायेगा कि यह जो आंकड़े हैं दो-तीन फसलों के यह ठीक रखे जायें।

श्री विजयसिंह--

झांसी में जो रिसर्च इन्स्टीट्यूट है, क्या सरकार वहां पर, वहां के आसपास के चारों जिलों की मिट्टी टेस्ट करवायेगी और इस बात का पता लगवायेगी कि कहां-कहां पर तीन फसलें रोटेशन से ली जा सकती हैं और फिर उसका पता लगवाकर वहां वही फसलें करायेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

सरकार आपके इस सुझाव पर विचार करेगी।

---

†छापे नहीं गये।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त--

श्रीमन्, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर यदि सिंचाई की उचित व्यवस्था कर दी जाय तो दो-तीन फसलें तक हो हो सकती हैं, जब कि अब एक ही हो पाती हैं। तो क्या सरकार सिंचाई को उचित प्रबन्ध होगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जो विकास खण्ड हैं उनके माध्यम से माइनर इर्रीगेशन का काम आगे बढ़ाया जा सकता है और उससे साधन उपलब्ध हो सकते हैं।

## डलमऊ तहसील में भूमि संरक्षण अनुदान

*३९--श्री रतीपाल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत तहसील व परगना डलमऊ में भूमि संरक्षण अनुदान के हेतु किन व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र अप्रैल सन् १९६५ से फरवरी सन् १९६५ तक दिये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जिला रायबरेली के अन्तर्गत तहसील व परगना डलमऊ में भूमि संरक्षण अनुदान के लिये किसी ने अप्रैल, सन्, १९६४ से फरवरी, सन् १९६५ तक प्रार्थना पत्र नहीं दिया है।

श्री रतीपाल--

क्या माननीय मंत्री जी मेरी बात को सही मानकर कि श्री महाबीर यादव, ग्राम सभापति सौवापुर, तहसील डलमऊ, को १५०० रुपये मंजूर हो गया था लेकिन चूंकि उन्होंने १० फी सदी कमीशन नहीं दिया तो उनका रुपया आधा मंजूर किया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

माननीय सदस्य लिख कर दें तो मालूम करा लेंगे।

## झांसी बीज भण्डार के विरुद्ध जांच

*४०--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या कृषि मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि सन् १९६४ में जिलाधीश, झांसी के नाम बीज गोदाम, झांसी के विरुद्ध मय बयान हल्फी के इस आशय के अनेक प्रार्थना पत्र कई ग्रामीण वासियों ने दिये कि उन्हें बीज कम दिया गया व कुछ को बीज नहीं दिया गया किन्तु सरकारी कागजात में बड़ी मात्रा में बीज दिया दिखाया गया इत्यादि ? यदि हां, तो आरोप किस-किस प्रकार के थे व शिकायतकर्त्ता कहां के थे व उक्त प्रार्थना-पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयीं व दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी व जांच अधिकारी कौन थे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जी नहीं। १९६४ में कोई शिकायती पत्र जिलाधीश के नाम प्राप्त नहीं हुये।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री लखपत राम शर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६३-६४ में क्या शिकायती-पत्र मिले थे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

सन् १९६३ में दो शिकायती पत्र जिलाधीश को मिले थे ।

श्री लखपतराम शर्मा--

जो शिकायती-पत्र जिलाधीश को मिले उनमें किस प्रकार के आरोप थे और जांच के बाद क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

आरोप ये थे कि रुपया दे दिया गया मगर रसीद नहीं दी गई । किसी ने यह कहा कि मैंने तकावी नहीं ली, किसी ने कहा कि मेरी तरफ कोई बकाया नहीं है । जांच से यह पता चला कि झांसी बीज भंडार में १९५६-५७ और १९५७-५८ में जो सवाई-बान्ड थे वे वहां उपलब्ध नहीं हैं । इन बान्डों की कीमत ३७,७७१.८३ रुपये है । अभी जांच हो रही है कि ये गलतियां कैसे हुईं ।

श्री लखपतराम शर्मा---

क्या यह सही है कि बान्ड जानबूझ कर जला दिये गये, गायब कर दिये गये चूंकि करीब दो लाख रुपया इस तरह से गबन किया गया है ? और क्या सी० आई० डी० के सुपुर्द इस मामले को करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जब तक जांच की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक यह कहना बड़ा कठिन है कि जला दिये गये या डिस्ट्राय कर दिये गये या कहीं छिपा दिये गये ।

श्री लखपतराम शर्मा---

लोगों ने बयान हलफी दिये हैं, तो क्या सी० आई० डी० को जांच देने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

कोई बयान हल्फी जिलाधीश को नहीं दिया गया ।

## इलाहाबाद में जखीराबाजों की गिरफ्तारी

*४१---श्री सालिग्राम जैसवाल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में सितम्बर में कितने गल्ला व्यापारियों की गिरफ्तारी हुई थी तथा कितना गल्ला उनका जब्त किया गया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इलाहाबाद में सितम्बर, १९६४ में कुल १२ व्यापारियों की गिरफ्तारी हुई तथा उनका ७३१५ क्विन्टल २० किलो २०० ग्राम गल्ला पकड़ा गया था ।

*४२---श्री सालिग्राम जैसवाल तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन व्यापारियों का गल्ला जब्त किया गया था उनमें से कितने व्यापारियों को गल्ला वापस किया गया तथा कितनों को नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

कुल १९ व्यापारियों का गल्ला पकड़ा गया था जिसमें से १२ व्यापारियों का गल्ला वापस किया गया था । ७ व्यापारियों का गल्ला वापस नहीं किया गया ।

---

नोट---तारांकित प्रश्न ४० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*४३--श्री सालिग्राम जैसवाल तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन व्यापारियों का गल्ला जब्त किया गया था उनमें से कितने व्यापारियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया, कितनों पर नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

१२ व्यापारियों पर मुकदमा चलाया गया तथा छः व्यापारियों पर मुकदमा नहीं चलाया गया। एक व्यापारी ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दिया।

## आजमगढ़ जिले में फार्म फारेस्टरी स्कीम

*४४--श्री इन्द्रासन सिंह (जिला आजमगढ़) तथा श्री उमा शंकर (जिला आजमगढ़)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला के अन्तर्गत फार्म फारेस्टरी स्कीम के अन्तर्गत सन् १९६१ से अब तक किन-कन स्थानों पर और कितने-कितने एकड़ में बन विभाग द्वारा जंगल लगाये गये हैं ? और इस समय उनकी देखभाल किन-किन के द्वारा हो रही है ?

श्री चरणसिंह--

जिला आजमगढ़ में फार्म फारेस्ट्री स्कीम के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा कोई भी जंगल सन् १९६१ से अब तक नहीं लगाये गये हैं। अतएव देखभाल का प्रश्न ही नहीं उठता।

*४५--श्री इन्द्रासनसिंह तथा श्री उमाशंकर--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उक्त जंगलों पर उक्ति अवधि में सरकार का कितना धन लगा है इसका संक्षिप्त विवरण सदन की पीठिका पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह--

प्रश्न नहीं उठता।

## ग्राम सभा सिंहपुर की भूमि

*४६--श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला रायबरेली, तहसील महराजगंज, के अन्तर्गत ग्राम सभा सिंहपुर में कितनी भूमि वन विभाग में ली गई है ? इस भूमि की प्रगति के लिये कितना रुपया सरकार की ओर से दिया गया तथा उसमें कितना पैसा व्यय हुआ ?

श्री चरणसिंह--

जिला रायबरेली तहसील महाराजगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा सिंहपुर में कोई भूमि वन-विभाग में नहीं ली गई है। अतएव, भूमि की प्रगति के लिये सरकार द्वारा रुपया दिये जाने तथा उसमें वन विभाग द्वारा व्यय किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

## बहराइच जिले में वन विभाग में ली गई भूमि

*४७--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जिले में मछवा-मारन ग्राम सभा में २१८ एकड़, चितलहवा ग्राम में १०४ एकड़, निधीपुरवा ग्राम सभा में १५० एकड़ गांव समाज की जमीन पर वन विभाग ने अवैध कब्जा कर लिया है ?

श्री चरणसिंह--

जिला बहराइच में छमुवामारन नाम की कोई ग्राम सभा नहीं है यद्यपि घुमनाभारू नाम की ग्राम सभा अवश्य है । जिला बहराइच में घुमनाभारू ग्राम सभा, चितलहवा ग्राम सभा और निधिपुरवा ग्राम सभा में गांव समाज की जमीन पर वन विभाग ने कोई अवैध कब्जा नहीं किया है ।

*४८--श्री झारखण्डे राय--

क्या सरकार को पता है कि इन गैर-कानूनी काबिज जमीनों पर कोई जंगल आज के नहीं है, एक दो पेड़ कहीं-कहीं खड़े हैं और इन गांवों में सैकड़ों भूमिहीन लोग हैं ?

*४९---क्या सरकार इस मामले की पूरी जांच कराकर उपरोक्त जमीनों को उन गांवों के भूमिहीनों में बांट दी जायगी ?

श्री चरणसिंह---

प्रश्न नहीं उठता ।

## बलिया जिले में शिक्षा संस्थाओं को सीमेंट

*५०---श्री रामआसरे वर्मा (जिला बाराबंकी) तथा श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के किन-किन शिक्षण संस्थाओं को १९६३-६४ एवं १९६४-६५ में भवन निर्माण हेतु सीमेंट का वैगन दिया गया और क्या उक्त सीमेंट का सदुपयोग हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है । उक्त सीमेंट का अधिकांशतः सदुपयोग हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६०३ पर )

*५१---श्री रामआसरे वर्मा तथा श्री होरीलाल यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के रेवती इन्टर कालेज को एक वैगन सीमेंट भवन निर्माण हेतु दिया गया था; उसके दुरुपयोग की शिकायत जिलाधीश, बलिया को मिली है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी हां । मामले की जांच की जा रही है ।

*५२---श्री रामआसरे वर्मा तथा श्री होरीलाल यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रेवती इन्टर कालेज, रेवती, बलिया को तहसील सप्लाई एवंविकास खंड से १९६४-६५ में कितना सीमेंट दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

१९६४-६५ में रेवती इन्टर कालेज बलिया को तहसील सप्लाई एवं विकास खंड से १०३ बोरी सीमेंट दिया गया ।

*५३-५४---श्री ऊदल--

[१० वें सोमवार के लिए स्थगित किये गये ।]

## शाहाबाद तहसील में सस्ते गल्ले की दुकानें

*५५--श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, सन् १९६४ में शाहाबाद तहसील, हरदोई में सस्ते गल्ले की दुकानों की चेकिंग की गई और उसमें कुछ दुकानदारों को नियम के विरुद्ध अधिक भाव पर गल्ला बेचने में पकड़ा ? यदि हां, तो किस-किस दुकानदार को और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अभीष्ट सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखे हुए विवरण में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६०४ पर)।

## ढोरी तथा तुमड़िया बांध पर काटा गया जंगल

*५६--श्री देवीदत्त (जिला नैनीताल)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ढोरी बांध पर कितना जंगल बिना कटे डूब गया है ? और इससे कितनी आर्थिक क्षति हुई है और इस क्षति की जिम्मेदारी किस पर है ?

*५७--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि तुमड़िया डाम के लिए कितना जंगल अनावश्यक काट दिया गया है और इसकी जिम्मेदारी किस पर है ?

श्री चरणसिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

## वाराणसी महापालिका में अल्प आय वर्ग गृह निर्माणार्थ ऋण

*५८--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी नगर महापालिका को सन् १९५५-५६ से लेकर १९६२-६३ तक अल्प आय व मध्यम आय गृह निर्माण योजना में जो ५० लाख रुपया दिया गया है वह रुपया कितने दिनों में वसूल होगा और कितने ब्याज पर दिया गया है ? क्या सरकार को पता है कि उसमें से करीब ४३ व्यक्तियों ने रुपया लेकर मकान नहीं बनाया है जिनकी जांच सी० आई० डी० दो वर्ष से कर रही है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सी० आई० डी० की रिपोर्ट आ गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

वाराणसी महापालिका को सन् १९५५-५६ से १९६२-६३ तक अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अधीन जनता में ऋण-वितरण के लिए ४४ लाख रुपया ४ ३/४ प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर दिया गया है। यह ऋण ३० वर्षों में वसूल होगा। इस अवधि में मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अधीन महापालिका को कोई ऋण नहीं दिया गया।

इस योजना के अन्तर्गत जिन लोगों को महापालिका द्वारा ऋण दिया गया, इनमें से केवल ४१ व्यक्तियों ने ऋण की एक या दो किस्तें लेकर निर्माण कार्य नहीं किया है। इनमें से केवल १३ मामले ऐसे हैं जिनमें सी० आई० डी० की जांच हो रही है, जिसकी रपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

## हरदोई जिले में जखीराबाजों के विरुद्ध कार्यवाही

*५९—श्री मोहनलाल वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुलाई से सितम्बर, १९६४ तक हरदोई जिले में गल्ला होर्डिग के सिलसिले में अधिकारियों ने कोई पुलिस द्वारा छापा मारकर लोगों को पकड़ा ? यदि हां, तो किन-किन लोगों को, उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी

हरदोई जिले में जुलाई से दिसम्बर, १९६४ तक १७ व्यक्तियों को अधिकारियों ने पुलिस द्वारा छापा मारकर ऐन्टी-होर्डिग आदेश के अन्तर्गत पकड़ा। पकड़े गए व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सभी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये जो न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(देखिये नत्थी 'झ आगे पृष्ठ ६०५ पर)

*६०—श्री मोहनलाल वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुछ व्यक्तियों को जनवरी, १९६५ से आटे की बोरियां दी जा रही हैं ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को ? क्या उसका कोई सरकारी आदेश हैं और जिन व्यक्तियों को दी गई उन्होंने कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या उसकी नकल मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आटे की बोरियां प्रदेश के अन्तर्गत छोटे-बड़े शहरों व ग्रामीण क्षेत्र में सर्वत्र दी जा रही हैं। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष स्थान के विषय में पूछें तो सूचना एकत्र की जा सकती है। अन्यथा जितना भी गेहूं का कोटा मिलों को प्राप्त होता है वह सभी सरकार द्वारा होल सेल व्यापारियों व सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा बिकवाया जाता है।

## बैलों की कमी

*६१—श्री रक्षपालसिंह ( जिला फतेहपुर ) तथा श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में गोवंश का लगातार ह्रास होता जा रहा है तथा उसके परिणाम स्वरूप कृषि योग्य बैल आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार उसको रोकने के लिये क्या कर रही है ?

श्री चरण सिंह—

जी नहीं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में १९५६ की अपेक्षा १९६१ में गोवंश की संख्या में ६.९४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि में हलों की संख्या में १०.४८ प्रतिशत वृद्धि होने के कारण बैलों की उपलब्धि में ४.५२ प्रतिशत की कमी हो गई। पशुपालन विभाग द्वारा पशु सुधार के लिये कई योजनायें कार्यान्वित की गई हैं, जिससे अच्छे और पुष्ट बैलों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

## गोबर की खाद

*६२—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला वाराणसी) तथा श्री नाथू राम शिक्षक—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रयोग किये जाने वाली खादों में गोबर का कितना प्रतिशत है तथा गोबर की तुलनात्मक क्या उपयोगिता है ? क्या सरकार गोबर की उपयोगिता को देखते हुए उसकी बरबादी को रोकने तथा उसकी मात्रा बढ़ाने की कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री चरणसिंह---

प्रदेश में प्रयोग की जाने वाली खादों में गोबर की खाद का इस्तेमाल ९९.३ प्रतिशत सन् १९६३-६४ में हुआ। उत्पादन के दृष्टिकोण से एक पौंड रासायनिक खाद नत्रजन ४० पौंड गोबर की खाद के बराबर होता है। भूमि की उर्वरा शक्ति को कायम रखने के लिये गोबर की खाद का महत्व अधिक है। इसलिये पिछले ७ वर्षों से प्रदेश में स्थानीय खाद साधन योजना चलाई जा रही है।

## गाजीपुर जिले में कथित चोरबाजारी

*६३---श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर) तथा श्री रघुनाथ (जिला बलिया)---

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर में गत दो महीनों में सस्ते गल्ले की दुकानों से अनाज तथा चीनी चोर बाजारी में ले जाते समय लोग पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो इस तरह के कितने मामले थाने में दर्ज किये गये हैं ? और इन मामलों में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

कोई नहीं पकड़ा गया। प्रश्न के शेष भागों का प्रश्न नहीं उठता।

*६४-६५---श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)---

[११ वें बुधबार के लिए स्थगित किये गये।]

*६६---श्री भगवानदीन---

[हटा दिया गया]

## अलीगढ़ जिले में दरियों का उद्योग

*६७---श्री भूपसिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जेल अलीगढ़ में सन् १९६३ से मार्च, १९६५ तक कितनी ऊनी दरियां तथा कालीन बनाये गये और उनको बेच कर कितना धन सरकार को प्राप्त हुआ ?

*६८---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जेल अलीगढ़ में सन् १९६३ से मार्च, १९६५ तक फर्शी चटाई उद्योग के लिये कितने मन मूंज किस भाव पर खरीद कर कितना रुपया खर्च किया गया और उससे कितने फर्श तथा चटाई बनाई गई ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त उद्योग से कितनी चटाइयां तथा फर्श नुमायश में बेचे गये और उनसे कितनी रकम सरकार को प्राप्त हुई ?

*६९---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कारागार, अलीगढ़, में सन् १९६३ से मार्च, १९६५ तक दरी उद्योग से कितनी दरियां सादों कितनी दरियां काटे-पट्टी तथा फूलदार बनाई गईं, उनको किस किस रेट पर बेचा और उससे कितना धन सरकार को प्राप्त हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*७०---श्री लखपतराम शर्मा---

[ग्यारहवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७१---श्री बसंतलाल शर्मा (जिला बहराइच) तथा श्री दलजीतसिंह (जिला बहराइच)---

[१० वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

## गोरखपुर जिले का सीमेंट का कोटा

*७२—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर जिले के सीमेंट के कोटे को गोरखपुर में मडुवाडीह ट्राशिपमेंट में देर के कारण पहुंचने में बाधा हो रही है जिससे उस जिले के सीमेंट का कोटा पहुंच रहा है और लैप्स हो जा रहा है ? यदि हां, तो इसका पूरा विवरण क्या है और इस सम्बन्ध में क्या प्रबंध हो रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। मडुआडीह ट्राशिपमेंट पाइंट पर बुकिंग में प्रतिबंध (रिसट्रिक्शन) कभी-कभी हो जाने के कारण सीमेंट के आयात में कुछ समय के लिये कमी अवश्य हो जाती है जिसको रेलवे अधिकारियों से लिखा पढ़ी कर हटवाया जाता है।

## जिलाधीश बदायूं का रिजर्व सीमेंट कोटा

*७३—श्री बिशनलाल यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं के जिलाधीश अपने रिजर्व कोटा में कितनी बोरी सीमेंट हर कोटे में से रखते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिलाधीश बदायूं अपने रिजर्व कोटे में १५ प्रतिशत सीमेंट रखते हैं।

*७४—श्री बिशनलाल यादव—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जो सीमेंट जिलाधीश अपने रिजर्व कोटे में रखते हैं उस सीमेंट को पब्लिक को भी दे सकते हैं या वह सरकारी काम में ही लाई जा सकती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जो सीमेंट जिलाधीश अपने रिजर्व कोटे में रखते हैं उसे पब्लिक को भी दिया जा सकता है और सरकारी काम में भी लाया जाता है।

*७५—श्री बिशनलाल यादव—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जिला बदायूं के जिलाधीश ने जनवरी, १९६५ से अब तक के कोटे में सीमेंट रखी और उसको बिकास काम में लाये, उसमें से कितने पब्लिक को परमिट दिये गये और किस किस को ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिलाधीश बदायूं ने अपने रिजर्व कोटे में जनवरी, १९६५ से अब तक १५८८ बोरी सीमेंट रखा। इसमें से ६० बोरी सीमेंट विकास कामों में लाई गई और ९६४ बोरी के परमिट पब्लिक को दिये गये, इसकी वितरण सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६०६–६९७ पर।)

## शाहजहांपुर जिले में काले हिरन का संरक्षण

*७६—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या कृषि मंत्री को पता है कि जिला शाहजहांपुर के थाना परौर के ग्राम रशीदपुर, गनरिया निजामपुर तथा खूबपुर में तथा जिला बदायूं के थाने दातागंज के अन्तर्गत ग्राम बसेला नटनियापुर कुउरा व कमा में काले हिरन (ब्लैक बक) पाये जाते हैं किन्तु इन गांव में हिरन का शिकार भी बन्दूक तथा जाल से काफी होता है ?

श्री चरणसिंह--

जी हां। उक्त स्थानों में काला हिरन पाया जाता है परन्तु उसके मारे या पकड़े जाने की कोई सूचना वन विभाग को नहीं है। जिलाधीश शाहजहांपुर को भी इसकी कोई सूचना नहीं है। जिलाधीश बदायूं से इस विषय में सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है।

*७७--श्री सुरेन्द्रविक्रम--

क्या मंत्री जी तुरन्त यह आदेश उपरोक्त गांव के प्रधानों को तथा थाना इन्चार्ज को भिजवाने की कृपा करेंगे कि जिससे लोगों को पता चल जावे और जाल से तथा बन्दूक से हिरन न मारे जावें ? क्या मंत्री जी को पता है कि गत माह में ग्राम रशीदपुर से बाहर के जाल वाले कई हिरन व बच्चे खुलेआम पकड़ कर ले गये ?

श्री चरणसिंह--

काला हिरन (ब्लैक बक) एक सुरक्षित जन्तु है। उसको मारना तथा फन्दे या जाल में फंसाकर पकड़ना वर्जित है। इन आदेशों को कड़ाई से पालन करने के लिये समय-समय पर जिला अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी किये जाते रहे हैं। प्रश्न संख्या ७६ के उत्तर के समक्ष इस प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

*७८-७९--श्री नाथूराम शिक्षक--

[उत्तर दिया जा चुका है।]

## फतेहपुर जिले में अल्प आय वर्ग गृह निर्माणार्थ ऋण

*८०--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या यह सही है कि अल्प आयवर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में जिला फतेहपुर के कुछ व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र सहकारी बैंक समिति, लखनऊ द्वारा मंजूर किय गये थे और उनकी रजिस्ट्री आदि की सभी कार्यवाहियां उसी वर्ष पूरी हो जाने व निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो जाने पर सहायक रजिस्ट्रार, फतेहपुर ने प्रथम व द्वितीय किश्तें देने की सिफारिश बैंक से की थी ? यदि हां, तो उन्हें अब तक एक भी किस्त न देने का क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी हां, फतेहपुर जिले के चार व्यक्तियों को ऋण की कोई किस्त इस कारण नहीं दी जा सकी क्योंकि इन्होंने बैंक के पक्ष में अपनी भूमि उस समय बन्धक की जब रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा आपत्ति किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक ने इस योजना के अधीन नये ऋण देना बन्द कर दिया था।

## रुदौली टाउन एरिया कर्मचारियों का बकाया वेतन

*८१--श्री मुकुटबिहारीलाल--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के रुदौली नोटिफाइड एरिया में १ मार्च, १९६५, को वहां के कर्मचारियों को कितने दिन का वेतन बकाया था तथा क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

३० मेहतरों का २ माह का तथा १९ अन्य कर्मचारियों का ४ माह का वेतन बकाया रह गया।

वेतन बकाया रहने का कारण कमेटी की असंतोषजनक आर्थिक स्थिति थी।

## करनैलगंज नगरपालिका कर्मचारियों का वेतन

*८२--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर), श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री रक्षपालसिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र (१९६५) के पहले सोमवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ९५ के उत्तर से सम्बन्धित क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बकाया वेतन कब तक दे दिया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

फरवरी, १९६५ तक का वेतन नगरपालिका करनैलगंज ने अपने सभी कर्मचारियों को दे दिया है । अब किसी कर्मचारी का बकाया वेतन देना शेष नहीं है ।

*८३--श्री बिपिनबिहारी तिवारी, श्री सुखदेवप्रसाद तथा श्री रक्षपालसिंह--

क्या इस सम्बन्ध में गोंडा जिले की करनैलगंज नगरपालिका के कर्मचारियों की कोई नोटिस शासन को मिली है कि यदि उन कर्मचारियों को बकाया वेतन की रकम नहीं अदा कर दी गई तो वह १८ मार्च से सामूहिक हड़ताल कर देंगे ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी हां । नगरपालिका, करनैलगंज के प्रत्येक कर्मचारी का पूरा पूरा बकाया वेतन दिया जा चुका है ।

## निघासन तहसील में वन विभाग में अध्याप्त भूमि

*८४--श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर-खीरी जिले की तहसील निघासन के ग्राम तारानगर एवं कामतानगर आदि ग्रामों की कितनी कृषि योग्य भूमि है और सरकार द्वारा गत २ मास के भीतर जंगल के लिये ले ली गई है तथा कितनी निकट भविष्य में लेने की योजना है ?

श्री चरण सिंह--

जिला खीरी की निघासन तहसील में ग्राम मुण्डा बुजुर्ग में ९४५.७९ एकड़ बन विभाग की भूमि है जिसमें से लगभग ३५६ एकड़ क्षेत्र पर नाजायज तौर से कुछ लोग तीन स्थानों पर बस गये हैं जिन्हें वे तारानगर, निषादनगर तथा बीरनगर कहते हैं ।

उपर्युक्त ९४५.७९ एकड़ भूमि, जिसमें उपर्युक्त नाजायज कब्जा की हुई लगभग ३५६ एकड़ भूमि भी सम्मिलित है, वन विभाग की सन् १९५२ ई० से है ।

गत दो मास के भीतर उक्त स्थानों में कोई भूमि जंगल के लिये नहीं ली गई है, यद्यपि वन विभाग में निहित सभी भूमि वन विभाग में रहेगी और नाजायज कब्जा हटाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम कामतानगर वन विभाग की भूमि से बाहर है और न तो वहां सरकार द्वारा गत दो मास के भीतर जंगल के लिये कोई भूमि ली गई है और न निकट भविष्य में लेने की योजना है ।

*८५--श्री मन्नालाल--

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रश्न (१) में उल्लिखित ग्रामों में भूमि वन विभाग में ली जा रही है और वह भूमि उन विस्थापितों के पास है जो कि पूर्वी पाकिस्तान से आकर वहां बसाये गये, तो क्या मंत्री जी उनकी एक मात्र जीविका को ध्यान में रख कर उस भूमि को छोड़ने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह--

ग्राम मुण्डा बुजुर्ग में वन विभाग की भूमि पर पूर्वी पाकिस्तान का कोई भी विस्थापित व्यक्ति सरकार द्वारा नहीं बसाया गया है, अतएव भूमि छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जहां तक कामतानगर का संबंध है, वह वन विभाग की भूमि के बाहर है और वहां न तो वन विभाग ने कोई भूमि ली है और न निकट भविष्य में लेने की कोई योजना ही है।

## स्टाकमैनों की नियुक्ति

*८६--श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री रतीपाल--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वेटेरिनरी स्टाकमैन जो ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं सीनियर बैच की नियुक्ति न करके जूनियर बैच की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह--

जी नहीं। सभी बैचों की नियुक्ति क्रमानुसार की जा चुकी है।

## गल्ले की सरकारी खरीद

*८७--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रूखाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस रबी की फसल पर गल्ला इकट्ठा करने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? अगर हां, तो वह कौन-सी योजना है और इस योजना के अन्तर्गत गल्ला खरीदने का कोई एरिया निश्चित किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

रबी की फसल की सरकार बाजार में ही खरीदारी करने का विचार रखती है, परन्तु खरीदारी के लिये अभी कोई एरिया निश्चित नहीं किया गया है।

## गाजीपुर जिले में आलू के बीज का वितरण

*८८--श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार कृषि विभाग द्वारा १९६४ में आलू के बीज (ब्लाकों वाइज) जिन-जिन लोगों को गाजीपुर जिले में जिस प्रकार वितरण किया गया है उसकी लिस्ट सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री चरणसिंह--

कृषि विभाग द्वारा गाजीपुर जिले में आलू के बीज के वितरण का विवरण †संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ६०८ पर।)

*८९--श्री मन्नालाल--

[हटा दिया गया।]

## खाण्डसारी पर प्रतिबन्ध

*९०—श्री ऊदल—

क्या सरकार ने खांडसारी को दूसरे प्रदेशों में जाने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां ।

## सदन के भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन कब तक चलेगा ताकि हम लोग अपने प्रोग्राम बना सकें ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

कल सूचना दे देंगे ।

## उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (१९६४-६५) का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (१९६४-६५) का चतुर्थ प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं ।

जो कुछ बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं उनके संबंध में इस अवसर पर चर्चा कर देना मुझे आवश्यक और उपयोगी प्रतीत होता है । इस प्रतिवेदन में विभिन्न अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियम, विनियम आदि के संबंध में समिति ने जो विचार प्रकट किये हैं, उनके अतिरिक्त प्रतिनिहित विधायन की प्रक्रिया में सुधार तथा यू० के० के स्टेट्यूटरी इन्स्ट्रूमेंट्स ऐक्ट, १९४६ के सदृश इस राज्य में अधिनियम बनाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ के उपबन्धों में संशोधनों की वांछनीयता की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया है । समिति ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के उस अंश की भी जांच की थी जो अधीनस्थ विधान तथा प्रतिनिहित विधायन समिति से संबद्ध था और उसमें कुछ संशोधनों के सुझाव नियम समिति को भी दिये थे । दुर्भाग्यवश नियम समिति उन पर अभी विचार नहीं कर सकी है ।

समिति की दृष्टि फाइनेंशियल हैंड बुक्स पर भी पड़ी जिसमें बहुत-सा लोक सेवाओं सम्बन्धी तथा वित्त और लेखा संबंधी अधीनस्थ विधान है । ये हैंड बुक्स इतनी पुरानी हो गयी हैं कि परिवर्तित परिस्थितियों में वे न केवल अनुपयोगी हो गयी हैं वरन् वे कहीं-कहीं हमारी कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने में बाधक भी सिद्ध हो रही हैं । वित्तीय शक्तियों का जो प्रतिनिधान किया गया है वह आजकल के बढ़े हुए मूल्यों को देखते हुये अत्यन्त अपर्याप्त है । समाज वादी ढांचे में राज्य को बहुत से उद्योग तथा उपक्रम चलाने पड़ते हैं किन्तु इन फाइनेंशियल हैंड बुक्स में जो वित्तीय नियम दिये हुये हैं वे हमारी इस आवश्यकता को पूरा करने में बिलकुल असफल हैं । समिति ने इनके बारे में विभिन्न विभागाध्यक्षों तथा सरकारी सचिवों का साक्ष्य लिया और वित्त सचिव पर भी यह जोर डाला कि वे इन हैंड बुक्स के पुनरीक्षण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दें। हर्ष का विषय है कि सरकार ने कुछ विशेषज्ञों की एक समिति का निर्माण इस कार्य के लिये कर दिया है ।

---

†छापा नहीं गया ।

अधीनस्थ विधान पर विधान मंडल के नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिये इस समिति ने प्रयास प्रारम्भ कर दिया है और उसमें इस समिति को माननीय सदस्यों व श्री कौशलपाल गुप्त, सचिव, विधान मंडल, श्री देवकी नन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा तथा विधान सभा सचिवालय के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों से जो सहयोग मिला, उसके लिये समिति की ओर से मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में यह समिति अधीनस्थ विधान की छानबीन करने में और उसको समाजवादी ढांचे के कल्याणकारी राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में अधिकाधिक सफल होगी ।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि जो प्रतिवेदन सदन के समक्ष पढ़े जाते हैं, वे लिखित रूप से पढ़े जाते हैं, जिसे माननीय सदस्य सुनते हुए ऊबते हैं। इसलिये ज्यादा अच्छा यह हो कि हमारी विभिन्न समितियों के सभापति वक्तव्य पढ़ें नहीं, बल्कि अपनी रिपोर्ट या वक्तव्य मौखिक दें, बगैर पढ़े हुए, तो हम लोग उसे ज्यादा समझ सकेंगे ।

## विधान परिषद् के तीन सदस्यों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर मैं बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यह प्रश्न आया है, अगर न आया होता तो अच्छा होता । प्रश्न एक ही पार्टी के द्वारा यहां उठाया गया और जहां तक मैं समझा हूं, परिषद् में भी उसी पार्टी द्वारा उठाया गया वह मैंने पढ़कर सुनाया था ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

किसका प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय उग्रसैन जी का है । इस प्रकार है:--

"दिनांक २२-४-६५ का उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य माननीय देवीप्रसाद जी मिश्र, प्रोफेसर हरिराजसिंह तथा हरिहरप्रसाद पांडेय ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना विधान परिषद् के अध्यक्ष को दी कि विधान सभा उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष, माननीय मदन मोहन वर्मा ने महाधिवक्ता श्री कन्हैयालाल मिश्र के विधान परिषद् में दिये गये वक्तव्य के संबंध में टिप्पणी कर के उक्त सदन का अवमान किया है। उपर्युक्त सदस्यों के इस प्रकार के वक्तव्य से जहां एक ओर इस सदन के माननीय अध्यक्ष महोदय की मर्यादा को ठेस लगी है वहीं दूसरी ओर सदन के अन्दर भाषण स्वतंत्रता पर भी गहरा आघात हुआ है।"

श्री उग्रसेन--

हमारा माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध था। उन्होंने कन्हैयालाल मिश्र के बारे में कुछ कहा था ।

श्री अध्यक्ष--

वह तो समाप्त हो गया ।

जब हम वाक्-स्वतंत्रता अपने लिये मांगते हैं तो दूसरों के लिये भी वही वाक्-स्वतंत्रता सुरक्षित है, और चूंकि प्रत्येक सदन को वाक्-स्वतंत्रता उपलब्ध है इस वास्ते स्वस्थ परम्परायें

[श्री अध्यक्ष]

जो लोकतंत्रीय सदनों में प्रचलित हैं, वह यह हैं कि दूसरे सदन में क्या कहा गया हम जानते ही नहीं, न हम जानने का प्रयत्न कर सकते हैं। मैंने इस संबंध में लिखा है, वह मैं अंग्रेजी में पढ़कर सुनाये देता हूं, बाद में उसका हिन्दी अनुवाद कर दूंगा---

The rule that allusions to debates in the other House of the current session are out of order, prevents fruitless arguments . . . .

दो उच्च स्तरीय सभाओं में जहां समान विषय विचारार्थ आता है, और दोनों सदनों के महानुभाव अपने-अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो स्वस्थ परम्परा यह है कि दूसरे सदन में उस संबंध में क्या विचार प्रकट किये गये उसका कहीं उल्लेख या उसके संबंध में कोई चर्चा दूसरे माननीय सदन में नहीं होनी चाहिये जिस प्रकार कि इस सदन की बातों की चर्चा वहां नहीं होनी चाहिये। और फिर वह कहते हैं---

"between members of two distinct bodies who are unable to reply to each other, and guards against recrimination and offensive language in the absence of the party assailed . . . .

जो महानुभाव यहां उपस्थित नहीं हैं उनके संबंध में यदि हम चर्चा करें तो इसका मतलब यह है कि एक अनुपस्थित व्यक्ति या उसके विचारों के संबंध में हम बात करें जिसका उसको उत्तर देने का अवसर न हो।

श्री उग्रसेन---

तो इस कानून को तो श्रीमन्, पहले आपने ही तोड़ा।

श्री अध्यक्ष---

यदि मैंने तोड़ा तो वह आपको आपत्ति कर देनी चाहिये थी।

श्री उग्रसेन---

तो यह गलती हुई कि हमने आपके विरुद्ध यहां नहीं दिया, उन्होंने वहां दे दिया।

श्री अध्यक्ष---

अब उन्होंने गलती की या आपने गलती की यह आप बाद में सोच लीजियेगा। आगे कहते हैं---

"But it is mainly founded upon the understanding that debates of the other House are not known, and that the house can take no notice of them"

यह सिद्धान्त इस आधार पर है कि उस सदन में क्या कहा जाता है, उसमें क्या बहस होती है, उस संबंध में कोई जानकारी उस सदन से बाहर नहीं है और इस आधार पर हम उस बात पर विचार नहीं कर सकते कि जो बातें दूसरे सदन में हुईं।

इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उस वक्तव्य के संबंध में हम नहीं उठा सकते जो कि दूसरे सदन में दिया गया हो। अतः इसे मैं अस्वीकृत करता हूं।

अब रही वह बात जो माननीय उग्रसेन जी ने कही है। मुझे खेद है कि अगर वह मेरे वक्तव्य को पढ़ते तो कदाचित् उन्हें मालूम हो जाता कि याद है कि मैंने किसी प्रकार की टीका उस सदन के सदस्य के संबंध में या आदरणीय महाधिवक्ता के संबंध में नहीं की है।

श्री उग्रसेन---

मैंने तो सुना और मुझ पर यही असर हुआ कि आप टीका उनके आचरण पर कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

अगर आपने सुना तो हो सकता है कि मैंने जिस तरह से कहा हो उसमें गलती हो या आपके सुनने में गलती हो।

श्री उग्रसेन---

तो उसकी सफाई कर दें।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइए कृपा करके। अगर आपको कुछ कहना है तो जो बयान मेरा इस आदरणीय सदन के समक्ष हुआ है वह लिखित है, उसको देख कर आप कह सकते हैं। मैंने सिर्फ यह कहा था जब माननीय नेकराम जी ने प्रश्न उठाया, कि महाधिवक्ता महोदय ने क्या कहा यह तो नहीं मालूम लेकिन समाचारपत्रों द्वारा जो विदित हुआ है उसको देखते हुए, हम समझते हैं कि माननीया मुख्य मंत्री ने जो कुछ किया इस मुकदमे की बहस के सिलसिले में ठीक किया। मैंने कोई चर्चा, किसी प्रकार की कोई आलोचना या कटाक्ष किसी भी व्यक्ति के ऊपर उस अवसर पर नहीं किया था। यह मेरा खयाल है.....

श्री उग्रसेन---

मैं आपको याद दिलाऊं, आपने मरीज और डाक्टर का जो उदाहरण दिया वह आपको याद होगा.....

श्री अध्यक्ष

मैंने कहा था कि समाचारपत्रों में यह छापा गया कि महाधिवक्ता ने परिषद् में ऐसी बातें मरीज व डाक्टर की, इस सदन के संबंध में कहीं--यह मैंने कहा था। मेरा कभी मंशा नहीं था कि मैं किसी तरह भी उस आदरणीय सदन के संबंध में कोई बात यहां होने दूं या स्वयं करूं। इसको आप स्पष्ट समझ लें और उसके बाद अगर मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि है तो उसे मैं इस सदन के सामने वापस ले लूंगा। उसे आप पहले पढ़ लें।

## अलीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा हिंसात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

अलीगढ़ की घटना के संबंध में सर्वश्री माननीय विजयसिंह, टम्बेश्वरप्रसाद, हरिनाथ तिवारी एडवोकेट और कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने कामरोको प्रस्ताव की सूचना दी है।

इस संबंध में माननीया मुख्य मंत्री जी को कुछ कहना है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

मैं कहना चाहती हूं कि आज इस संबंध में कोई डिस्कशन न-किया जाय क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे वाकयात से हम अच्छी तरह से अवगत हो जायं। वाइस चांसलर को जो चोट लगी है.....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने सदन के सामने प्रस्ताव रखा नहीं और मुख्य मंत्री से भाषण कराना शुरू कर दिया। पहले आप सदन से परमिशन लीजिये। उनको कोई आपत्ति तो है नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

परमिशन बाद में ले ली जायगी, पहले आप सुन तो लें।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मैं चाहती हूं कि अभी इस पर कोई डिस्कशन न हो क्योंकि हमें इस संबंध में सारे इन-फारमेशन लेने हैं।

श्री अध्यक्ष--

तो अब इसको परसों लिया जायगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

उनको कोई आपत्ति नहीं है, तो आप पहले सदन की अनुज्ञा तो मांगें।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

जब कोई आपत्ति नहीं है तो पूर्ण अनुज्ञा तो है ही उनकी।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठ जायं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री अध्यक्ष--

माननीया मुख्य मंत्री, आपको इसके ऊपर बहस पर कोई आपत्ति तो नहीं है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मैं इस पर बहस के पक्ष में नहीं हूं। इस पर मैं स्टेटमेंट दे दूंगी।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि "कामरोकों" प्रस्ताव को बिना पढ़े हुए और सारी स्थिति से सदन को बिना अवगत कराये हुये चुपके से आपने कैसे प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। मुझे आपके इस फैसले से बड़ा आश्चर्य हुआ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं ।

मैंने आदरणीय सदन के समक्ष कहा कि अलीगढ़ के संबंध में कामरोको प्रस्ताव आया है, इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री हमें कोई बात बतलावें जिससे निश्चय हो सके कि कामरोको प्रस्ताव की आवश्यकता है या नहीं। इसीलिये मैं चाहता था कि इस संबंध में वे अपना एक बयान द ।

श्री उग्रसेन--

माननीया मुख्य मंत्री को चाहिये कि वहां की सारी स्थिति से सदन को अवगत करायें ताकि सदन के सदस्य सन्तुष्ट हो जांय। बहस में ही वे सारी चीजें सामने आयेंगी।

श्री अध्यक्ष--

हम चाहते हैं कि इस संबंध में कुछ मालूम हो जाय, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसको सदन के सामने अनुज्ञा के लिये रखें या नहीं रखें। जब मुख्य मंत्री द्वारा कुछ तथ्य सामने आ जायेंगे फिर हम यह तय करेंगे कि "कामरोको" प्रस्ताव लाया जाय या नहीं लाया जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कृपा करके माननीया मुख्य मंत्री से पूछ लें। उन्होंने केवल समय की मांग की है कि उन्हें एक दिन का समय और दिया जाय। तो इस प्रस्ताव के ऊपर सदन की अनुज्ञा तो आप ले ही लें। वे प्रस्ताव पर बहस के लिये एक दिन के बजाय दो दिन का समय चाहती हैं तो उस पर कल के बजाय परसों विवाद हो सकता है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मैं परसों स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। इस पर मैं विवाद के लिये तैयार नहीं हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह--

श्रीमन्, माननीया मुख्य मंत्री ने यह नहीं कहा है कि यह प्रस्ताव उन्हें अस्वीकृत है। उन्होंने केवल यह कहा है कि इस पर आज बहस नहीं होनी चाहिये बल्कि बहस तब होनी चाहिये जब कि सारे तथ्य सामने आ जायं। नियमानुसार यदि आप इस प्रस्ताव को मंजूर करते हैं तो आज ही ४ बजे इस पर बहस होनी चाहिये और उसी के आधार पर उन्होंने यह कहा है कि यदि आप इसको मंजूर करते हैं और सदन की अनुज्ञा लेते हैं तो आप इस पर बहस न कराइये। तो दो दिन के बाद बहस कराइये, जैसे कि उस दिन 'कामरोको' प्रस्ताव के ऊपर बहस हुई थी। अनुज्ञा आप दे ही दें। उसके बाद बहस तब हो जाय जब माननीया मुख्य मंत्री को सुविधाजनक हो।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मैं इस पर परसों केवल स्टेटमेंट देने के लिये तैयार हूं। बहस के लिये नहीं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

अध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तो केन्द्रीय विषय है, अगर माननीया मुख्य मंत्री जी चाहें तो भी इस पर सदन में बहस नहीं हो सकती। यह सदन इस पर बहस करने के लिये इनकाम्पीटेंट है। स्टेटमेंट हो सकता है।

श्री नेकराम शर्मा---

अध्यक्ष महोदय, 'कामरोको' प्रस्ताव एक अहमियत रखता है। उसके कुछ तत्व होते हैं- अर्जेंट है या नहीं, उसकी कुछ अहमियत है या नहीं, तात्कालिक घटना है या नहीं। अगर आप उसको स्वीकार करते हैं तो उसके लिये अनुमति मांगनी चाहिये। माननीया मुख्य मंत्री ने उसका विरोध कर दिया है। वह केवल स्टेटमेंट देने के लिये तैयार हैं, अगर आप उसको 'कामरोको'। प्रस्ताव का विषय बनाते हैं तो फिर सब काम नियमानुसार होगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

मुझे अफसोस है कि ऐसे मौके पर आपने 'कामरोको' प्रस्ताव के संबंध में इधर के सदस्यों और माननीया मुख्य मंत्री से पूछलिया लेकिन हमको कहां तक जानकारी है इस प्रकार के प्रस्ताव अब तक अस्वीकृत हुए हैं। कभी भी हाउस में ऐसे प्रस्तावों पर बहस नहीं हुई। जब कभी भी हिन्दू मुसलमानों के झगड़े हुए हैं या इस तरह के झगड़े हुए हैं, यहां इस तरह की कोई बात नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष--

इसमें हिन्दू मुसलमानों के झगड़े की क्या बात है ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या घटना है, पहले आप इसकी जानकारी कर लीजिये। पहले डिटेल की बात को जान लीजिये, उसके बाद आप कोई राय निश्चित कीजिये। अगर इस प्रकार की परम्परा कायम होगी तो उससे नुकसान होगा।

श्री अध्यक्ष--

यहां हिन्दू मुसलमान का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने तो यह लिखा है--

"कल अलीगढ़ विश्वविद्यलय के छात्रों द्वारा हिंसात्मक सीधी कार्यवाही करके विश्व-विद्यालय के उपकुलपित को बुरी तरह घायल कर दिया गया है। छात्रों ने उनसे बलपूर्वक इस्तीफा लिखा लिया है। उपकुलपति की दशा चिन्ताजनक है। छात्रों द्वारा अभी भी विध्वंसक कार्य-वाहियों की रचना की जा रही है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा की गयी सीधी कार्यवाही से प्रदेश की आन्तरिक सुरक्षा के लिये संकट की दशा व्याप्त हो रही है।

सरकार स्थिति पर नियंत्रण पाने में सफल नहीं हो पायी है। नगर में अभी भी शान्ति एवं व्यवस्था के लिये संकट की दशा व्याप्त है।"

इसके अलावा श्री विजय सिंह लिखते हैं कि दिनांक २५-४-६५ को अलीगढ़ विश्वविद्या-लय के हाते के अन्दर विद्यार्थियों पर पुलिस के नृशंस अधिकारियों ने बिना किसी समुचित कारण के गोली चलायी...

श्री नेकराम शर्मा--

इसको आप तभी पढ़ें जब इसको आप 'कामरोकों' प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर नियमों के अनुसार सारी कार्यवाही कीजिये। उसके लिये सदन की अनुमति की आवश्यकता होगी।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके नियम संख्या ५७ से ६२ तक पढ़ें। इन नियमों के अनुसार मुझे यह तय करना होता है कि कोई प्रस्ताव अविलंबनीय लोक महत्व का है या नहीं, अरजेंट है या नहीं, तात्कालिक महत्व का है या नहीं। सभी सदनों में यह कायदा है कि अगर कोई कामरोको प्रस्ताव होता है तो सरकार से पूछा जाता है कि इस विषय में क्या स्थिति है। सरकार की जानकारी पर ही यह निश्चय किया जाता है कि वह अविलंबनीय लोक महत्व का है या नहीं, उसको न लाने से कौन सी विशेष परिस्थिति पैदा हो जायगी। यही चीज विचार कर मैंने माननीया मुख्य मंत्री से पूछा था कि वे उस विषय में कोई प्रकाश डाल सकती हैं। तो फैक्ट्स जानने के लिये मैंने माननीया मुख्य मंत्री से पूछा था। श्री रामसुन्दर पांडेय ने कहा कि यह हिन्दू मुसलमान का सवाल है, ऐसी बात नहीं है .....

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, 'कामरोकों' प्रस्ताव का मतलब है कि जब वह प्रस्तुत होगा तो आप स्वयं निर्णय करेंगे कि वह महत्वपूर्ण है, अविलम्बनीय है, अरजेंट है तात्कालिक महत्व का है या नहीं है और जब इन चारों शर्तों को वह पूरा करता हो तब आप उसको प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद आप संबंधित मंत्री से पूछेंगे और उस के बाद सदन की अनुमति मागेंगें, यही परम्परा सदन में रही है और यही नियमों के अन्तर्गत है जिस को आप पढ़ कर सुनाते हैं। तो जब सब बातें पूरी होती हैं तो आप स्वयं निर्णय कीजिये कि यह तात्कालिक है या नहीं है और अगर .....

श्री अध्यक्ष--

अगर आप पृष्ठ ७४ पर सन् ५२ से ६२ तक के निर्णयों को देखें तो उसमें यह है कि मैं गवर्नमेंट से पूछ सकता हूं और स्पष्टीकरण के लिये कह सकता हूं और यह भी इस में है कि अगर विषय महत्वपूर्ण है तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं, यह मैं इसी सदन के निर्णयों के संबंध में कह रहा हूं। इसलिये आप की आपत्ति गलत है, मैं सरकार से हमेशा पूछ सकता हूं, अब यह विषय समाप्त, मुख्य मंत्री जी कल वक्तव्य दे दें।

श्री नेकराम शर्मा--

वह चैप्टर अलग है.....

श्री अध्यक्ष--

यही ऐडजर्नमेंट मोशन के संबंध में है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मैं कल नहीं परसों पेश करूंगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, जिस बात को श्री नेकराम जी कह रहे हैं मैं समझता हूं कि आपने जो माननीया मुख्य मंत्री जी से पूछा तो उन्होंने यह नहीं कहा था कि मुझे 'कामरोको' प्रस्ताव के स्वीकार होने में आपत्ति है बल्कि यह कहा था कि अगर वादविवाद कराना है तो मुझे कुछ तथ्य मिल जायेंगे उसके बाद ही चर्चा की बात सोचेंगे। 'कामरोकों' प्रस्ताव एक तरह से सेन्सर मोशन की अहमियत रखता है और उस का तात्कालिक'सार्वजनिक महत्व होना चाहिये और उसका विषय भी निश्चित होना चाहिये। अगर कोई सदस्य कोई ऐसा प्रस्ताव पेश करते हैं तो आप स्वविवेक से निश्चय करेंगे और ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेंगे जो उसमें हो, उसके जो इनग्रेडिएन्ट्स हैं उन की भी इस में व्याख्या है, इसलिये किसी दूसरे नियम या रूलिंग का आधार आवश्यक नहीं है। निश्चित नियम हमारी नियमावली में इस विषय में है। जब आप सब चीजों को इसमें ठीक पा लें और अनुमति मांग लें उस के बाद यदि चाहें तो आप सरकार से पूछ सकते हैं कि उनको कोई आपत्ति है या नहीं और 'कामरोको' प्रस्ताव इन आर्डर है या नहीं और इस संबंध में उन्हें क्या कहना है। लेकिन अब आप इसको परसों के लिये स्थगित करना चाहते हैं। या तो आप इस को अनियमित ठहरायें या रिजेक्ट करें। लेकिन इस को महत्वपूर्ण विषय मानते हुये भी २ दिन बाद लेते हैं तो 'कामरोको' प्रस्ताव का महत्व खत्म हो जाता है। पहले आप इस का निश्चय कर दें कि इस को आप इन आर्डर मानते हैं और अगर कोई अपत्ति नहीं है तो आप इस पर सदन की अनुज्ञा ले लें।

कुंवर श्रीपालसिंह--

अध्यक्ष महोदय, अभी श्री चन्द्रजीत जी ने जो कहा उसके संबंध में मैं नियम ५७ की अन्तिम पंक्ति पढ़ना चाहता हूं कि "सचिव सूचना की एक प्रति को सम्बद्ध मंत्री के पास भेज देगा, इस

[कुंवर श्रीपालसिंह]
को रखने का एकमात्र कारण यह है कि उन से सूचना ले लें कि उन को इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। आप ने जो पूछा वह बिलकुल सही पूछा-वह नियमों में है, उन्होंने उस पर कह दिया कि कोई आपत्ति नहीं है, केवल बहस के समय के लिये वह चाहती हैं कि पूरी जानकारी हो जाय। उस के बाद आप स्वविवेक से निर्णय कर सकते हैं कि आज बहस करेंगे या दूसरे दिन, हालांकि इस नियम में उसी दिन होनी चाहिये लेकिन एक काम रोको प्रस्ताव में पहले ऐसा हुआ है और आपकी व्यवस्था हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष--

अभी मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है कि जो बात मैंने कही है उस पर वे बहस नहीं करना चाहतीं। वे केवल बयान दे देगीं। यह जो आप कह रहे हैं कि सरकार से नहीं पूछ सकते हैं, उचित प्रतीत नहीं होता है। हमारे संकलन में तो यहां तक है कि अगर अवैध हों तो भी पूछ सकते हैं।

श्री उग्रसेन--

जब आप अनियमित घोषित कर देगें तब भी आप पूछ सकते हैं ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

आप पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं पूछूंगा। अगर आप 'मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिक्स' को देखें तो पायेगें कि तथ्यों के संकलन की अगर आवश्यकता हो तो इस अवसर पर कार्य स्थगन के प्रस्ताव हो सकते हैं। अतःअब यह परसों लिया जायगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

तो श्रीमन्, अब मैं अनुज्ञा मांगूं ?

श्री अध्यक्ष--

नहीं, आप परसों ही मांगें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

श्रीमन्, यदि आज ही अनुज्ञा मांगने की आज्ञा दे दें तो उत्तम होगा। क्योंकि उस दिन नहीं मालूम कौन लोग यहां पर रहे और कौन न रहें। अतः प्रार्थना है कि आप अनुज्ञा मांगने की आज्ञा आज ही के लिये देदें और इसे परसों ले लें।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न भी परसों ही निश्चय होगा कि लिया जा सकता है, अथवा नहीं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि आज ही इसे निश्चय कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

जैसा मैंने निवेदन किया-सरकार हमेशा ऐसे अवसरों पर तथ्यों को आपके सामने रखने लिए समय ले सकती है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

वे अपने तथ्य रख सकते हैं और हम अपने तथ्य रख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब यह विषय समाप्त हो गया है।

## राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ के छात्रों को डिप्लोमा न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र माननीय राम किशोर त्रिपाठी जी का आया है जिसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत किया है। वह इस प्रकार है--

"इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान राजकीय कला एवं शिल्प महा विद्यालय, लखनऊ में जुलाई, सन् १९६४ से चल रहे 'नेशनल डिप्लोमा' कोर्स की ओर दिलाना चाहता हूं।

उक्त विद्यालय के अन्तर्गत विगत जुलाई से अखिल भारतीय टेक्निकल बोर्ड के अनुरूप ललित कला, मूर्ति कला एवं व्यापारिक कला की शिक्षा प्रारम्भ की गयी थी और छात्रों को यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें नेशनल डिप्लोमा प्रदान किया जायगा जिसका ५ वर्ष का कोर्स होगा किन्तु ४-५ महीने बाद बताया गया कि अब छात्रों की परीक्षा अखिल भारतीय टेक्निकल बोर्ड के अन्दर में न होकर स्टेट टेक्निकल बोर्ड द्वारा होगी और छात्रों को एडवान्स डिप्लोमा मिलेगा किन्तु अब स्टेट बोर्ड ने भी परीक्षायें लेने से इनकार कर दिया है और उसका विद्यालय स्वयं इम्तिहान लेने जा रहा है जिसके परीक्षा फार्म में उक्त दोनों डिप्लोमा का कोई जिक्र नहीं है उस पर केवल डिप्लोमा एंड सर्टीफिकेट लिखा है और २९-५-६५ से इम्तिहान प्रारम्भ हो। रहा है।"

श्री अध्यक्ष--

फार्म में उक्त किसी विद्यालय से संबंधित होने का भी कोई जिक्र नहीं है जिससे छात्रों में असन्तोष व्याप्त है। इसके ऊपर समाज कल्याण मंत्री कब वक्तव्य देंगे ?

समाज कल्याण मन्त्री (डाक्टर सीताराम)--

परसों दे दूंगा।

## नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मैंने भी गंडक योजना के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्ताव दे रखा है। इतना बड़ा सवाल है और कई दिन से दे रहा हूं। माननीय मंत्री जी से सिर्फ वक्तव्य ही दिला दें।

श्री अध्यक्ष--

आप अल्प सूचित तारांकित प्रश्न कर लेते। आप तीन तीन मर्तबा दे चुके हैं। अब तक तो उसका जवाब भी आ जाता।

श्री उग्रसेन--

अब तो सदन बन्द हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाखों व्यक्तियों से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष--

देख लूंगा।

## चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर सदन में विचार करने की मांग

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

आपको तथा माननीय मुख्य मंत्री को सभी विरोधी दल के नेताओं ने एक संयुक्त पत्र लिख कर भेजा था जिसमें यह उल्लिखित था कि हमारे प्रदेश में चौथी पंच वर्षीय योजना बन रही है, उसकी रूप रेखा बन कर तैयार है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं उसे लेने वाला था ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

परसों हमारे सूबे के जितने पार्लियामेंट के मेम्बर हैं दिल्ली में, उनके साथ बैठ कर हमारे मुख्य मंत्री, नियोजन मंत्री, कृषि मंत्री और संबंधित अधिकारीगण ने बैठ कर विचार विनियम किया और जितना साहित्य है इस संबंध में वह उनको दिया गया । लेकिन अफसोस की बात है कि प्रदेश के विधायक जो हैं, जिनसे सीधा संबंध है, उनसे चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर अबतक न कोई विचार विनिमय किया गया और न उनको साहित्य ही उपलब्ध कराया गया । इसलिये मैं नम्र निवेदन करूंगा-क्या माननीया मुख्य मंत्री चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विचार करने हेतु कोई समय नियत करेंगी जिसमें हमें भी अपने विचार रखने का मौका मिल सके ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पहले ही बट गया था, उस समय ३ दिन बहस हुई थी । इस बार ५ दिन बहस की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रारूप आ जाय तब बहस पर विचार किया जायगा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, आपको भी याद होगा-आपने कहा था कि फर्स्ट और सेकेंड फाइव ईयर प्लान पर बहस नहीं हुई है । तीसरी पंचवर्षीय योजना पर विचार होना चाहिये । अब चौथी पंचवर्षीय योजना आ गयी है, इस पर आप बहस करा दीजिये ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

हमें कतई एतराज नहीं है । हमें तो खुशी होगी कि मेम्बरान प्लान पर डिसकशन करें । मेम्बरों को तय करना है कि हाउस में बहस करना चाहते हैं अथवा पार्लियामेंट के सदस्यों की कतेसआपस में बैठ कर बाहर बहस करना चाहते हैं ? बाहर करना चाहते हैं तो अभी कर तरह हैं और हाउस में करना चाहते हैं तो जुलाई सेशन में कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

तृतीय पंचवर्षीय योजना पर हाउस में बहस हुई थी ।

श्री उग्रसेन--

हम सबको साहित्य उपलब्ध करा दिया जाय पहले से ही ताकि उसे पढ़ने का वक्त मिले ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

साहित्य आप लोगों को मिल जायगा, जुलाई सेशन के लिये तैयारी कर लीजिये ।

## उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा--

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९६५ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ६०९-६२३ पर)

## विविध जानकारी

श्री बह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से एक जानकारी चाहता हूं । एक वर्ष हो गया, माननीय सुदामाप्रसाद गोस्वामी के इस्तीफे के बारे में सदन से बात चीत की गई थी और हाई कोर्ट तक केस पहुंचा और उसका निर्णय देखने से मालूम होता है कि श्रीमान्, ने कोई निर्णय नहीं दिया है । जब तक आप कोई निर्णय नहीं देंगे तब तक यह खटाई में पड़ा रहेगा । इलिये हम जानना चाहेंगे कि आप क्या निर्णय देने जा रहे हैं और कब तक आखिरी निर्णय लेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप नियम ४४ में लिख कर पूछ सकते हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

उनके प्रश्न को सूचना मान ली जाय, श्रीमन् ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

श्रीमन्, अगर आप उसके विरुद्ध निर्णय देते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने सिसिल नहीं देखी, कागजात नहीं देखे, आपने एकदम प्रश्न उठा दिया तो मैं कैसे जवाब दूं । जो कुछ आपको पूछना हो लिखकर पूछिये, मैं उसको देख लूंगा ।

## कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५† (*क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

अब कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार होगा ।

### खण्ड २

२--जब तक कि विषय या प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम परिभाषायें में--

(क) "सम्बद्ध कालेज" का तात्पर्य किसी ऐसी संस्था से है जो किसी विश्वविद्यालय से इस अधिनियम तथा उस विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार सम्बद्ध हो;

(ख) "विश्वविद्यालय क्षेत्र" का तात्पर्य उस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में धारा ४ के अधीन निर्दिष्ट क्षेत्र से है;

---

†१९ अप्रैल, १९६५ की कार्यवाही में छपा है ।

*२१ अप्रैल, १९६५ की कार्यवाही से ।

(ग) "स्वायत्त कालेज" का तात्पर्य ऐसे सम्बद्ध कालेज से है जो धारा ३९ के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्वायत्त कालेज घोषित किया जाय;

(घ) "संघटक कालेज" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा, राज्य सरकार द्वारा संधारित तथा उस विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा इस प्रकार नामित संस्था से है;

(ङ) "कोर्ट" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कोर्ट से है;

(च) 'कार्यकारिणी परिषद्" और "विद्वत् परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की क्रमशः कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् से है;

(छ) "फैकल्टी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की फैकल्टी से है;

(ज) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा संधारित अथवा परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यकारिणी परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास-स्थान से है;

(झ) "प्रबन्धकारिणी" का तात्पर्य ऐसी प्रबन्धक समिति या संस्था से है जिस पर किसी संबद्ध कालेज के कार्यों के प्रबन्ध का भार हो;

(ञ) "प्रिंसिपल" का तात्पर्य किसी सम्बद्ध कालेज या संघटक कालेज के अध्यक्ष, अथवा इस पद पर कार्य करने के लिये यथाविधि नियुक्त व्यक्ति से है;

(ट) "नियत" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा नियत से है;

(ठ) "किसी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में निबद्ध स्नातक" का तात्पर्य ऐसे स्नातक से है जो उस विश्वविद्यालय के परिनियमों में दिये गये उपबन्धों के अनुसार निबद्ध हो;

(ड) "परिनियमों", , "अध्यादेशों" तथा "विनियमों" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों अध्यादेशों तथा विनियमों से है;

(ढ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ण) "विश्वविद्यालय का छात्र" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय या संघटक कालेज में ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा यथाविधि स्थापित किसी उपाधि, डिप्लोमा या शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टता के निमित्त किसी पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रयोजन से भर्ती हुआ हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी सम्बद्ध कालेज में भर्ती हुआ हो;

(त) "अध्यापक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय अथवा किसी संघटक कालेज या सम्बद्ध कालेज द्वारा पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम के किसी विषय पर शिक्षण देने या शोध-कार्य का पथ प्रदर्शन या संचालन करने के लिये सेवायोजित हो और इसके अन्तर्गत प्रिंसिपल भी है,;

(थ) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संघटक कालेज में शिक्षण देने या शोध कार्य में पथ-प्रदर्शन या संचालन करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त और वैतनिक हो; और

(द) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित, यथास्थिति, "कानपुर विश्वविद्यालय" या "मेरठ विश्वविद्यालय' से है।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ का उपखंड (ग) निकाल दिया जाय तथा आगे के उपखंड उसी के अनुसार पुनरंकित कर दिये जायं ।

श्रीमन्, खंड (ग) में स्वायत्त कालेज की जो परिभाषा दी गई है उसको निकालने का मैंने संशोधन दिया है । पहले तो इस स्वायत्त कालेज की आवश्यकता ही नहीं है । आगरा विश्वविद्यालय में २६ साल से बने हुये कानून के बाद भी....

श्री अध्यक्ष--

सदन का इस्तेमाल लाबी के लिये बहुत किया जाता है, बातें बहुत होती हैं ।

*श्री रक्षपालसिंह--

श्रीमन्, २६ साल के बाद भी आगरा विश्वविद्यालय में ऐसा स्वायत्त कालेज कायम नहीं हुआ है । दूसरा कारण यह है कि आगरा विश्वविद्यालय एक औटोनोमस और होमोजीनस वे में काम करता है । इस के खंड ३९ में व्यवस्था की गई है । इसमें लिखा है कि--

"विश्वविद्यालय, नियत रीति से, किसी ऐसे सम्बद्ध कालेज को जो तदर्थ नियत शर्तों को पूरा करे, उस कालेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिये, उन पाठयक्रमों में जो विश्वविद्यालय द्वारा किये गये हों, परिवर्तन करने, और इस प्रकार परिवर्तित पाठ्यकमों में परीक्षा लेने का विशेषाधिकार दे सकती है ।"

श्रीमन्, यह व्यवस्था उचित नहीं है । दूसरे इसमें यह भी हो सकता है कि और कालेजों में ५ सबजेक्ट्स में डिग्री मिलती हो और इस स्वायत्त कालेज में चार विषय में डिग्री मिल जाय। दूसरे कालेजों में पाठ्यक्रम ज्यादा हों और इस कालेज में कम हों और डिग्री मिल जाय । एक ही विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अन्य कालेज भी हैं । तो इस तरह की चीज किसी एक विशेष कालेज के लिये ठीक नहीं है । दूसरे कालेजों के मुकाबले में किसी एक कालेज का सामान्य स्तर कम करना ठीक नहीं है ।

*वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--

अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं । जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि जो सम्बद्ध कालेज होते हैं उनकी स्थिति भिन्न भिन्न होती है । कुछ कालेज बहुत बड़े और पुराने हैं । जैसे मेरठ कालेज है, आगरा कालेज है, सेन्ट जार्ज कालेज है, बलवन्तसिंह राजपूत कालेज है, बरेली कालेज है, कानपुर के कालेजेज हैं । तो यह इतने बड़े-बड़े कालेजेज हैं, और जो दूसरे नये शैशवकालीन स्थिति के भी कालेजेज हैं, वह भी हैं जो कि अभी बनने की स्थिति में हैं । यह समझा गया कि जो यह बड़े बड़े कालेजेज हैं जिनमें अनुसन्धान कार्य भी अच्छे दर्जे का होता रहता है, ऐसे कालेजेज को कुछ स्वतंत्रता इस बात की मिलनी चाहिये कि वह अपने यहां के कार्यकलाप में कोई परिवर्तन कर सकें । क्योंकि यह शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना जाता है कि परिस्थिति के अनुकूल स्वतंत्र रहकर कार्य किया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कैलाशप्रकाश]

जा सके । विश्वविद्यालय स्वतंत्र होते हैं और जो यूनिट्री, इकाई रूप में विश्वविद्यालय होते हैं, जहां पर कि शिक्षा का कार्य भी किया जाता है उनमें इस तरीके का परिवर्तन हेर फेर करने की सम्भावना रहती है । किन्तु जो सम्बद्ध विश्वविद्यालय होते हैं उनमें जो परिनियम और नियम इत्यादि बनाये जाते हैं और वे सभी कालेजेज में एक से लागू हो जाते हैं । इसलिये इस चीज की व्यवस्था करने के लिये कि जो बड़े बड़े कालेजेज हैं और जिनके बारे में कभी कभी यह चर्चा भी उठती है कि वह विश्वविद्यालय होने के लायक हैं, उन्हें कुछ, सामान्य कालेजेज से अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिये । इसलिये जब आगरा विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन हुआ तो इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार हुआ और उसमें यह सुविधा रखी गयी और ऐसे कालेजों के वर्गीकरण करने की सुविधा रखी गयी । इसमें कोई सन्देह नहीं कि आगरा विश्वविद्यालय में यह व्यवस्था और धारा काफी दिन से है, किन्तु अभी कोई भी कालेज उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, और किसी भी कालेज को उस प्रकार से वर्गीकृत नहीं किया गया है । इसलिये इन विश्व-विद्यालयों के लिये भी, जो विश्वविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं इस विधान की आवश्यकता है, यदि यहां पर परिभाषा में से यह निकाल दिया जायगा तो ऐसे कालेज स्थापित नहीं हो सकेंगे । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि आवश्यकता है कि कुछ स्वतंत्र कालेज बनाये जायें । आपने पहले यह कहा था कि विश्वविद्यालय का प्रसार स्तर ऊंचा करने के लिये २–१ यूनिवर्सिटी बनाई जा रही हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जहां उन्होंने यह कह दिया कि परीक्षा भी ले सकती हैं और अब साथ में उन्हें स्वतंत्रता भी देने जा रहे हैं । तो ऐसी स्थिति में यह हो सकता है कि अपने यहां के विद्यार्थियों को पास करने की गरज से वह अपने यहां के लिये सरल पर्चा बनावें । तो इसमें समानता और एकरूपता कहां रहेगी ? निश्चय ही इससे शिक्षा का स्तर गिरेगा और विभिन्न कालेज के विद्यार्थियों में शिक्षा के स्तर की विभिन्नता हो जायेगी । इसलिये आवश्यक है कि परीक्षा का स्तर एक रखा जाय और इतनी स्वतंत्रता उन्हें नहीं दी जानी चाहिये । वह जिस तरीके से वहां अपने यहां छात्रों को पास करना चाहेंगे पास कर देंगे और उनका स्तर ऊंचा नहीं होगा । साथ ही साथ परिणाम क्या होगा ? उस स्वायत्त कालेज से विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा निकल जायेंगे चाहे उनका स्तर कितना ही नीचा हो । इसलिये यदि आप सम्बद्ध कालेजेज को भी लेना चाहते हैं तो परीक्षा एक रखनी होगी, कैरीक्यूलम में कोई परिवर्तन नहीं रखना होगा और एक्जामिनिंग यनिवर्सिटी ही निर्णायक रहेगी । ऐसी व्यवस्था होना अनिवार्य है । जहां तक शोध कार्य का सम्बन्ध है, उसमें तो आप स्वतंत्रता दे सकते हैं । लेकिन आप उनको यूनिवर्सिटी ऐज एक्जामिनिंग बाडीज रखना चाहते हैं तो उतना ही रखिये और अगर आपने उनको स्वायत्त कालेज बना दिया तो इनका स्तर बहुत निम्न हो जायगा ।

श्री रक्षपालसिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि आवश्यकता पड़ सकती है । वह बात मेरी समझ में आयी । लेकिन उसके लिये भी अन्य व्यवस्था हो सकती है कि इन विषयों में इन इन कालेजों में अलग से यह व्यवस्था रूल्स में हो सकती है लेकिन नियम ही बदलकर इनको यूनिवर्सिटी के अन्दर दूसरी यूनिवर्सिटी बनाने की बात तो नहीं होनी चाहिये और इसीलिये मैं कहता हूं कि इनको आटोनामस कालेजेज बनाना उचित नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो एक बात की शंका प्रदर्शित की है कि इन कालेजेज को यदि थोड़ी सी स्वतंत्रता दे दी गयी तो वे उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, यही बात जब आगरा विश्वविद्यालय विधेयक में इस धारा को रखा गया था तब कही जा सकती थी लेकिन स्वयं माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि यद्यपि आगरा विश्वविद्यालय को इस बात का अधिकार था कि वे कालेजेज को स्वतंत्रता प्रदान कर दें लेकिन तब भी आगरा विश्वविद्यालय ने उसका प्रयोग नहीं किया और इस वजह से इस शंका को स्थान देना मैं उचित नहीं समझता हूं ।

एक बात यह कही गयी कि अगर इस तरीके से कालेजेज को कुछ थोड़ी सी स्वतंत्रता पाठ्-क्रम में हेर-फेर करने की दी गयी तो एक स्तर न रह सकेगा। शिक्षा के क्षेत्र में स्तर एक भ्रमात्मक शब्द कभी-कभी हो जाता है। लोकतंत्रीय प्रणाली का विशेषकर यह लक्ष्य तो नहीं है कि व्यक्तियों को यन्त्रवत एक सा बना दें, इसीलिये जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जो अपनी अपनी स्वतंत्रता के अनुसार काम कर सकें। आज इस प्रदेश में ४ विश्वविद्यालय, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ और गोरखपुर हैं ही और दो यूनिवर्सिटियां बनारस और अलीगढ़ में हैं जो सामान्य एजूकेशन को देखती हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं ।

श्री अध्यक्ष--

एक बात मैं कहता हूं कि अगर सरकारी काम चलना है तो कोरम पर ध्यान रखा जाय । कोरम नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

बिना कोरम के ही बहस करा दें ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, मैं तो नहीं करा सकता । अगर सरकारी पक्ष कोरम को पूरा नहीं रखेगा तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा ।

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, अभी तो कोरम है ।

श्री अध्यक्ष--

कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई । )

श्री कैलाशप्रकाश--

मैं निवेदन कर रहा था कि स्तर की बात जो कही गई है और उसमें जो शंका प्रदर्शित की गई है कि शिक्षा के क्षेत्र में यह भी होना चाहिये कि शिक्षा के स्तर के लिये नपेना हो तो वह प्रश्न यदि अधिक विश्वविद्यालय बनाते हैं तो उनमें भी किया जा सकता है लेकिन अगर विश्वविद्यालय को स्थापित करके हम यह देखते हैं कि स्तर रह सकता है चाहे कुछ भिन्नता हो, तो उनको कालेजेज के साथ स्वतंत्रता उन परिनियमों के अन्तर्गत, जो बनाये जायेंगे, दे दी जाय तो स्तर में बहुत बड़ा दोष नहीं होने वाला है बल्कि थोड़ी सतर्कता मिल जाने से बहुत सम्भव है कि शिक्षा का जो विशेष उद्देश्य है, उसकी अधिक पूर्ति हो सके । इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं और इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ का उपखंड (ग) निकाल दिया जाय तथा आगे के उपखंड उसी के अनुसार पुनरंकित कर दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

## खंड ३

३---(१) दो विश्वविद्यालय, एक कानपुर में जो कानपुर विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय कहलायेगा और दूसरा मेरठ में जो मेरठ विश्वविद्यालय कहलायेगा ऐसे दिनांक को स्थापना से स्थापित किये जायेंगे जिसे राज्य सरकार प्रत्येक के लिए गजट में तथा निगमन विज्ञापित करे ।

(२) प्रत्येक विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति तथा प्रथम उप कुलपति तथा कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे समस्त व्यक्तियों को जो एतदपश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य बनें, जब तक कि वे ऐसे पद पर रहें या सदस्य बने रहें, उस विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित संस्था संगठित होगी ।

(३) प्रत्येक विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा वह उक्त नाम से ही वाद प्रस्तुत करेगा और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जायगा ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड ३ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में 'कानपुर' और 'विश्वविद्यालय' शब्दों के बीच 'महिला' शब्द जोड़ दिया जाय ।

इस सम्बन्ध में संशोधन लाने के लिये मैंने बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार किया था और जो यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में विभिन्न आयोग और कमेटी कायम हुई थीं उनकी रिपोर्ट के अनुसार इस प्रदेश और देश में जो महिलाओं की शिक्षा सम्बन्धी त्रुटियां हैं, समस्यायें हैं उन सब का ध्यान रखते हुये बहुत ही गम्भीरतापर्वक सोच समझकर मैंने इस संशोधन को रखा है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को मान लेने से इस विधेयक में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । केवल ४ (१) में और कुछ एक अन्य स्थानों पर थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा और बाकी खंड उपखंड, ज्यों के त्यों रहेंगे । इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहूं कि जितने भी यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में कमीशन कायम हुये हैं और जितनी भी कमेटी कायम हुई हैं उन रिपोर्टों को अगर पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि उन रिपोर्टों के द्वारा ये तथ्य सामने आये हैं कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं वे प्रत्येक व्यवस्था के रूप में, नीति निर्धारण के रूप में पाठ्य-क्रम चलाने के रूप में पुरुषों द्वारा संचालित और व्यवस्थित होते हैं । वे महिला शिक्षा से संबंधित व्यवस्था में, पाठ्य-क्रम निर्धारण में और उनका स्तर बनाये रखने की व्यवस्था करने में घोर उपेक्षा रखते हैं । इस सम्बन्ध में यह कमीशन की रिपोर्ट के पृष्ठ का हवाला देते हुये पढ़ता चलूंगा और मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इसको ध्यान पूर्वक देखते चलें। जो हमारा यू० पी० यूनिवर्सिटीज कमीशन है १९६० का उसकी रिपोर्ट के पृष्ठ १२० में नम्बर ८ पर मूथम कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि "इलाहाबाद विश्वविद्यालय के महिला विभाग को उचित आधार दिया जाना चाहिये ।"

यह सब से पुराना विश्वविद्यालय है और बहुत महत्व रखता है । तो मूथम कमेटी ने जानकारी हासिल करने के बाद उसके संबंध में यह सिफारिश की । अगर वहां कमियां हैं तो दूसरी जगहों की हालत तो और चिन्तनीय हो सकती है । उसमें लिखा है कि....

श्री अध्यक्ष--

आप यह बतलाइये कि कानपुर विश्वविद्यालय को महिला विश्वविद्यालय क्यों कहा जाय ?

श्री रघुनाथसिंह--

मैं वही बतला रहा हूं। अगर आप श्रीमन् इतना उतावलापन दिखलायेंगे तो मुसीबत हो जायगी। आपके इस विधेयक के उद्देश्य में ही लिखा है कि चूंकि आगरा विश्वविद्यालय का परीक्षा भार बहुत बढ़ गया है और वह उस उत्तरदायित्व को सम्हाल नहीं पा रहा है इसलिये इस समय संबैभागिक विश्वविद्यालयों के रूप में इनको कायम किया जा रहा है। तो मेरा निवेदन यह है कि जब संबैभागिक विश्वविद्यायल के रूप में इनको कायम किया जा रहा है तो वर्तमान काल में इनका काम केवल परीक्षा लेना ही होगा। शिक्षा का कार्य जब राज्य के पास साधन होंगे तब आरम्भ किया जायगा। तो मेरा निवेदन है कि इसी आयोग के गोरखपुर वाले चैप्टर में लिखा है कि जब गोरखपुर विश्वविद्यालय बना था तो उस समय भी उसने आगरा विश्वविद्यालय के बहुत से कालेजों को ले लिया था। उसके ८८ में से ३० कालेज इस तरह से चले गये थे। तब एक भयंकर क्राइसेस आगरा विश्वविद्यालय के सामने आया और जब सरकार से उप कुलपति ने इस अभाव की बात की थी जिसे रिपोर्ट के पृष्ठ १६४ पर देखा जा सकता है तो हमारी सरकार ने यह उनको सलाह दी थी कि आप अपने साधन बेच कर अपने इस अभाव की पूर्ति करें। सरकार के पास सहायता देने के लिये पैसा नहीं था। तो यह परिस्थिति उस समय थी। जब यह दो नये विश्वविद्यालय और बनेंगे जिनका बटवारा जिलों के आधार पर हुआ ह कि कानपुर के पास अमुक अमुक जिले रहेंगे और मेरठ के पास अमुक अमुक जिले रहेंगे, लेकिन इस बटवारा करने से भी परेशानी आ सकती है। अगर आगरा विश्वविद्यालय को इस परेशानी से ही बचाना है तो उसके पूरे कार्य क्षेत्र को आगरा और मेरठ इन दोनों विश्वविद्यालयों में बांट दिया जा सकता है और ऐसा करने से उसे कोई परेशानी का सामना न करना पड़ेगा। अगर कानपुर में वहां की परिस्थिति के अनुरूप कोई कालेज खोलना ही है तो वह टेकनिकल नेचर का होना चाहिये, वह कोई बात होती, लेकिन केवल इम्तहान के लिये अगर यूनिवर्सिटी बनायी जा रही है तो क्यों न वह महिला शिक्षा का पूरा भार अपने ऊपर ले और उसके लिये कुछ विशेष व्यवस्था करे ताकि महिलाओं की शिक्षा तथा उनकी स्थिति में उन्नति लाने के लिये कुछ विशेष व्यवस्था हो सके ? यहां तक कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी से भी एफिलियेटेड जो कालिज हैं उनकी भी देखरेख करे। एक्जामिनेशन का कार्य दोनों ही करेंगे। जो संशोधन है उसी के आधार पर लखनऊ और इलाहाबाद से संबंधित जो कालिज हैं वे भी इसी से संबंधित हो जायेंगे। इससे कोई परेशानी नहीं होने पायेगी।

(इस समय १ बज कर ६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, यह बात मैंने क्यों सोची ? इस संबंध में कमीशन की रिपोर्ट में कुछ तथ्य दिये गये हैं। वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मूथम कमेटी और राधाकृष्णन् कमेटी दोनों का सन्दर्भ दिया है, संस्तुतियां भी की हैं, मगर उनको सरकार ने माना नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लड़कियों की गवाहियां भी उसमें ली गयी हैं। जो इसमें पढ़ने को मिलता है उससे ऐसा पता चलता है कि लड़कियों के प्रति उपेक्षा की मनोवृत्ति रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह जनतांत्रिक न्याय उनके साथ नहीं होगा। आपकी आज्ञा से प्रमाण के लिये मैं इस कमीशन में दिये गये कुछ उद्धरण पढ़ना चाहता हूं। इस कमीशन ने जगह जगह मूथम कमेटी के संदर्भ दिये हैं। पृष्ठ १२२ पर लिखा है--

"कमीशन ने इस वीमेन्स कालेज की दयनीय स्थिति को देखते हुये इसे कालेज के नाम से पुकारा जाना निरर्थक समझा है और इसे बी० ए० कक्षाओं का महिला विभाग मात्र कहा जाना उचित बताया है।"

[श्री रघुनाथसिंह]

इसस स्पष्ट होगा कि यूनिवर्सिटी ने अपने अन्तर्गत वीमेन्स कालिज की इतनी उपेक्षा कर रखी है कि कमीशन ने उस कालिज के नाम की सार्थकता में ही संदेह प्रकट किया है।

वीमेन्स कालेज की दुर्व्यवस्था की ओर आगे और लिखा है--

"कमरे अन्य ढंग से असन्तोषजनक होने के साथ अत्यधिक छोटे हैं। होम, आर्टस के कमरे १२ × १० फीट के हैं तथा खिड़कियों और रोशनदानों का अभाव है। सारे विषयों के लिये कमरे नहीं हैं। दर्शन शास्त्र की पढ़ाई बरामदे में जहां धूल और पानी का बौछार आती है वहां होती है। इसके साथ ही जो विषय पुरुष अध्यापकों द्वारा पढ़ाये जाते हैं, उनमें सबके सब कालेज में आते भी नहीं। महिलाओं के लिये विशेषतः निर्धारित पाठ्य-क्रम के अध्यापन की व्यवस्था की स्पष्ट आवश्यकता है। गृह विज्ञान सम्बन्धी विषयों में अधिकांश का अध्यापन १ मील दूर म्योर सेन्ट्रल कालेज में होता है। म्यूजिक और फाइन आर्टस की पढ़ाई भी कालेज से बाहर अन्यत्र होती है।

होम साइंस का विभागाध्यक्ष एक पुरुष डाक्टर है जो स्वतंत्र रुप से प्रैक्टिस भी करता और कभी-कभी समय निकाल कर पढ़ाने भी आ जाता है। कालेज में इस विषय के व्यावहारिक ज्ञान के लिये मैटीरिअल नहीं है और रिसर्च की तो कोई बात ही नहीं सोची जा सकती है। कुछ एक विषयों में एक ही अध्यापक रहता है जिससे अध्यापन के भाषा-माध्यम की दयनीय स्थिति है। अर्थशास्त्र में एक अध्यापक एक परचा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाता है दूसरा परचा हिन्दी माध्यम से पढ़ाता जाता है। इसी प्रकार से एजुकेशनल साइकोलाजी की पढ़ाई अंग्रेजी में होती है। कभी कभी न समझने पर लड़कियों को हिन्दी में भी समझाया जाता है। इस प्रकार से पढ़ाई में बड़ी कठिनाई पड़ती है।"

ऐसी स्थिति में कमीशन ने एक रिमार्क दिया है— दी आउटकम इज एम्यूजिंग दो ट्रैजिक (The outcome is amusing though tragic) यह पृष्ठ १२५ पर कमीशन ने लिखा है।

अब फिर पृष्ठ १२५ पर हमको देखने को मिलता है कि उस कालेज से संबंधित चिकित्सालय में १२०० छात्राओं के बीच इन्डोर पेशेन्ट्स के लिये ४ चारपाइयां हैं। सारा चिकित्सा कार्य ३ नर्सों द्वारा होता है। बहुत ही सीरियस केसेज में डाक्टर आता है और प्रेस्क्रिप्शन लिख कर चला जाता है। नर्सेज उसके अनुसार कार्य करती हैं या नहीं, उसकी कोई देख-रेख नहीं होती।

एक अत्यन्त शोचनीय बात यह है कि महिला कालेज में रहने वाली छात्राओं के लिये जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिये यूनिवर्सिटी में जाती हैं, उनके निवास स्थान और विश्वविद्यालय के बीच जो मार्ग है वह मार्ग ऐसा है कि जो किसी असभ्य जंगली जाति के देश की मानो याद दिलाता है। वर्षा के दिनों में यह मार्ग पानी से भरा, कीचड़ युक्त और फिसलाऊं तथा घास से भरा रहता है जिसमें छिपे हुए सर्पों और अन्य खतरनाक जीवों का भारी डर रहता है। एक मार्ग का निर्माण ठीक तरह से नहीं हो सका है। इसी तरह कालेज और छात्रावास में पानी की कमी की पूर्ति की व्यवस्था भी आज तक नहीं हो सकी है। कालेज के फाटक पर दुकानों का एक सिलसिला लगा दिया गया है जहां पर इतने पुरुषों की भीड़ रहती है कि कमीशन ने कहा है कि कालेज का फाटक दूसरी दिशा में बदल देना चाहिये। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये मूथम कमेटी ने एक रिमार्क दिया था जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं और जो महिला विश्वविद्यालय की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। मूथम कमेटी ने कहा है कि--

"महिला विद्यार्थियों के लिए अलग शिक्षण पद्धति तब तक अवश्य चलती रहे, जब तक इलाहाबाद में अलग वीमेंन्स कालेज सत्ता में नहीं आ जाते जो उन महिलाओं के लिए एक विश्व-विद्यालय के विकल्प की पूर्ति कर सकें जो पुरुष विद्यार्थियों के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करना नहीं चाहती ।"

यह श्रीमान, १२० पृष्ठ पर मूथम कमेटी रिमार्क को सन्दर्य के रूप में इस कमिशन ने दिया है। श्रीमान् मैं निवेदन करूंगा कि मूथम कमेटी के सामने जो टर्म्स आफ रेफरेंस थे उनमें इलाहाबाद के सम्बन्ध में आवश्यक तथ्यों की जानकारी रखी गई थी और महिला कालेज के सम्बन्ध में जानकारी करते हुए संकेत मात्र में ही उसने कहा कि अलग वीमेन्स कालेज यहां पर होना चाहिए उन महिलाओं के लिए जो पुरुषों के साथ पढ़ना नहीं चाहतीं और जो विश्वविद्यालय की पूर्ति कर सके । यह ५३ में मूथम कमेटी ने रिमार्क दिया था ।

मेरा यह निवेदन है कि उसी संकेत की पूर्ति के लिए राज्य में व्यापक स्तर पर स्त्री शिक्षा के स्वतंत्र संगठन के लिए और उसके जागरूक संचालन के लिए ऐसे किसी विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे शिक्षा मंत्री जी कर सकें तो यह बहुत उत्तम बात होगी ।

इसके साथ ही साथ राधाकृष्णन् कमेटी ने भी जगह जगह ऐसे रिमार्क्स दिये हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारा यह संशोधन उचित ही है । श्रीमन्, राधा कृष्णन् कमेटी ने स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में जो कहा है उसे मैं निवेदन कर देना चाहता हूं । कमेटी ने कहा है कि देश में स्त्री शिक्षा की जो योजना चालू की गयी है वह सही नहीं है । इस रिपोर्ट में बताया गया है उसके अनुसार देश को स्वाधीन हुए १७–१८ वर्ष हो गये, फिर भी इस प्रदेश में जो इस देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है स्त्री शिक्षा की योजना के अनुसार उचित व्यवस्था करनी चाहिये । उस रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत सी महिलाओं का स्वाभावा नुकूल कार्य क्षेत्र पुरुषों के कायक्षेत्र से विभिन्नता रखता है, तो स्त्री शिक्षा के कायक्रम में इस तथ्य को भी सामने रखा जाना चाहिये कि दोनो के शिक्षण समान रुप से नहीं होने चाहियें । आजकल प्रायः स्थिति यह है कि विश्वविद्यालयों के जो कोर्टस् या प्रबन्धकारिणी समितियां हैं उनमें तथा विभागीय स्टाफ में स्त्रियों क। प्रायः अभाव है । जितनी भी फैकल्टीज हैं और उनके पाठ्यक्रम है, उन सब में स्त्रियों का अभाव है और स्त्रियों सम्ब्रन्धी सारी व्यवस्था भी पुरुषों के द्वारा ही होती है जिससे स्त्रियों के प्रति एक उपेक्षाजनक नीति बरती जाती है । इसीलिये राधाकृष्णन् कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों की शिक्षा देखने में समान होते हुए भी, उनकी शिक्षा में विभिन्नता होनी चाहिये, उनके पाठ्यक्रम व उनके संगठन में विभिन्नता होनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता––

नियमानुसार जो संशोधन किसी संशोधन का पार्ट हो किसी निश्चय के द्वारा ही प्रथम संशोधन को प्रस्तुत करके फिर कोई संशोधन की बात होनी चाहिये। ऐसे संशोधन की निश्चित सूचना पूर्ण रूप से पहले से होनी चाहिये जिससे संशोधन पूरे रुप में हो जाय । आपने एक खंड में शुरु में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कहीं है लेकिन शुरु से आखिर तक आप इस विधेयक में देखें तो छात्र है उसके स्थान पर छात्रा या इसी तरह के और संशोधन की बात आपने नहीं रखी है और इस तरह से अन्त में यह सारा ही गलत हो जायगा । इसको आप देख लें ।

श्री रघुनार्थसिह––

जहां तक छात्र या छात्रा सम्बन्धी संशोधन की बात है, इस तरह के संशोधन तो बाद में सामान्य रूप से हो जायेंगे । जहां जहां जरुरत है दो, तीन जगह मैंने इस तरह के संशोधन रखे हैं। शीर्षक में भी मैंने इस तरह का संशोधन रखा है। इस तरह की जो शंका आपने उठाई है, उसमें किसी तरह की खींचतान करने की कोई स्थिति नहीं है ।

[श्री रघुनाथसिंह]

राधाकृष्णन् कमीशन ने एक और तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है जिसकी ओर मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कमीशन के सामने जितनी महिलायें गवाह के रूप में उपस्थित हुईं उन सब ने इस बात को ध्यान में रखा है कि अलग से महिला कालेजों की स्थापना होनी चाहिये। यह जानते हुए कि भवन व सज्जा की परेशानी होगी, योग्य अध्यापिकायें नहीं मिल पायेंगी, इन सारी स्थिति के बावजूद भी उन्होंने अलग से महिला कालेजों की मांग की है। साथ ही यू० पी० यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की रिपोर्ट में है कि हरीजन में महिलाओं को अलग कालेज चाहिए। महिला छात्रों की संख्या अधिक बढ़ जाने से काफी परेशानी बढ़ गई है और इस बीच में इनकी संख्या और भी बढ़ गई है तो यह परेशानी और भी बढ़ सकती है। इस वर्ष माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हाईस्कूल तक स्त्री शिक्षा निःशुल्क कर दी है तो अब लड़कियों की संख्या स्कूलों में और बढ़ेगी लेकिन इन सब परेशानियों के होते हुए भी अलग से स्त्री शिक्षा की व्यवस्था करने की बात क्यों नहीं सोची जानी चाहिए? महिला कालेजों में योग्य प्राध्यापिकाओं की कमी की बात है। मैं सदन से यह पूछना चाहता हूं कि इतने दिनों की शिक्षा के बाद २५ वर्ष से पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों में पढ़ने के बाद सारे विद्यालयों, में विशेषकर स्नातकोत्तर विद्यालयों में महिला प्राध्यापिकाएं नियुक्त नहीं हो पाती हैं, किसी विभाग की अध्यक्ष अथवा कुलपति होना तो दूर की बात है। कमीशन के सामने जो महिला चार्या या प्राध्यापिकायें साक्ष्य के लिये उपस्थित हुई उनका कहना है कि महिला कालेजों के लिये अच्छे प्राध्यापक नहीं मिलते हैं। फिर भी महिलाओं का कहना है कि वे अलहेदा ही पढ़ना चाहती हैं। इतनों दिनों के बाद भी अगर यह चीज बनी रही है तो उसके पीछे तथ्य क्या है, इसको सरकार को देखना चाहिये। बहुत सी लड़कियां जो होनहार हो सकती हैं, वे वहां इसलिये जाना पसन्द नहीं करतीं कि वहां अवांछनीय आचरण का वातावरण व्याप्त रहता है। इसी रिपोर्ट में एक वीमेन्स एजूकेशन का चैप्टर है। उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय संबंधी तथा लखनऊ के कालेजों से संबंधित गवाहियां मौजद हैं। उसमें जो गवाहियां हुई हैं उनको मैं इस समय पढ़ना उचित नहीं समझता लेकिन वे सब इस रिपोर्ट में दी हुई हैं, उनको माननीय मंत्री जी देखने की कृपा करें। उसमें इतने हृदय विदारक तथ्य हैं कि जिनको देख कर यह विचार होता है कि जब तक हमारे समाज में योनि के विषय में बहुत ही प्रगतिशील और विकसित विचार नहीं हो जाते तब तक तथा कथित प्रगतिशीलता के नाम पर अवांछनीय स्थिति में छात्र-छात्राओं के इस जोड़े को बनाये रखना और पुरुषों से वहां की व्यवस्था को चलवाना और इस प्रकार से स्त्री शिक्षा को बिगाड़ते जाना उचित नहीं मालूम पड़ता।

इस संबंध में भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने अपनी संस्तुति में कहा था कि हर एक रीजन में महिला कालेज चलाये जाने चाहिये और उनके लिये सरकार को अर्थ की व्यवस्था करनी चाहिये। जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने यह कहा कि हर एक रीजन में जोर देकर महिला कालेज चलाने की कोशिश करनी चाहिये जिससे उनको एक स्वतंत्र सत्ता हो और अपने पैरों पर खड़े होकर वे ऊंची से ऊंची शिक्षा पा सकें, उसके लिये प्रबन्ध किया जाना चाहिये और इस अवांछनीय और अपमानजनक स्थिति को न बढ़ने देना चाहिये। इन बातों को ध्यान में रखते हुये मेरा यह निवेदन है कि मैं यह नहीं चाहता कि शिक्षा में अलगाव का इस प्रकार का विभेद सदा के लिये चलता रहे। इस संबंध में मेरा एक संशोधन धारा ४ (१) में है। उसमें मैंने लिखा है---

"खंड ४ (१) की प्रस्तुत शब्दावली के स्थान पर निम्नलिखित शब्दावली रख दी जाय---

"इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए कानपुर महिला विश्वविद्यालय को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय समस्त उत्तर प्रदेश में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्त्री-शिक्षा के स्वतंत्र संगठन और व्यवस्था के लिये किया जायगा और इसी प्रकार मेरठ विश्वविद्यालय को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग फर्रुखाबाद, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी,

मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलन्दशहर और देहराबून जिलों में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय सम्मिलित क्षेत्रों में किया जायगा ।

"साथ ही प्रतिबन्ध यह है कि जब तक इस देश में और इस राज्य में सहशिक्षा के अनुकूल स्वस्थ वातावरण नहीं बन जाता और कानपुर विश्वविद्यालय की एक विशेष स्थिति इस अधिनियम की धारा ४ (१) के उपबन्ध के अधीन बनाये रखनी पड़ती है, केन्द्र द्वारा संचालित वाराणसी और अलीगढ़ के विश्वविद्यालयों, से सम्बन्धित महिला कालेजों के अतिरिक्त यदि कोई हो, अन्य कोई महिला कालेज अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित न रहेगा, किन्तु यदि कोई महिला स्वेच्छा से किसी पुरुष कालेज में नाम लिखा कर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है ।"

बस इतना सा यह संशोधन अभी करना होगा लेकिन जब भविष्य में हमारा सामाजिक जीवन सुदृढ़ हो जाय और योन सम्बन्धी मामलों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाय तो दस, बीस साल बाद इस ४ (१) उपधारा को संशोधित करके आप फिर ज्यों का त्यों कर सकते हैं लेकिन अभी तो यह समाज योन विषय में रोग ग्रस्त है इसलिये मैं चाहता हूं कि राज्य की लड़कियों की दशा को देखते हुये जैसे कि तमाम कमेटियों और कमीशनों ने इस प्रकार की दयनीय स्थिति पर बराबर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है माननीय शिक्षा मंत्री जी राज्य की बेटियों के लिये उनके सम्मान और सुरक्षा के लिये इसे स्वीकार करें । एक धारा पर संशोधन के अलावा इसमें और कहीं किसी विशेष परिवर्तन की जरूरत नहीं है । माननीय मंत्री जी राज्य की बेटियों....

श्री अधिष्ठाता—

आप वही दोहरा रहे हैं ।

श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा अनुभव एक नहीं ४ यूनिवर्सिटियों का है, इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता, और आक्सफोर्ड और मैं समझता हूं कि मैं अपना कर्तव्य पालन नहीं करूंगा अगर मैं इस विषय में अपनी राय यहां न रखूं । मेरी अल्पबुद्धि में जिस तरह से इस बिल के क्लाज १ से ३ के अन्तर्गत जो यह कानपुर और मेरठ में विश्वविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है । अगर यह नये विश्वविद्यालय भी उसी तरह से यहां कायम किये जाते हैं जिस तरह के हमारे यहां हैं, जो एक नहीं शायद ९ हैं तो उस से हमारा लाभ वाला नहीं है । उस से हमें जैसे शिक्षित युवक मिल रहे हैं वह आप के सामने है । हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि कितने विद्यार्थी डकैती में पकड़ जाते हैं और मर्डर में, उन कैसेज की गिरफ्तारियां होती है । जिस तरह से हमारे विश्वविद्यालयों का आज सिलसिला चल रहा है उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है । इस बिल में फेकेल्टीज के बारे में नहीं लिखा गया है कि कोई नई फेकेल्टी वहां होगी, वही पुराने विषय उनमें भी रखे गये हैं । हमारा वह देश है जहां सब से पहले चौथी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, यहां तक्षशिला विश्वविद्यालय द्वितीय शताब्दी में शिक्षा दीक्षा का काम करता था । जहां विदेशों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे । ह्वेनसांग ने १० वर्ष नालन्दा में अध्ययन किया । उसके ७–८ सौ वर्ष बाद आक्सफोर्ड और जरमनी व फ्रांस में यूनिवर्सिटीज कायम हुई । अच्छा होता जैसा कि श्री रघुनाथ सिंह जी ने कहा कि एक वीमैन यूनिवर्सिटी यहां बनाई जाती । चाहे वह मेरठ में या कानपुर में कहीं पर रखी जाती ।जहां पर हमारी लड़कियां और महिलायें स्वतंत्र रूप से विद्यार्जन कर सकतीं । मैं तो उस दिन की प्रतिक्षा कर रहा हूं जब कि हमारी सरकार हिमालय के अचल में एक यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगी । जहां सारे हिमांचल के लोग आकर शिक्षा लेंगे, उसमें हर तरह की फेकल्टीज होंगी जैसे इन्डस्ट्रियल, टेक्नीकल, पशुपालन,हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और विज्ञान आदि । पहाड़ों के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है ।

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पहाड़ों के लिये एक यूनिवर्सिटी आप बनायें, उसके लिये बहुत से स्थान उपयुक्त हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन मुझसे पूछा गया स्थान बताइयें। एक स्थान चौरास है जो गंगा के उस पार श्रीनगर के सामने है। वहां पर एक नहीं आप ४ यूनिवर्सिटिज बना सकते हैं। आज जो यूनिवर्सिटिज आपके इलाहाबाद में हैं, आगरा में हैं, उसी प्रकार की यूनिवर्सिटिज बनाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि आज उन यूनिवर्सिटिज का नतीजा हम देख रहे हैं। आज कितना इन्डिसिप्लिन, कितान आतंक इन यूनिवर्सिटिज में फैला हुआ है कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। वे यूनिवर्सिटिज क्या पढ़ाती हैं? कहने का तात्पर्य यह कि हम जो डुप्लीकेशन के लिये, एफिलियेशंस के लिये यूनिवर्सिटिज बनाने जा रहे हैं उनका क्या महत्व है। हमें चाहिये कि हम एक खास उद्देश्य से यूनिवर्सिटी बनायें। जैसी आप इस समय मेरठ और कानपुर में बनाने जा रहे हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। हिमांचल युनिवर्सिटी जो पहाड़ों में होगी, उसमें मेडिकल अलग पढ़ाया जायगा, पशुपालन अलग पढ़ाया जायगा, उनका उत्पादन अलग से पढ़ाया जायगा, हार्टिकल्चर अलग से पढ़ाया जायगा, पहाड़ों पर किस किस्म से खेती की जाय यह अलग से पढ़ाया जायगा। वहां पर यह भी देखा जायगा कि हमारे पहाड़ों पर कौन कौन सी इन्डस्ट्रीज होंगी। जैसे हमारे पहाड़ में लोहा है, ताबा है, और कई मिनरल्स हैं। माइका, सोपस्टोन है। उनका उपयोग वहां पर किया जायगा। एक बात और खास यह है कि ऐसी यूनिवर्सिटी जो चौरास में होगी वह शहरों से दूर होगी। वह गुरुकुल के किस्म की यूनिवर्सिटी होगी। मैं समझता हूं कि मेरठ और कानपुर जैसे बड़े बड़े नगरों में यूनिवर्सिटिज नहीं होनी चाहिए। जब यूनिवर्सिटीज शहरों से दूर होंगी तो लड़कों को सिनेमा देखने, ऐयासी करने और शराब पीने का मौका नहीं मिलेगा। हमने सुना है कि एग्जामिनीज शराब पीकर परीक्षाओं में आते हैं। इसीलिये मैं यह कहता हूं कि आप इन यूनिवर्सिटिज को कहीं हिमालय की गोद में खुलवायें। जो भी यूनिवर्सिटी हों, मेरा यह निवेदन है कि वह एक खास किस्म की यूनिवर्सिटी हो, उसमें एक महिला युनिवर्सिटी हो सकती है। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की जरूरत है। जापान में तीन बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय हैं। और हमारे देश में बुद्धिजिम का कालेज भी नहीं। इन विचारों को प्रकट करते हुए यह समझ कर कि यह बिल हमारी सरकार ने बनाया है, मैं इसका समर्थन करूंगा चाहे इसमें कोई त्रुटियां हैं। दूसरी बात जो मैं इसमें देखता हूं वह यह है कि इस बिल में गल्तियां बहुत हैं। जोकि मैं हिन्दी में अपने को स्कालर मानता हूं क्यों कि १९०४ में हिन्दी में लिखता रहा हूं। परन्तु फिर भी इस बिल में ऐसे शब्द लिखे हुये हैं जिनको मैं नहीं समझ पाया हूं। मैं यह भी जानता हूं कि जिन हिन्दी शब्दों को इस बिल में रखा गया है यूनिर्सिटीज के वाइस चान्सलर भी इन शब्दों को नहीं समझ सकेंगे, जब तक कि वे इंगलिश में इसको नहीं पढ़ेंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसमें ऐसे शब्द प्रयोग में नही लाने चाहिये जो समझ में न आवें जोकि उनको हिन्दी का जमा पहनाया गया है।

जब हिन्दी के शब्द न हों तो अंग्रेजी के शब्द क्यों नहीं रखे जा सकते, नये क्लिष्ट शब्द नगणत किये जायं। इन शब्दों में मैंइस बिल का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि इस बिल को लाने में उनका उद्देश्य बहुत ऊंचा है गोकि इसमें विशेषता की नई बात कोई नहीं।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)---

इस समय सदन में केवल १०, ११ सदस्य हैं। अच्छा हो यह व्यवस्था कर दी जाय कि १ से लेकर २ बजे तक लंच रहेगा।

श्री अधिष्ठाता---

इस सम्बध में वैसे तो सदन निश्चित कर चुका है, लेकिन यह बड़ा हास्यास्पद दिखाई दे रहा है। इतना आवश्यक विधेयक है और केवल १२, १३ सदस्य बैठ कर इस पर विचार करें।

*श्री कैलाशप्रकाश—

अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तावक महोदय ने जो संशोधन दिया है उसका आशय यह प्रतीत होता है कि महिलाओं की शिक्षा बढ़े । जहां तक उनके आशय का सम्बन्ध है उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं । मैं भी यह समझता हूं कि प्रदेश तथा समाज का विकास करने के लिये और नये समाज का निर्माण करने के लिये यह आवश्यक है कि महिलाओं की शिक्षा बढ़े । माननीय सदस्यों को यह ज्ञात भी है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा बढ़ाने के लिये विशेष तौर से क्या क्या कदम उठाये गये हैं । प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं को शिक्षा देने के लिये बहुत सी सुविधायें दी गयीं और १० वीं कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा का भी बालिकाओं के लियें प्रबन्ध कर दिया गया है । लेकिन मैं इससे बिलकुल सहमत नहीं हूं कि जो विचारधारा डाक्टर साहब ने प्रथम विश्वविद्यालय कायम करने की रखी । वास्तव में जो भी समाज विकसित हैं और आगे बढ़ रहे हैं वहां महिलाओं और पुरुषों का पृथककरण आवश्यक नहीं है और देखा भी नहीं जाता । जिस तरह से पुरुष किसी क्षेत्र में काम कर सकता है उसी तरह से महिला भी उस क्षेत्र में काम कर सकती है । यह संभवत: प्रस्तावक महोदय ने भी संकेत किया है कि पिछड़ेपन की निशानी है, कुछ रूढ़ियां, संकीर्णता और परिपाटी इस चीज में बाधा डालती है । वैसे ही प्रसार के नाम पर हम उतनी संस्थायें नहीं खोल पा रहे हैं जितनी संस्थाओं की आवश्यकता है और यदि बालक तथा बालिकाओं के लिये पृथक पृथक प्रबन्ध किया जाय तो कम से कम दुगनी संस्थाएं हर स्तर पर खोलने की आवश्यकता होगी । एक तो निर्धनता के कारण हम एक एक संस्था भी हर स्तर पर नहीं खोल पायें, एक एक संस्था को इतना धन और साधन उपलब्ध नहीं करा पाये जितनी आवश्यकता है । दूसरी ओर हम एक परिपाटी कायम करें, और चालू करते रहें कि जहां एक ही क्षेत्र में, एक ही काम के लिये दो संस्थायें खोलनी पड़े तो मैं समझता हूं कि यह व्यावहारिक भी नहीं है और सिद्धान्त भी ठीक नहीं है ।

जिस कमीशन की रिपोर्ट की चर्चा प्रस्तावक महोदय ने की है और जिस पृष्ठ का उन्होंने हवाला दिया है, मैंने भी उसे देखा है । पृष्ठ १२० का उन्होंने हवाला दिया था जिसमें कि मूथम कमेटी ने जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में बैठी थी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की व्यवस्था और दशा पर, अपनी रिपोर्ट दी है । उसका कुछ उद्धरण इस कमीशन ने किया है । जब विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा है और उन्होंने विचार प्रदर्शित किया तो प्रस्तावक महोदय ने, एक ही महत्वपूर्ण जो उसका वाक्य था, उसको नजरंदाज कर दिया मालूम होता है । कमेटी ने यह कहा था कि विश्वविद्यालमों को बिना किसी भ्रम के स्पष्टतया इस बात को कह देना चाहिये कि वह सह-शिक्षा के पक्ष में हैं क्योंकि वहाँ कुछ थोड़ा सा एक अलहैदा से महिला विभाग स्थापित था और उसके स्थापित होने पर उनको यह बात महसूस हुई कि यह सह शिक्षा को यहां कुछ उदासीनता के साथ देखा जाता है । इसलिये बहुत जोरों के साथ उन्हों ने इस बात का समर्थन किया, संस्तुति की कि अनइक्विवोकली स्पष्टत: यह कह देना चाहिये कि हम यह सह शिक्षा के पक्ष में हैं और वह चलनी चाहिये । यह बात उन्होंने जरूर कहा है कि हमारी सामाजिक दशा कुछ ऐसी है और हमारा सामाजिक व्यवहार अभी कुछ ऐसा है जिसमें यदि आवश्यकता हो तो महिलाओं की शिक्षा के लिये पथक से प्रबंध किया जाय और इसी सिलसिले में उन्होंने उद्धरण दिया है जिसकी चर्चा प्रस्तावक महोदय ने की है । यह वहां के महिला कालेज के विषय में है । यदि विश्वविद्यालय में महिला कालेज की दशा अच्छी नहीं है, यदि वहां अधिक साधनों की आवश्यता है, यदि उसमें अधिक सुविधायें देने की आवश्यकता है तो वह प्रश्न बिलकुल अलहैदा से है । कानपुर में एक महिला विश्वविद्यालय स्थापित करके अधिक सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है और अधिक धन नहीं जुटाया जा सकता है । कोई अधिक इस रूप में वहां संस्था स्थापित नहीं हो सकती है । एक तरीके से एक महिला विश्वविद्यालय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कैलाशप्रकाश]

पृथक रूप से कायम किया जाय तो जिस उद्देश्य को लेकर माननीय प्रस्तावक महोदय ने संशोधन रखा है, उसके विपरीत वह जायगा । आज हम जब सह-शिक्षा का सिद्धान्त मानते हैं और उसको प्रोत्साहन देते हैं तो कम से कम उन जगहों पर जहां और विद्यालय नहीं हैं, जहां दोहरी संस्थायें भी नहीं हैं, वहां भी कुछ बालिकायें उन संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं ।

जब यह भावना प्रदर्शित कर दी जाये और इस भावना की पृथक व्यवस्था हो और इन उद्देश्यों को रहना चाहिये तो मुझे इस बात की आशंका प्रतीत होती है और मैं इस बात का थोड़ा अनुभव भी कर चुका हूं कि यह प्रथक्करण फिर स्थायित्व की ओर चला जाता है । एक ओर प्रायमरी शिक्षा की ओर देखिये, हमने उस ओर प्रगति की है, हमें उसकी प्रसन्नता है और सन्तोष भी है और हमारी जो कल्पना थी, हमारा जो एक विचार इस तरीके का था कि प्रायमरी शिक्षा की पाठशालाओं में भी पृथक बालक और बालिकाओं के विद्यालय खोले जायं और चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसी चीज सही नहीं दिखाई दी ।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)--

लेकिन आप पृथक-पृथक स्कूल खोलते तो जाते हैं ।

श्री कैलाशप्रकाश--

हां, हम खोलते अवश्य जाते हैं क्योंकि कई जगह लोग इस चीज का समर्थन करते हैं कि बालिकाओं के विद्यालय बालकों से अलग खुलने चाहिये । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक ओर तो यह माननीय सदस्यों का विचार है कि इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिये और इसका प्रयोग ऊंचे के स्तर पर भी होना चाहिये । दूसरी ओर हमने इस बात का प्रयास किया और व्यवस्था की और कठिनाई होने के कारण यह भी, किया । प्रायमरी शिक्षा में अलग अलग व्यवस्था करने पर अध्यापिकाएं नहीं मिलती हैं और अध्यापिकाएं न मिलने से यदि उनके स्थान पर पुरुष अध्यापक रखे जाते हैं तो पृथक शिक्षा जिस कारण रखी गयी है वह उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है । अतः हमने इस बात को स्वीकृति दी है कि बालकों के विद्यालय में बालिकाएं भी पढ़ा करें और इसके साथ-साथ यह भी है कि लोगों ने बालिकाओं को बालिकाओं के स्कूल में न भेजकर बालकों के स्कूल में भेजना अच्छा समझा है । तो हमने पांचवी कक्षा तक एक तरीके से कह दिया है कि बालिकाओं के स्कूल में बालक भी आना चाहें तो वे आवें । महिला अध्यापिकाओं को रखना चाहिये बालिकाओं के विद्यालय में किन्तु यदि महिला अध्यापक नहीं मिल सकती हैं तो जो ऊंची उम्र के पुरूष अध्यापक हों उन्हे रखना चाहिए ।

मैं डाक्टर साहब से कह रहा था कि हमें इस दिशा में सोचना चाहिये और इस दिशा को प्रोत्साहन देना चाहिये । हम जिन देशों को अपनी नजर में पिछड़ा हुआ समझते हैं जबकि वह आज के जमाने में पिछड़े हुए नहीं हैं । सह शिक्षा की व्यवस्था में कुछ शिकायतें आ जाने से ही हम तमाम समाज की एक कल्पना कर लें और जिस ओर जाना चाहते हैं उस ओर न जाकर विपरीत दिशा में भटक जायें तो वह ठीक नहीं होगा । तो जिस तरीके की व्यवस्था में हम चलते हैं, खासकर समाजिक क्षेत्र में, उसमें बहुत क्रान्तिकारी कदम एक दम से नहीं उठाया जा सकता है । हम एक दम से यह कह दें कि हम बालिकाओं के विद्यालय पृथक नहीं चलायेंगे यह उचित नहीं होगा । इसी प्रकार यह कहना कि हम महिलाओं के लिये एक विश्वविद्यालय स्थापित कर देंगे और वह सामान्य रूप से विश्वविद्यालय स्थापित कर देने से हम सम्भवतया पृथक्करण की भवना को स्थायित्व देंगे जो हमारे लिये अच्छी नहीं हो सकती है । जहां तक महिलाओं की शिक्षा को सुविधा देने का प्रश्न है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं । माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी जहां बालिकाओं की भी शिक्षासंस्थाएं हैं, जिनको अनावर्तक अनुदान दी जाती है उनको ५०-५० की बेसिस पर आवर्तक अनुदान देते हैं अर्थात् ५० प्रतिशत

मेनेजमेंट लगाये और ५० प्रतिशत गवर्नमेंट दे। लेकिन बालिकाओं की संस्थाओं के लिये ७५ फीसदी सरकार देगी और २५ फीसदी मेनेजमेंट, यह सब स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन देने के लिये है। हाईस्कूल मान्यता प्राप्त बालिकाओं की शिक्षा संस्थाओं को की मान्यता प्राप्त होते ही आवर्तक अनुदान मिलने लगता है, आसानी से मिलने लगता है जब कि बालकों की माध्यमिक शिक्षासंस्थाओं को इसमें कुछ साल तक इंतजार करना पड़ता है। हमारा प्रयास बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं को जितनी जल्दी हो सके उतनी अनावर्तक अनुदान देने का रहता है। इसी तरह की विविध सुविधायें दी जायं यह हमारा विचार है जिससे बालिकाओं की शिक्षा में प्रगति हो। शासन की नीति यह है कि हम अपने प्रदेश में जो सामान्यतः शिक्षा में और विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा में पिछड़े हैं उसको प्रोत्साहन दें। किन्तु मैं प्रस्तावक महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोत्साहन देने का अर्थ यह नहीं है कि हम पृथक से उनके लिये विश्वविद्यालय स्थापित कर दें। और यदि हम विश्वविद्यालय पृथक से उनके लिये बनायें तो वह अपना क्षेत्र बना नहीं सकती। आपका यह प्रस्ताव है कि कानपुर विश्वविद्यालय को महिला विश्वविद्यालय बना दें। मैं तो नहीं जानता किन्तु मेरा खयाल है कि सम्भवतः आपका यह संशोधन इस विधेयक में कानूनी ढंग से ठीक आ भी नहीं सकता इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार तो करता भी नहीं हूं किन्तु प्रस्तावक महोदय से कहना चाहता हूं कि यह उनके उद्देश्य से जिससे मैं पूर्णतया सहमत हूं कि हमारे यहां महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन मिले किन्तु मैं यह समझता हूं कि यह तरीका ठीक नहीं है और हम अपने लक्ष्य की ओर इससे नहीं पहुंचते हैं बल्कि मेरे विचार से उसके कारण एक बाधा उत्पन्न होगी और इसलिये मैं संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री रघुनाथसिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा मंत्री जी के उत्तर को मैंने ध्यानपूर्वक सुना। यह मैं स्वयं मानता हूं कि इस प्रदेश में स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में हमारे मंत्री जी बहुत जागरूक हैं और नीति के बारे में भी कोई भ्रम नहीं हो सकता। मंत्री जी ने मूथम कमेटी के सम्बन्ध में एक बात कही कि उसने सहशिक्षा का समर्थन किया है। मैं तो स्वयं सहशिक्षा का समर्थन करता हूं लेकिन यह निवेदन करता हूं कि मूथम कमेटी ने जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विषय में बनायी गयी थी कहा है कि उसके अन्तर्गत जो वीमेंन्स कालेज है उसमें बहुत दुर्व्यवस्था है और उसकी रिपोर्ट की उपेक्षा हुई है। जब राष्ट्रनायक नेहरू के जन्मस्थान के विश्वविद्यालय की यह स्थिति है तो फिर दूसरे स्थानों में स्त्री शिक्षा में कितनी बाधा उपस्थित होगी, सहज अनुमान की बात है। आपने कहा कि अगर स्त्री विश्वविद्यालय अलग से बनेगा तो स्त्री और पुरूषों के अलग-अलग शिक्षालयों की समानान्तर व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह बात तो तब होती जब अपने राज्य में केवल एक ही विश्वविद्यालय होता। अपने राज्य में कई विश्वविद्यालय हैं और उनके अपने-अपने कालेजों में अलग-अलग फैकल्टीज, अलग-अलग पाठ्यक्रम और अलग अलग स्तर की व्यवस्था है तब यह कहना उचित नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य में स्त्री शिक्षा के लिये पूर्णतया उत्तरदायित्त वाली कोई ऐसी उच्चस्तरीय शिक्षण संस्था है? स्त्री शिक्षा के कुछ अपने विषय हैं जैसे होम साइंस, शिशु विज्ञान, होम ऐडमिनिस्ट्रेशन, और भी बहुत से ऐसे विषय हैं जिनपर अगर आप अपने विश्वविद्यालययों में ध्यान दें और कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ें तो मालूम होगा कि उन कमीशन की रिपोर्ट में बराबर स्वीकार किया गया है कि हमारे विश्व-विद्यालय स्त्री सम्बन्धित फैकल्टी में, उनके पाठ्क्रम बनाने में, उनका स्तर ऊंचा बनाये रखने में बहुत ही लापरवाही बरतते हैं। अगर मैं सत्य कहता हूं और यह बात सही है तो मेरा निवेदन यह है कि इनके शिक्षा के स्तर को, विशेषकर स्त्री सम्बन्धित जो विषय हैं उनके स्तर को ऊंचा करने के लिये कोई जिम्मेदार विश्वविद्यालय हो जिसका उप कुलपति और प्रबंधकारिणी समिति इस चीज को देखे। अतः यदि स्त्री शिक्षा के स्तर को ऊंचा कर लिया जाता और इस प्रकार का आप कोई विधेयक इसमें संशोधन कर लेते तो अच्छा था। यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट वीमेंस एजूकेशन के अंतिम पैराग्राफ में यह कहा गया है कि इंग्लैन्ड और अमेरिका जैसे प्रगतिशील देश वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले देश स्त्री और पुरूषों में असमानता देखते हुए अपनें यहां आज भी

[श्री रघुनाथसिंह]

स्त्रियों की अलग शिक्षा दिये जाने को अस्वीकार नहीं कर पाते हैं । जब कि हमारी परम्परायें वैसी ही चल रही हैं और समाज की मान्यताओं में फर्क नहीं पड़ रहा है । भारतीय समाज को प्रगतिशील बनाने के लिये किस प्रकार क्या किया जाय यह प्रश्न है । सह शिक्षा के सम्बन्ध में १०, १५ वर्ष के लिये इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोई सुधार नहीं कर सका । आगरा नहीं कर सका और लखनऊ भी नहीं कर सका ।

कौन उस व्यवस्था को करेगा ? यह सोचने की बात है और इसी दृष्टीकोण से विश्वविद्यालय कायम किये गये हैं । राधाकृष्णन् कमीशन रिपोर्ट और मूथकमेटी रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि स्त्री सम्बन्धित जो फैकल्टी है, उनके पाठ्क्रम निर्धारण में और उसको ऊंचा रखने में लापरवाही बरती गई है । इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये । एक बात मैं आपकी मान सकता हूं कि इस संशोधन विधेयक में कोई वैधानिक अड़चन होगी । अगर कोई वास्तविक इस प्रकार की कठिनाई है तो मुझे संशोधन वापस लेने में आपत्ति नहीं है लेकिन मैं अपने मंत्री जी से यह कहूंगा कि स्त्री शिक्षा को ऊंचा करने की ओर विश्वविद्यालय कहां तक जागरूक हैं और रिपोर्ट में जो त्रुटियां बताई गई हैं उनको पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं इसकी देख रेख के लिये आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी । इन सारी परि. स्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये जिससे को स्त्रीशिक्षा के सम्बन्ध में जिम्मेदारी ले सके और इसको ऊंचा कर सके जिससे आगे चलकर कुशल अध्यापिकायें और प्रिन्सिपल व्यापक रूप से मिल जांय और शिक्षा व्यापकरूप से चलाई जाय । क्या राधाकृष्णन् कमीशन ने यह संस्तुति नहीं की थी कि जहां सहशिक्षा है वहां प्राध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय ? क्या किसी विश्वविद्यालय ने इसपर ध्यान दिया ? क्या यू० पी० यूनिवर्सिटीज कमीशन ने राधाकृष्णन् कमीशन की सिफारिशों की उपेक्षा का खेदजनक ढंग से उल्लेख नहीं किया है ? यही कारण है कि स्त्री शिक्षा की अधोगति हो रही है । मेरा यह निवेदन है कि हमारे मंत्री जी जागरूक हैं, इन त्रुटियों की ओर उनका ध्यान जाना चाहिये, लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं फिर आप से यह निवेदन करूंगा कि अगर इस विधेयक में, इसके नाम में यह सामान्य संशोधन नहीं किया जा सकता इस प्रकार की आपकी व्यवस्था हो जाय तो मैं अपना संशोधन वापस लेने को तैयार हूं और उस के लिये व्यर्थ ही आग्रह नहीं करूंगा, किन्तु यदि यह संभव है तो प्रदेश में स्त्री शिक्षा की उन्नति के लिये मंत्री जी इसे मानने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी और आपकी भावना समान रूप की है और वह मानते भी हैं कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिये, लेकिन यदि आप संशोधन को वापस ले लें तो ही अच्छा होगा ।

श्री रघुनाथसिंह--

कहने से तो काम नहीं चलता । कोई ठोस व्यवस्था होनी चाहिये, इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है ।

श्री कैलाशप्रकाश--

अधिष्ठाता महोदय, मुझे कुछ कहना नहीं है । यह ठीक है कि जो कमीशन या कमेटियां बैठी हैं उन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया है और संस्तुतियां की हैं जिन से स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिले और यह होना चाहिये लेकिन डाक्टर साहब का ज्यादा अध्ययन है, फिर भी मैंने कोई संस्तुति ऐसी नहीं देखी कि महिलाओं का विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय सामान्य शिक्षा के लिये । हमारे प्रदेश में दो प्रकार के विश्वविद्यालय हैं । एक वह हैं जो विशेष रूप से एक विशेष कार्य के लिये स्थापित हुए हैं जैसे रुड़की का इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, वाराणसी का संस्कृत विश्वविद्यालय और रुद्रपुर का कृषि विश्वविद्यालय । उनका एक विशेष क्षेत्र है

और उन में वे कार्य करते हैं। वहां पुरुष तथा महिलाओं का कोई विभेद नहीं है। जहांतक सामान्य शिक्षा का प्रश्न है उसमें विश्वविद्यालय स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिये शिक्षा की व्यवस्था करते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

कोरम नहीं है। आप कृपया बैठ जायं।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी।)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, कब तक घंटी बजती रहेगी.....

श्री अधिष्ठाता--

घंटी जब तक कोरम नहीं होता बजती रहती है। किन्तु मैं शासक-दल से कहूंगा कि ऐसी व्यवस्था करें कि ५-७ मिनट तक कोरम के लिये घंटी न बजानी पड़े, यह भद्दा लगता है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सामान्य शिक्षा के लिये हमारे यहां विश्वविद्यालय हैं और वह क्षेत्रों से संबंधित हैं। महिलाओं के लिये और पुरुषों के लिये पृथक-पृथक विश्वविद्यालय नहीं हैं। प्रस्तावक महोदय ने यह भी कहा कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में तो विद्यालय पृथक पृथक हैं, लेकिन विश्वविद्यालय नहीं हैं। कल को यह भी कहा जायेगा कि महिलाओं के लिये बोर्ड भी अलग-अलग हो। तो जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, कुछ काम हमें मजबूरी में भी करना पड़ता है। हमको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये कि हमारी विचारधारा ही वैसी बन जाय। इसलिये, श्रीमन्, मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। हां, यह बात है कि महिलाओं की शिक्षा के लिये जो भी प्रोत्साहन सम्भव हो, वह दिया जाना चाहिये और वह हम देने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे प्रदेश में एक प्रादेशिक महिला शिक्षा परामर्शदात्री समिति भी है जिसका केन्द्र से भी सबंध है। वे यदाकदा मिलते रहते हैं, और प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के बारे में सुझाव भी देते रहते हैं। गोष्ठियां भी होती रहती हैं। इसके फलस्वरूप प्रगति भी हुई है। अगर प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा नहीं बढ़ेगी तो वह विश्वविद्यालयों से भी बढ़ने वाली नहीं है। किन्तु प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रगति हुई है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में हमारा लक्ष्य यह था कि ४२ फीसदी बालिकायें हमारे विद्यालयों में ६ से ११ वर्ष की आयु तक की आने लगें। वह लक्ष्य आर्थिक साधनों की कमी के कारण ३८ फी सदी कर दिया गया था। लेकिन हम करीब ५०-५२ प्रतिशत के बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच गये हैं। जब प्राइमरी शिक्षा बढ़ेगी तो आगे भी बढ़ेगी। यह सही है कि हम बहुत जूनियर स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं, यद्यपि बालिकाओं के जो जूनियर स्कूल अच्छे खुलते हैं उनको सहायता देने का प्रबन्ध है जो बालकों के लिये नहीं है। लेकिन बालिकाओं के लिये क्रमोत्तर कक्षायें चलाने की विशेष योजना रखी गई है। ५वीं कक्षा पास करने के बाद जो पाठशालायें बालिकाओं के लिये आगे की कक्षा चलाती हैं उन्हें सरकार सहायता देती है। तो प्रस्तावक महोदय के और शासन के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं है। मतभेद केवल इतना है कि इस संशोधन के स्वीकार करने से हम उस लक्ष्य की ओर नहीं जाते हैं बल्कि मुझे आशंका होती है कि उसके दूसरी ओर जाते हैं। मुझे आशा है कि डाक्टर साहेब इस संशोधन को वापिस ले लेंगे क्योंकि उससे आगे के भी बहुत से संशोधन वापिस हो जायेंगे।

श्री रघुनाथसिंह--

हमारी बात को काटनेवाली कोई बात मंत्री जी ने नहीं कही। तो फिर इस संशोधन को मान ही लें।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में "कानपुर" और "विश्वविद्यालय" शब्दों के बीच " महिला" शब्द जोड़ दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

श्री रघुनाथसिंह--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) की तीसरी पंक्ति में अशुद्ध शब्द " एतदपश्चात्" को शुद्ध रूप में " एतत्पश्चात्" लिख दिया जाय । यह शब्द "एतद्" है.....

श्री अधिष्ठाता--

हमारे नियम १४९ में है कि शाब्दिक संशोधन किसी भी स्टेज पर हो सकते हैं । सचिवालय कर सकता है ।

श्री रघुनाथसिंह--

मुझे दुख है कि आपकी मंशा के विरोध में मुझे बोलना पड़ रहा है । अगर असावधानी की यह भूल होती तो संधि बनाई ही नहीं गई होती । अगर माननीय मंत्रीजी मान लेते हैं कि यह अशुद्ध है तो ठीक है ।

श्री कैलाशप्रकाश--

जैसा आपने कहा, यदि यह शाब्दिक अशुद्धि है तो ठीक कर दी जायगी । वैसे मैं भाषा का पंडित तो नहीं हूं, लेकिन डाक्टर साहब की बात सही प्रतीत होती है । मैंने इसमें राय नहीं ली है, इसलिये यही मुनासिब होगा कि अधिष्ठाता महोदय इसे देख लें कि कौनसा शब्द सही है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

डाक्टर रघुनाथसिंह ने जो संशोधन रखा है उसका एकमात्र कारण यही है कि यह विधेयक शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसका संचालन माननीय मंत्रीजी कर रहे हैं । शिक्षा विभाग के विधेयक में इस प्रकार की अशुद्धि रहना विशेष रूप से अच्छी चीज नहीं है । जब माननीय शिक्षा मंत्रीजी भी मानते हैं कि अशुद्ध है तो कोई कारण नहीं है कि डाक्टर साहब का संशोधन न माना जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

शिक्षा मंत्रीजी ने कहा कि यदि यह ठीक होगा तो संशोधन कर लेंगे ।

श्री रघुनाथसिंह--

हिन्दी की स्पैलिंग के बारे में तो हमारे विभाग को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिये । मंत्रीजी स्पष्ट कहें कि यह अशुद्धि है और आश्वासन दें कि ठीक कर ली जायगी । तब तो ठीक है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपकी बात सही होगी तो इस प्रकार का संशोधन नियमों के अनुसार कर दिया जायगा ।

श्री अधिष्ठाता--

मेरी समझ से इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है । इसलिये मैं सारे खंड को रखता हूं..... (व्यवधान)..... इसको मैं अवैध घोषित कर रहा हूं..... (व्यवधान)..... . इसलिये कि नियम १४९ में यह व्यवस्था है किअगर यह व्याकरण

को गलती होगी और माननीय मंत्री जी ने भी इसका आश्वासन दिया है, तो यह शुद्ध हो जायगी और इसके बारे में आप लोगों की बातें सुन ली गई हैं ।

श्री रघुनाथसिंह--

तो मैं यह चैलेंज करता हूं कि कोई भी विधेयक आप लाइए उसमें भाषा संबंधी और व्याकरण संबंधी, वर्ण-विन्यास संबंधी अशुद्धि में दिखा दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

खण्ड ४

प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा सम्बद्धता

४--(१) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, कानपुर विश्वविद्यालय को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग इलाहबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर-खीरी और बाराबंकी के जिलों में जिसके अन्तर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र नहीं हैं, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय सम्मिलित क्षेत्रोंमें किया जायगा, और इसी प्रकार मेरठ विश्वविद्यालय को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलन्दशहर, और देहरादून के जिलों में, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय सम्मिलित क्षेत्रों में किया जायगा ।

(२) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में उपधारा (१) के अधीन निर्दिष्ट क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के पूर्व अनुमोदन के बिना तदर्थ कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जायगी ।

(३) कानपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर अथवा इलाहाबाद विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय की सीमाओं के भीतर स्थित कालेज, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, ऐसे दिनांक से जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे, कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समझे जायेंगे और विभिन्न कालेजों के लिए विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं । मेरठ विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर स्थित कालेज, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों, ऐसे दिनांक से, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे, मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समझे जायेंगे और विभिन्न कालेजों के लिए विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं ।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ (१) के अन्त में यह और जोड़ दिया जाय--

"कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय केन्द्र स्थानों में शिक्षण कार्य का भी नियमित प्रबन्ध रहगा ।"

[श्री सत्यनारायण पांडेय]

आप खंड ४ का (१) पढ़ें तो उससे यह मालूम होगा कि यह विश्वविद्यालय जो खुल रहे हैं कानपुर और मेरठ में यह एक संबद्धता वाले विश्वविद्यालय होंगे, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज होंगी। हम यह नहीं कहते कि आप इस स्वरूप को न रखें। इसका जो संबद्ध करने वाला स्वरूप है उसको आप रखें। बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली आदि के कालेजेज इनसे एफिलिएट हों, इसमें कोई मुझे एतराज नहीं है। लेकिन कानपुर और मेरठ में पढ़ाई की भी व्यवस्था हो, टीचिंग यूनिवर्सिटी का भी स्वरूप वहां पर हो यह मेरा संशोधन है। इसके बारे में ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जनरल डिबेट में काफी इस पर प्रकाश डाला जा चुका है। इधर के और उधर के सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह सम्बद्धता वाला विश्वविद्यालय खोलकर आप प्रदेश को दो नये विश्वविद्यालय नहीं दे रहे हैं बल्कि विश्वविद्यालय का छद्म रूप आपने दिया है। आगरा विश्वविद्यालय की परीक्षायें होती थीं, उसका बोझ आपने थोड़ा हल्का कर दिया है इन को खोलकर। जो आन्दोलन कानपुर या मेरठ में हुए हैं या जो प्रदेश में विश्वविद्यालय खोलने के लिये आन्दोलन होते हैं वह टीचिंग यूनिवर्सिटी जहां पढ़ाई का भी समुचित प्रबन्ध हो, अच्छे योग्य प्राध्यापक जहां आयें, लोगों को रिसर्च की सुविधा रहे, अच्छे अच्छे शिक्षाविद् जहां तैयार किये जायें, यह सारा उद्देश्य विश्वविद्यालय का होता है। इसके बारे में मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। कानपुर की जो महिला सदस्या हैं सुशीला जी उन्होंने भी यह मांग की थी कि वहां पर विश्वविद्यालय खुले तो ऐसा खुले कि जहां पर पढ़ाई की भी व्यवस्था हो। यदि आपको मेरे इस संशोधन को स्वीकार नहीं करना है तो मैं तो यही कहूंगा कि आप इस बिल को वापस ले लें। हमारा संशोधन यही है कि मेरठ और कानपुर जो केन्द्र के स्थान हैं वहां पर पढ़ाई की समुचित और पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। विश्व विद्यालय खोलने का जो अभिप्राय और प्रयोजन होता है वह यही होता है कि सही माने में लोगों को शिक्षा मिल सके। अगर, आप इसको नहीं करते हैं तो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के नाम पर इस पर इतना अधिक रुपया लगाना आपका बेकार है इसलिये आप इस विधेयक को वापस ले लें। विश्वविद्यालय खोलने के लिये जनता ने जो आन्दोलन किया है, और उनकी जो मांग है, यदि आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो इस विधेयक को वापस ले लें, नहीं तो मेरे संशोधन को स्वीकार कीजिये। यदि आप कहीं धनाभाव की वजह से ऐसा कर रहे हों तो आप इसको अपने ध्यान में रखें कि कानपुर ऐसा स्थान है जहां पैसे की कमी नहीं होगी। आपको इसके लिये पैसा मिलेगा, इसलिये आप इस शुभ कार्य को शुरू कीजिये और मेरे इस संशोधन को स्वीकार कीजिये।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मैं श्री सत्यनारायण पांडेय जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। मुझे ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि इस बिल के संबंध में उन्होंने काफी प्रकाश डाला, है, परन्तु इतना मैं माननीय मंत्री महोदय से अवश्य निवेदन करूंगी, जैसा कि माननीय सत्यनारायण पांडेय जी ने कहा कि कानपुर के नाम पर अलग से यूनिवर्सिटी का होना जरूरी है और जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी होती है वह पूरी तरह से यूनिवर्सिटी नहीं कहलाती है। इस बिल का नाम आपने कानपुर यूनिवर्सिटी विधेयक रखा है। जब आपने यहां टीचिंग की कोई सुविधा नहीं दी है तो अच्छा होता कि इस बिल का नाम आप "आगरा यूनिवर्सिटी डिसेंट्रलाइजेशन विधेयक" रखते क्योंकि यह सिर्फ आगरा यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक कार्य को हल्का करने के लिये लाया गया है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यूनिवर्सिटी बनाने का जो अभिप्राय होता है वह सिर्फ यही नहीं है कि शिक्षा का प्रसार हो बल्कि यह भी है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाय। मैं अपने मंत्री महोदय से नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहती हूं कि अगर वे धनाभाव के कारण शुरू के दो वर्ष तक कानपुर यूनिवर्सिटी में शिक्षण की व्यवस्था नहीं कर सकते तो कम से कम वे इसका हमें आश्वासन ही दे दें कि दो, तीन वर्ष के अन्दर वे कानपुर में पूरी शिक्षण यूनिवर्सिटी स्थापित करने की कृपा करेंगे।

*श्री राधेश्याम शर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं तो न इस संशोधन पर ज्यादा समय लेने की बात करता हूं और न मैं समझता हूं कि इस पर विवाद हो सकता है। जिस वक्त मैंने और मेरे भाई सत्य नारायण पांडेय जी ने यह संशोधन दिया तो बड़ा सोच समझ कर ही यह संशोधन दिया और हमने यह समझा कि इसको मानने में माननीय मंत्री जी को कोई आपत्ति न होगी। इसलिये न होगी कि अगर यह टीचिंग यूनिवर्सिटी न हो तो मैं इस यूनिवर्सिटी के खोलने का कोई औचित्य ही नहीं समझता। मेरठ और कानपुर में यूनिवर्सिटी के खोलने की बड़ी भारी मांग बहुत दिनों से है। मैं पश्चिमी जिलों की बात कहता हूं कि वहां के सारे कालेज आगरा यूनिवर्सिटी से ऐफिलिएटेड हैं, इम्तहान वगैरह तो हो ही जाता है, उसमें तो कोई कठिनाई की बात होती नहीं और मैं समझता हूं कि आज तक आगरा यूनिवर्सिटी में इम्तहान के सिलसिले में कोई कठिनाई की मिसाल तो आपको मिली नहीं है। अब प्रश्न यह है कि आगरा के मुकाबले में दोनों यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थी जाकर अच्छी तरह से पढ़ सकें और जब तक इन यूनिवर्सिटीज में यह काम नहीं होगा तब तक जितना भी पैसा आप इन पर खर्च करते हैं वह सब बेकार जायगा। सब लोग तो यही समझते हैं कि मेरठ और कानपुर में यूनिवर्सिटी खुल रही है लेकिन इस विधेयक को पढ़ने से मालूम होता है कि सरकार यूनिवर्सिटीज नहीं खोल कर कुछ ऐफिलियेटेड कालेजों को केवल इम्तहान के लिये उनसे सम्बद्ध कर देना चाहती है। इस तरह से इस विधेयक का जो मंशा है वह बिलकुल समाप्त हो जाता है। यह कोई विवादग्रस्त बात नहीं है। जैसा कि माननीय सत्यनारायण पांडेय जी ने कहा कि इसमें कुछ लोगों की नियुक्तियां वगैरह करने का प्रविधान है, लेकिन मैं आप की मंसा पर कोई शक नहीं करता और उस सम्बन्ध में कुछ कहना भी अच्छा नहीं समझता क्योंकि यह अच्छी बात नहीं है।

जहां तक नियुक्यिों की बात है वह होती रहती हैं और होती रहेंगी। पर यहां पर मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आप दो यूनिवर्सिटीज जरूर खोल दें जिससे अध्यापन का कार्य ठीक प्रकार से चल सके, और आज जो विद्यार्थियों को एडमीशन नहीं मिलता है, इन दो यूनिवर्सिटीज के खुल जाने से उनको एडमीशन में आसानी हो सक। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इन दो यूनिवर्सिटीज को टीचिंग यूनिवर्सिटी का भी दर्जा अवश्य देंगे।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप जरा बैठ जायं। कोरम का पुनः अभाव हो गया है।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मुरलीधर कुरील--

मैं इसलिये इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि जब माननीय कमलापति त्रिपाठी इस विभाग के मंत्री थे और आज जो शिक्षा मंत्री हैं वे शिक्षा उपमंत्री थे, तब इसी सदन में एक गैर सरकारी प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया था कानपुर में विश्वविद्यालय खोलने के बारे में। तब माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि अब तक जो विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, उनमें जो कमियां हैं, वे कमियां जब कानपुर विश्वविद्यालय खोला जायगा, पूरी कर दी जायंगी वे कमियां नहीं रहेंगी। लेकिन इस विधेयक को देखने के बाद पता चलता है कि अब तक जो विश्वविद्यालय खुले हैं उनसे आगे बढ़ाया हुआ कदम नहीं दिखायी पड़ता है। इस तरह का विश्वविद्यालय खोलने से मेरा खयाल है कि कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये यह संशोधन बहुत ही आवश्यक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुरलीधर कुरील]

कानपुर आजकल एक बहुत बड़ा शिक्षा का कन्द्र हो गया है। वहां पर कई शिक्षा संस्थायें जैसे आई० आई० टी०, हारकोर्ट बटलर टेक्नोलाजीकल इंस्टीट्यूट, और कृषि कालेज आदि हैं। इनको भी यहां पर स्थापित यूनिवर्सिटीज से संबद्ध करने की बात होनी चाहिये। लेकिन इसकी व्यवस्था भी इसमें नहीं है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए और उस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, जो माननीय शिक्षा मंत्री ने पहले दिया था, यह संशोधन बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसको स्वीकार कर लें।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि जब आपको एफिलियेशन ही करना था तो इससे क्या परपज हल होने वाला है सिवाय इसके कि कुछ जिलों को इधर से उधर कर दिया जायगा। मेरा ऐसा खयाल है कि इसमें बहुत खर्च की बात भी नहीं है। जैसा कि माननीय मुरलीधर कुरील ने कहा कि कानपुर आलरेडी एक बहुत बड़ा एजूकेशन का सेन्टर बन चुका है। कानपुर में इंजीनियरी के कालेजेज हैं, अब तो एरोप्लेन की इंजीनियरिंग भी खुलने जा रही है। सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कालेज वहां का है, मेडिकल कालेज में भी वहां नये-नये विभाग सब से अधिक हैं, शायद यू० पी० में इतने कहीं नहीं हैं। वहां पालीटेकनिक और एच० बी० टी० आई० आदि के केन्द्र प्रदेश भर में हैं। तब फिर उस को क्यों इस तरह से रखा जा रहा है और मंत्री जी का इस से क्या मकसद है और कितने रुपये की इस तरह से बचत होगी। इसलिये मैं इस संशोधन के साथ हूं कि मेरठ और कानपुर को अलग एक ही यूनिवर्सिटी रखें।

(इस समय २ बजकर ३० मिनट पर अधिष्ठाता। श्री रामायण राय पीठासीन हुये।)

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने सदन में दोनों तरफ के विचारों को सुना है और उन्हें समझने की कोशिश की है परन्तु मुझे ऐसा नजर आता है कि इस बिल की असलियत हमारे सदन की उपस्थिति से साफ जाहिर होती है और जो तथ्य इस बिल में है और जो यहां इस समय उपस्थिति है वह दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से नाप कर उसकी असलियत को बताती हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री जी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे होंगें और उन्हें मालूम होगा कि यूनिटरी यूनिवर्सिटी और इस तरह की एगजामिनिंग बाडी में क्या अंतर होता है। पुराने जमाने में हमारी जो यह आगरा यूनिवर्सिटी एगजामिनिंग बाडी रही है उसने गरीबों के बच्चों की बड़ी भारी मदद की है और जिन को यूनिवर्सिटी एजूकेशन लेने की सहूलियत नहीं थी, जिन के पास पैसे की कमी थी या बहुत से लोग जो टीचर हो जाते थे वह आज भी आगरा यूनिवर्सिटी से परीक्षा देते हैं और वह ग्रजुएट और पोस्ट ग्रजुएट हो जाते हैं, इस तरह से उस ने बड़ी भारी सर्विस की। लेकिन आज तो जमाना प्लानिंग का है और एजूकेशन को सबसे पहले प्लन्ड होना चाहिये। जिस समाज का और राष्ट्र का दिमाग प्लाण्ड तरीके से नहीं सोच सकता वह न आगे बढ़ सकता है और न भविष्य की बात कर सकता है, मैं समझता हूं कि ऐसे जमाने में कोई भी शिक्षादीक्षा प्लाण्ड तरीके पर ही होनी चाहिये।

जब हमारे मंत्री जी ने यह बिल यहां इन्ट्रोड्यूस किया तो उन्होंने बड़ी सुन्दरता से अपने विचार प्रकट किये और कहा कि हमें वातावरण, एटीट्यूड्स और भूगोल का ख्याल जो देश का है रखना पड़ता है और यह सही बात है। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से जो यहां की शिक्षा का प्लानिंग रहा है वह बहुत कमजोर और बहुत पिछड़ेपन का नजर आता है क्योंकि आप प्रदेश का नक्शा देखें तो गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद और बनारस की यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं वह आप देख सकते हैं कि वे नक्शे में कहा अंकित हैं। यह पालिसी कि जहां पर रुपया ज्यादा है वहीं यूनिवर्सिटी खोल दी जाय और जहां पढ़ने वाले ज्यादा है वहां खोल दी जांय, अगर यही पालिसी और फैक्टर हैं जिन पर यूनिवर्सिटी खोलने की बात सोची जाती है तो गवर्नमेंट को ट्रेजरी में जहां रुपया करोड़ों है तो केवल वहीं यूनिवर्सिटी खोलना चाहिये। और जहां गरीब हैं और

रुपया पैसा नहीं वहां नाम भी नहीं लेना चाहिये। मैं समझता हूं यह आधार या बेसिक प्रिन्सपल कोई स्वस्थ आधार नहीं । जब हम यहां के लोगों के घरों के पास शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं, हायर एजूकेशन सब तक पहुंचाना चाहते हैं तो यह उचित फैसला नहीं है। इसलिये मंत्री महोदय, मैं बड़े अदब के साथ दख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर उनके दिमाग में उत्तर प्रदेश का नकशा सही तौर पर अंकित है या उत्तर प्रदेश की पापूलेशन का सही तरीके से नक्शा घर कर गया है और आबोहवा और ऐल्टीच्यूड का उन्होंने खयाल किया है तो जहां तक मैं समझता हूं मेरठ चूंकि पश्चिमी जिलों में है इसलिए मेरठ में अवश्य यूनिवर्सिटी होनी चाहिये। लेकिन उसके साथ-साथ मैं यह बता देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात का खयाल नहीं रखा है कि इस प्रकार की एग्जार्मिनिंग यूनिवर्सिटी को खोल कर उन्होंने जो बच्चों की शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध किया है, वह नहीं के बराबर है। आज आगरा यूनिवर्सिटी जैसा कार्य कर रही है कहा गया है उसका बोझ , उसका भार कम करने के लिये माननीय मंत्री जी इस बिल को लाये हैं। वे संतोष दिलाना चाहते हैं कि मेरठ के नाम पर एक यूनिवर्सिटी खोली गयी है ।

मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेन्ट रहा हूं, मैं वहां की हालत को जानता हूं। बहुत से डिग्री कालेजों का पढ़ा हुआ हूं। उन डिग्री कालेजों की शिक्षा दीक्षा में और टीचिंग यूनिवर्सिटीज की शिक्षा दीक्षा में जमीन आसमान का अन्तर होता है। अगर आप साइंटिफिक एज में अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी बिल आया था उस समय भी मैंने कहा था कि यद्यपि हम विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं तो भी हम सुव्यवस्थित दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम अपने भविष्य के उत्थान के लिये सही एस्टीमेट, उसकी सही वैल्यू नहीं कर रहे हैं। अगर हम भविष्य को कोई इम्पोर्टेन्स देना चाहते हैं और उसके लिये हम मौजूदा जमाने में एक नयी व्यवस्था करना चाहते हैं तो अधिकतर विचार जो इस सदन में दोनों तरफ से पेश किये गये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं ।

श्री बलवानसिंह---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वह समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या कहना चाहते हैं ।

श्री चन्द्रसिंह रावत---

इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश में इन्डस्ट्रीज बढ़ें। अभी तक हम इनमें नाकामयाब रहे हैं। आज हम इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज खोल कर एक अननेसेसरी बर्डेन पैदा कर रहे हैं। इनसे शिक्षा की दशा में कोई प्रगति नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं बड़े अदब के साथ दख्वास्त करूंगा कि देर भले ही हो जाय पर एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जिसमें टैक्नीकल शिक्षा दी जा सके। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी टापर विद्यार्थी रहे हैं वे भी जानते हैं कि आज हमारी यूनिवर्सिटीज में गली सड़ी व्यवस्था चल रही है। देश की प्रगति करने के लिये इसमें कोई स्थान नहीं है। आज इस यूनिवर्सिटी की शिक्षा ने ही हमें यहां इस सदन में भेजा है। हमारे काम करने के तौर तरीके और साधन समझने के तरीके बहुत कमजोर हैं। तो ऐसी सूरत में अगर मेरठ में एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं तो मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि पब्लिक एक्सचैकर पर इस प्रकार अननेसेसरी बर्डन थोपने की कोशिश न की जाय ।

आज जो शिक्षा दीक्षा हमारी यूनिवर्सिटीज नहीं दे रही हैं, उस कमी को पूरी करने के लिये हमें यूनिवर्सिटीज खोलनी चाहिये। आज साइंटिफिक और टैक्नोलोजी शिक्षा की जरूरत है। अगर वह यूनिवर्सिटीज एक रिजेनेशन पैदा करती है तो मैं समझता हूं कि ऐसी यूनिवर्सिटीज को खोलने की कोई इम्पोर्टेन्स होती है। परन्तु जिस प्रकार यह इम्तिहान लेने के भार का बटवारा किया गया है कि एक कानपुर में और एक मेरठ में यूनिवर्सिटी खोल दी जाय यह तथ्यहीन है। इससे मुल्क की कोई मदद होने नहीं जा रही है। मैं बड़े अदब से दरख्वास्त करूंगा मंत्री महोदय

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

से कि कानपुर में टीचिंग यूनिवर्सिटी खोलिये। मुझे इस बात का भय नहीं है कि बलवान सिंह हमारे खिलाफ बोलें। पहले वहां यूनिवर्सिटी खोलना चाहिये जहां हजारों मील तक कोई यूनिवर्सिटी न खुली हुई हो। अगर आप ऐसे क्षेत्रों को इग्नोर करते हैं और अपने मुल्क की जरूरत को नहीं समझते और कोई इसमें पक्षपात करना चाहता है कि क्योंकि किसी के पास बड़ा पैसा है तो मैं यह कह देना चाहता हूं कि हम मुल्क को कैपिटलिस्ट्स की छत्र छाया में नहीं पड़े रहने देना चाहते। जैसे रुहेलखंड डिवीजन है, उनकी मांग जायज थी और उसे प्राथमिकता अवश्य दी जानी चाहिये थी। हमारा कुमायूं दो राष्ट्रों के लिये एक नया आधार पैदा कर सकता है और वहां की यूनिवर्सिटी में चायना तथा हिन्दुस्तान के विद्यार्थी पढ़ते और भविष्य में एक दूसरे के रिश्ते मजबूत होने की संभावना पैदा होती। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हिमालय में होती जिसमें चायना की संस्कृति तथा सभ्यता का और हिन्दुस्तान की संस्कृति तथा सभ्यता का मेल होता। इस प्रकार की यूनिवर्सिटी मुल्क को उठाने के लिये बहुत आवश्यक थी।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस संशोधन पर अभी तक जितने आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं उनसे विपरीत मैं अपने विचार रखता हूं। वैसे तो इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में भी दिया हुआ है कि अभी आरम्भ में मंत्री जी यह चाहते हैं कि ये दोनों एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटीज रहें और बाद में शैक्षिक यूनिवर्सिटीज बन सकती हैं। तो शैक्षिक तथा एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी बनने के बीच में जो अवधि है वह संगठानात्मक और आर्थिक प्रश्नों को लेकर हो सकती है। जिस प्रकार के विचार इस संशोधन पर तथा विधेयक प्रस्तुत करते समय माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं उनसे ऐसा पता चलता है कि जब तक यह विश्वविद्यालय शैक्षिक न बनाया जाय, केवल एफिलियेटिंग रहे तब तक न इसमें कोई जीवन होगा, न कोई प्राण होगा। मैं इस भावना के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जिस प्रकार का विधेयक लाये हैं वह बहुत आवश्यक, महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है और उन भावनाओं के विपरीत है जो लोग यह कहते हैं कि इस विधेयक का मौजूदा स्वरूप में कोई मूल्य नहीं है। आगरा विश्वविद्यालय से १३२ कालजेज संबंधित हैं और उसके पास न इतना समय है, न कोई एजेंसी है जो यह देखे कि इन विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जाता है, क्या कोर्स है, क्या विषय है, क्या अनुशासन है? इस तरह से बहुत ही व्यापक और विस्तारपूर्ण क्षेत्र आगरा विश्वविद्यालय का हो गया है इसको दृष्टि में रख कर माननीय मंत्री ने उसको दो डिवीजनों में और वितरित कर दिया मेरठ और कानपुर में और किसी में ५८ और किसी में ४० कालेजेज संबंद्ध कर दिये हैं जिससे अवसर मिल सके विश्वविद्यालयों को उन कालेजों के शिक्षण तथा प्रबन्ध को देखने का ताकि उनको और भी अच्छाई की तरफ ले जाया जा सके, नियमबद्ध उनको बनाया जा सके। इस प्रकार आगरा यूनिवर्सिटी जिसका विस्तार बहुत लम्बा चौड़ा है और जो अपने अधीनस्थ कालेजों की व्यवस्था की देख-रेख नहीं कर पाती है इस विधेयक से वह बात पूरी हो जायगी। थोड़े कालेजेज इन विश्वविद्यालयों से संबंधित रहेंगे और वे इन कालेजेज के शिक्षण आदि की व्यवस्था को देख सकेंगे। तो जो यह समझते हैं कि मौजूदा स्थिति में इस विश्वविद्यालय में कोई जीवन नहीं रहेगा मैं चाहूंगा कि वह अध्याय ९ की धारा ३८ से लेकर ४२ को देखें। जिनमें सम्बद्ध कालेज, स्वायत्त कालेज, कर्मकार कालेज और संघटक कालेज की व्यवस्था की गई है। माननीय मंत्री जी ने इन विश्व-विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों से किस किस प्रकार के कालेज सम्बद्ध रहेंगे, इसकी व्यवस्था की है और जिसमें इन कालेजों की जो प्रबन्ध कारिणी समिति होगी अपने यहां फैकल्टीज खोल सकेगी। अपने यहां टैक्नीकल फैकल्टीज खोल सकेंगे, विज्ञान की फैकल्टीज खोल सकेंगे और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसे कालेज खोल सकेंगे जो काम करने वाले लोग हैं, श्रमिक हैं वे लोग इनमें पढ़ सकें। इस प्रकार की व्यवस्था मेरठ और कानपुर विश्वविद्यालयों में बड़ी उपयोगी होगी। मैं यह कभी मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि शैक्षिक यूनिवर्सिटी होने से ही उसमें प्राण आ जायेगा।

इस संबंध में श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि शायद कुछ साथियों को हमारे विचार जच न रहे हों। इन विश्वविद्यालयों की शैक्षिक उपयोगिता उस जमाने में थी कि ३०–४० वर्ष पूर्व हमारे देश में और प्रदेश में मुश्किल से ६ या ७ प्रतिशत लोग ही शिक्षित रहते थे और इन विश्वविद्यालयों में मुश्किल से ५ प्रतिशत या ६ प्रतिशत लोग जैसे माननीय बलवानसिंह और डाक्टर साहब, इने गिने लोग ऐसे होते थे जिनके पास रुपया था, वे लोग इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने जा सकते थे।

अंग्रेजों के जमाने में श्रीमन्, केवल तीन विश्वविद्यालय थे, बाद में जाकर ५ हुये और अब ७ विश्वविद्यालय हो गये हैं। अगर इनका विस्तार किया जाय तो मुश्किल से १४००० विद्यार्थी इनमें शिक्षण पा सकेंगे। केवल वही विद्यार्थी अच्छा शिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमन्, आज कल ५ लाख विद्यार्थी हाई स्कूल और इंटरमीडियेट परीक्षाओं में बैठे हैं। यदि इनमें ४० ५० परसेंट या ६० परसेंट विद्यार्थियों के पास होने का रिजल्ट निकले तो तीन साढ़े तीन लाख विद्यार्थी परीक्षा पास करेंगे। यदि उनके घर वालों के संबंध में यह माना जाय कि ४० परसेंट लोग अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी शिक्षा में भेजेंगे तो माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने यह समस्या है और हर माननीय सदस्य के सामने होनी चाहिये कि ८० हजार विद्यार्थियों को जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील होंगे उनको कहां रखा जाय ?

माननीय बलवान सिंह जी के विश्वविद्यालय में उनके ही वर्ग के बच्चों को जगह नहीं मिल पायेगी और हमारे यहां इस समय ७ विश्वविद्यालय हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा १४ हजार विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इन ८० हजार विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है या नहीं ? यदि इनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो इसके लिये व्यवस्था कायम की है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिये। यह देखने की बात है कि केन्द्र स्थानों पर ही उच्च शिक्षा का प्रबन्ध नहीं होना चाहिये। कानपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत बुन्देलखंड का क्षेत्र आ जायेगा यह बहुत गरीब इलाका है। इस गरीब इलाके के बच्चे कानपुर में पढ़ने के लिये नहीं आ सकेंगे। बुन्देलखंड में जो स्थानीय डिग्री कालेजेज हों उनमें ही नई नई फैकल्टीज खोली जायं और वहीं पर वहां के विद्यार्थियों के शिक्षण का प्रबन्ध होना चाहिये। इसी प्रकार से मेरठ विश्वविद्यालय के संबंध में व्यवस्था होनी चाहिये।

श्रीमन्, हमारे यहां गोरखपुर में विश्वविद्यालय कायम हो गया है। गाजीपुर में दो डिग्री कालेज हैं। उनमें यदि विज्ञान की और टैक्नीकल शिक्षा नहीं दी जायगी तो २५ लाख आदमी जो उस क्षेत्र में रहते है वे अपने बच्चों को गोरखपुर या वाराणसी पढ़ने के लिये नहीं भेज सकते हैं। यह आज के युग की मांग है कि जो स्थानीय डिग्री कालेज हैं उनमें ही इस प्रकार की फैकल्टीज खोली जायं जिनमें लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा सके। यह कहा जाता है कि विश्वविद्यालय से जो लड़के निकलते हैं वे ज्यादा योग्य होते हैं बमुकाबले इन कालेजों के। मैं जानना चाहता हूं कि आज यूनिवर्सिटी और इन कालेजों से निकले विद्यार्थियों में क्या अन्तर होता है ? कुछ को छोड़ कर ज्यादातर क्लर्की में जाते हैं। तुलसीदास, काली दास और रमन जैसे आदमी किस विश्वविद्यालय ने पैदा किये हैं ? कहीं पर शोध नहीं होता। वहां पर वही जमी जमायी किताबें हैं, वही एम० ए०, बी० ए० की किताबें हैं, वही बड़े बड़े माने जाने प्राचीन विद्वानों की किताबें हैं, इसके अलावा श्रीमन् वहां कुछ नहीं होता। बलवान सिंह जी, बुंदेलखंड के डिग्री कालेजों में भी वही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है।

श्री बलवान्तसिंह--

जो नीचे के डिग्री कालेज हैं वहां पर यदि साइंटिफिक आदि ब्लाक खोले जायें तो इसमें मुझको या किसी को क्या आपत्ति हो सकती है ? (व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय--

१४ वर्ष में ६० लाख रुपया अनुदान किया। एक विश्वविद्यालय स्थापित करने में ३-५ करोड़ रुपया लग जाता है। कानपुर के विश्वविद्यालय को खुलने में कितना समय लगा, कितनी पंचवर्षीय योजनाओं के बाद यह खुल पाया। आप तो चाहते हैं अपने वर्ग के लोगों को ही शिक्षा देने की। आपके सामने न तो बुन्देलखंड है न रुहेलखंड है और न गरीब अभिभावक हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि बिल में जो माननीय मंत्री ने रूपरेखा रखी है, उसका मैं समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि सभी लोग इसका समर्थन करें वह बिलकुल ठीक है।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राधेश्याम शर्मा और पाण्डेय जी का जो संशोधन है, जो इस विधेयक के ४ (१) में जिसमें प्रादेशिक क्षेत्राधिकार सम्बद्धता का और उसके लिये लिखा है, उसके सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि श्री चन्द्रसिंह की इतनी अच्छी वक्तता और श्री कृष्णानन्द राय के उनके समर्थन में दिये गये भाषण के बाद में मुझे कुछ कहने में डर लगता है। इसमें यह है कि ४ (१) में के अन्त में यह जोड़ दिया जाये--"कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय के केन्द्र स्थानों में शिक्षण कार्य का भी नियमित प्रबन्ध रहेगा।" "का भी" इसमें लिखा है। तो अगर कृष्णानन्द राय इस 'भी' पर गौर करें तो मैं समझता हूं कि उनका भी प्रश्न हल हो जाता है और यदि हमारा संशोधन भी माननीय मंत्री मान लें तो उसका भी सवाल हल हो जाता है। मैं तो समझता था कि माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है, उसके पेश करने से पूर्व जितनी केन्द्रीय सरकार की कमेटियां बैठी हैं उनकी सिफारिशों को पढ़ लिया है और उसके अनुसार ही विधेयक रखा है। मुझे अच्छी तरह मालूम है माननीय राधाकृष्णन का ४८-४९ का कमीशन बैठा था और जो हरीशचन्द्र जी का कमीशन बैठा था, दोनों ने कहा था कि मेरठ में शैक्षिक और आवासात्मक विश्वविद्यालय खोले जायें। मगर उस भावना का इसमें कोई समावेश नहीं किया गया। यद्यपि माननीय मंत्रीजी ने उसे पढ़ा जरूर होगा, मैं यह कैसे कह दूं कि उन्होंने उसे पढ़ा नहीं है, लेकिन इस विधेयक को बनाकर वह उसे अमल में नहीं लाये। कमेटी के प्रोफेसरों की बात डाक्टर कोठारी से भी हुई थी और उन्होंने भी इस बात को माना था और कहा था कि यह सही है कि अब इस उत्तर प्रदेश में सम्बद्धता के लिये विश्वविद्यालय खोलने के लिये कोई आवश्यकता नहीं है, शैक्षणिक विश्वविद्यालय ही खुलें, सम्बद्धता के लिये आगरा विश्वविद्यालय ही काफी है। डाक्टर कोठारी, राधाकृष्णन की राय और जितनी मान्यता प्राप्त रायें है विश्वविद्यालय के संबंध में और जो प्रकाश में आयीं हैं, सबने इसका विरोध किया है और उसके विरोध स्वरूप माननीय मंत्री जी ने बिना उससे लाभ उठाये यह ला दिया है।

(इस समय ३ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद, (मुरादाबाद) पीठासीन हुये।)

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन शिक्षाविदों की राय मानें और इसीलिये शर्मा जी और पाण्डेय जी ने यह संशोधन रखा है। यह यदि मान लिया गया तो बहुत ठीक होगा। वरना मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, ज्यादा क्या कहूं--यही कि एक ज्वायन्ट स्टाक कम्पनी यह बन रही है जो कि व्यापार करेगी और डिग्रियां और सार्टीफिकेट बांटेगी। रजिस्टर्ड करने की ही बात है तो रजिस्टर्ड तो बम्बई में न जाने कितनी कम्पनियां हैं जो जरा से जीने में चल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रही हैं जिनमें डेढ़ कुर्सी से ज्यादा जगह नहीं है । इस तरह से अगर कोई डिग्री और सार्टीफिकेट देने वाली स्टाक कम्पनी की बात आप करते हैं तो करिये । बहुत-सी ऐसी संस्थायें रजिस्टर होती हैं । एक आप भी करा लें । लेकिन उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है । मैं आपको बताऊं कि ब्यूनो आयर्स, अर्जेन्टाइना में ३६ हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं, इसी तरह से मास्को यूनिवर्सिटी देखिये, पेकिंग यूनिवर्सिटी या जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं वे इस तरह से ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों की तरफ से सर्टीफिकेट नहीं प्रदान करती हैं । अमेरिका की कुछ यूनिवर्सिटियों को तो छोड़िये जहां हमारे विद्यार्थी जाते हैं और डाक्टरी खरीद कर ले आते हैं और डाक्टर बन जाते हैं लेकिन दुनिया के जितने बड़े-बड़े विश्वविद्यालय हैं वे शैक्षणिक कार्य अवश्य करते हैं । हम लोग जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो कहा जाता था अंग्रेजी में कि बिना कालेज के ज्ञान नहीं होता । तो क्या हापुड़ में बैठ कर आप आगरा यूनिवर्सिटी का मजा लेना चाहते है ? क्या वहां डाक्टर पुन्ताम्बेकर के विद्वत्तापूर्ण प्रवचन, क्या महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के ओजस्वी विद्वत्तापूर्ण प्रवचन और क्या सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रवचन हमें हापुड़ के डिग्री कालेज में मिल सकेंगे ? यों तो किताबें पढ़ कर आप कुछ भी समझ लीजिये । हमारे पं० परमानन्द जी कभी नहीं पढ़े, उन्होंने जेल में रह कर जो अध्ययन किया उसी से वे विद्वान बन गये, वह बात तो दूसरी है लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम तो प्रत्येक विद्यार्थी को उन्हीं महानुभावों के विद्वत्तापूर्ण प्रवचनों से लाभ उठवाना चाहते है ।

आप इस विधेयक का नाम दे रहे है, "मेरठ और कानपुर विश्वविद्यालय विधेयक" । इससे एक भ्रम हो गया । हर साधारण आदमी जो इस शीर्षक को पढ़ेगा उसे भ्रम होगा कि मानों मंत्री जी जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय में नया विश्वविद्यालय खुला वैसे इन दोनों स्थानों में दो विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं । उदय प्रताप कालेज चाहे वाराणसी में रहे चाहे गोरखपुर में उससे कोई अन्तर पढ़ने वाला नहीं है । वास्तव में देखना तो यह होता है कि आप क्या पैदा करते हैं ? माननीय कृष्णानन्द राय जी चले गये । उनसे मैं बाअदब गुजारिश करता हूं कि आखिर ये विश्वविद्यालय किसलिये बनाये जाते हैं, इनकी आवश्यकता क्या है ? ५ लाख विद्यार्थी हर साल हाई स्कूल में परीक्षा देते हैं अगर ढाई लाख फेल हो जाते है तो वह तो महमूद गजनवी और गोरो भी १७ बार फेल हुये और अन्त में सफल हुये । हमारे साथ कश्मीर के काक साहब पढ़े थे और वे स्वर्गीय पंडित जी के साथ भी रहे थे । हमारे साथ वे पास हो कर निकले थे । हमने पंडित जी से कहा कि पंडित जी रसगुल्ला खिलाओ तो पंडित जी ने कहा था कि एक साल हमारी यूनिवर्सिटी की लाइफ कम हो गयी । मैं चाहता हूं कि काक साहब की उस भावना को कम से कम व्यापक बनाना चाहिये । रवीन्द्र नाथ टैगोर ने बंगला में लिखा है उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, हिन्दी में मैं कहता हूं, उन्होंने एक जगह लिखा है कि यह सही है कि हिन्दुस्तान निरक्षर है, यह सही है कि हिन्दुस्तान में साक्षरता नहीं है और आज भी १७ फीसदी है तमाम योजनाओं के बाद भी आगे नहीं बढ़ो मगर यह सही है कि हिन्दुस्तान अज्ञानी नहीं है । मैं जब चुन कर यहां आया तो राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा । उन्होंने तक्षशिला और नालन्दा विश्वविद्यालयों का जो चित्र खींचा है उसको पढ़ कर मैं बहुत प्रभावित हुआ । यह विश्वविद्यालय क्यों बनते हैं इसका जो कारण समझ पाया वह तो ज्ञानार्जन ही है । उपनिषद् में लिखा है कि "ऋते ज्ञानं न मुक्तिः" अर्थात् अगर ज्ञान नहीं है तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

क्या आवागमन में आपका विश्वास है ?

श्री उग्रसेन--

यह तो उपनिषद् की बात है । मैं उसका उद्धरण दे रहा हूं । मैं तो समाजवादी हूं और उसमें विश्वास करता हूं या नहीं यह तो दूसरी चर्चा है लेकिन उन्होंने भी ज्ञान को ही प्रधान बताया है । तो यह विश्वविद्यालय ज्ञान अर्जन के लिये ही होते हैं । अगर बरहज में

[श्री उग्रसेन]

गोरखपुर विश्वविद्यालय का वातावरण बन जाय तो फिर हमारे मदन मोहन जी वहां जाकर क्या करेंगे ? देखना यह होता है कि क्या विश्वविद्यालय उस ज्ञान को अर्जित करा देता है या नहीं और क्या कालेजेज वह शिक्षा दे सकते है या नहीं ? आप कुछ संख्या विद्यार्थियों की बढ़ाकर, कुछ विषय बढ़ा कर विज्ञान की शिक्षा देकर के, या कुछ उसकी लेबोरेटरीज बना कर के आप विश्वविद्यालय की गरिमा को नहीं बढ़ा सकते । अंग्रेजी राज्य १५ अगस्त, १९४७ को समाप्त हो गया । उसके बाद आपने विश्वविद्यालयों के अन्दर कितना अन्वेषण कराया ? प्रोफेसरों ने कितनी किताबें लिखी और कितने का भाष्य किया ? जिस समय रमण साहब ने थीसिस लिखी तो उसकी बी० बी० सी० से घोषणा की गई । उसके अन्दर उनकी अपनी ज्ञान की बातें थीं, उनका आदर करते हुये ऐसा किया गया । उन्होंने संसार को प्रकाश दिया । मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूं कि यह किस प्रकार के प्रशिक्षण हैं जो आज गोरखपुर या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पैदा कर रही हैं और किस प्रकार का वहां से प्रशिक्षण मिलता है ? यह ज्ञान नहीं है, यह अज्ञान है जो वह पैदा कर रही है । अगर अज्ञान लेकर लड़के निकलेंगे तो क्या होगा ? बस यही चीन का हमला होगा । मैं चाहता हूं विश्वविद्यालय खोलें लेकिन वह ऐसे होने चाहिये कि कुछ ज्ञान प्रदान कर सकें । यह न हो कि रुपया तो आप ७ लाख खर्च कर दें और मामूली कालेज को उससे सम्बद्ध कर दें । अगर वहां से स्नातक निकलेंगे तो वह योग्य होने चाहिये । अगर सही माने में आपका कोई ध्येय है तो उसके प्राप्त करने में प्रयत्न होना चाहिये । हमारा ध्येय तो यही है कि ज्ञान का अर्जन किया जाय और इसी प्रकार के ज्ञान को लेकर लड़के वहां से निकलें । इस लिये यह उचित है कि शैक्षिक विश्वविद्यालय बनायें और इसी प्रकार की बातें विधेयक के अन्दर रखें । अगर आप राधाकृष्णन की बात को मानते हैं और हरीशचन्द्र की बात को मानते हैं तो आपको राधेश्याम जी के संशोधन को स्वीकार करना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)---

अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन की उपयोगिता इसी से मालूम होती है कि इस संशोधन का दोनों पक्षों ने समर्थन किया है । यह बात सही है कि हमारे कृष्णानन्द जी ने कुछ आर्थिक समस्या की तरफ ध्यान दिलाया और आगरा विश्वविद्यालय की बातों को कहकर इस बात का विरोध किया, किन्तु आगरा विश्वविद्यालय ने इतने वर्षों तक कालेजों को सम्बद्ध करके शिक्षा के प्रसार का कार्य किया है । यह हो सकता है कि उसमें संख्या बढ़ी हो किन्तु यह देखना है कि क्वालिटी और क्वान्टिटी में अन्तर होता है या नहीं । यह सोचने की बात है । माननीय मंत्री जी स्वयं इस बात का अनुभव करें कि जिस समय वह विद्यार्थी थे और जो आज विद्यार्थी निकलते हैं उनमें और आज के विद्यार्थियों की शिक्षा में कितना अन्तर है ? जब यह विद्यार्थी थे और विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो समझते थे कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, लेकिन आज के विद्यार्थी अधिकतर एक छोटे से सबजेक्ट जनरल इंगलिश में भी फेल निकलते हैं । हमारे विद्यार्थी बेकार हो जाते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है । जितनी शैक्षिक विश्वविद्यालय हैं उनके परिणाम को जब हम देखते तो क्वालिटी और क्वान्टिटी में उनके अन्तर मालूम होता है । उनके शिक्षा के स्तर में अन्तर आता है और कुछ उनकी भावना में अन्तर आता है । इस दृष्टिकोण से इस विधेयक को देखना चाहिये । जो ऊंचे स्तर के विद्यार्थियों को पैदा करने वाले विश्वविद्यालय हैं ऐसे विश्वविद्यालय शून्यता को प्राप्त होते चले जाते हैं ।

यह भी ठीक है कि फैशन परस्ती चल रही है और वह इसलिये कि विश्वविद्यालय उसकी एक ऐजेन्सी हैं । नकली सर्टिफिकेट्स भी बाजार में मिलते हैं और असेम्बली में भी एक केस अभी आया था जिसमें एक व्यक्ति अपने को उन नकली सर्टिफिकेट्स के बल पर गेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुयेट कहता था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जहां तक हमारे इस संशोधन का संबंध है, यह नितांत उपयुक्त है और सदन की राय को देखते हुए मंत्री जी को इस बात को मानना चाहिये । यदि इस संशोधन को मंत्री जी स्वीकार कर लेते हैं तो प्रारम्भ में आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए वह केवल यूनिवर्सिटी के आफिस को ही चला पायेंगे, तो वह चल सकता है लेकिन संशोधन को स्वीकार कर लेने पर आगे चल कर वहां शिक्षा की व्यवस्था हो सकेगी और शिक्षा जगत में यह विश्वविद्यालय भी एक आदरणीय स्थान प्राप्त कर सकता है । कलकत्ता विश्वविद्यालय का नाम डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जैसे विद्यार्थियों ने ही उंचा किया है, शान्ति निकेतन के विद्यार्थी आज सारे संसार में पूजे जाते हैं और उनसे देश गौरवान्वित हुआ है । इसलिये हमें आज उसी पुरानी परंपरा और शृंखला को कायम रखने के लिये प्रयत्न करना चाहिये और इसलिये मैं सैद्धांतिक तथा क्रियात्मक रूप में इस प्रस्तुत संशोधन का पूर्णतया समर्थन करता हूं ।

*श्री रक्षपालसिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो संशोधन माननीय पांडेय जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । वैसे तो इस विषय पर जो प्रारम्भ में चर्चा हुई थी उसमें ही मैंने अपने विचार व्यक्त कर दिये थे कि शिक्षण की व्यवस्था इस के अंदर होनी चाहिये और उसी के आधार पर श्रीमन्, जैसा कि हमारी दो कमेटियों की रिपोर्ट है, बताया जा चुका है कि जिन दो स्थानों पर पहले विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की गयी थी वहां उनके साथ यह भी सिफारिश थी कि वह यूनिवर्सिटियां रेजीडेंशियल होनी चाहिये और पढ़ाने की व्यवस्था उनमें होनी चाहिये । अगर मंत्री जी देखें तो जो उन्होंने स्वयं कहा है उसमें और इस संशोधन में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है । इसमें जो ज्ञापन-पत्र दिया हुआ है उसमें यह साफ-साफ कहा गया है कि प्रस्तावित कानपुर और मेरठ विश्वविद्यालय संबद्धक एवं शैक्षणिक विश्वविद्यालय होंगे । मंत्री जी स्वयं कहते हैं इस बात को ।

दूसरी बात यह है कि उद्देश्य और कारण में यह लिखा गया है कि प्रारम्भ में दोनों विश्वविद्यालय सम्बद्धक विश्वविद्यालय होंगे और शिक्षण कार्य अर्थात स्नातकोत्तर शिक्षण कार्य बाद में शुरू किया जायगा । ऐसी बात उद्देश्य और कारण में और मेमोरेन्डम में, दोनों में लिखी हुई है परन्तु यदि इस बिल को देखा जाय तो इसमें कहीं भी इसकी व्यवस्था नहीं है । इसकी व्यवस्था होनी चाहिये नहीं तो बाद में सरकार कोई अगर व्यवस्था करना चाहेगी तो केवल उद्देश्य और कारण में लिखने मात्र से ही वह नहीं की जा सकेगी । इसलिये बिल के अंतर्गत जो कानून बनने वाला है उसमें इसकी व्यवस्था होनी चाहिये और यही वह उपयुक्त स्थान है जहां यह किया जा सकता है । इस धारा ४ के उपखंड १ में ही इसको जोड़ देने से कोई आपत्ति या कठिनाई पैदा होने वाली नहीं है । अब इन शब्दों कि 'नियमित प्रबन्ध रहेगा' से कोई कठिनाई उपस्थित होने वाली हो तो आप इसको बदल सकते हैं और प्रबन्ध रहेगा के स्थान पर 'प्रबन्ध करना' रखा जा सकता है । सरकार जब चाहेगी प्रतिबन्ध तभी लागू होगा । जब तक सरकार कोई प्रबन्ध नहीं कर पाती उस समय तक यही प्रबन्ध रहेगा, परन्तु बाद में जब व्यवस्था हो जायगी शिक्षण की, तो जैसा कि उद्देश्य और कारण में दिया गया है, वह उद्देश्य पूरा हो सकेगा । इन कारणों से मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

मान्यवर, यह बात सही है कि हमारे प्रदेश में शिक्षा बढ़ती जा रही है और काफी लोग अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में दिलचस्पी रख रहे हैं । यह भी सही है कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन देखना यह है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है या बढ़ रहा है । मैं समझता हूं कि यह किसी से पोशीदा नहीं है कि शिक्षा का स्तर आज गिर रहा है और यह बड़े दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिये । इस बढ़ती हुई शिक्षा में अगर हम शिक्षा के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

स्तर को ऊंचा नहीं कर सके तो यह बड़े दुख की बात होगी। हमें शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना है, उसके लिये हमें चाहे कितना ही बलिदान क्यों न करना पड़े। आर्थिक कठिनाइयां हैं, यह मैं मानता हूं। जो हमारी योजनायें हैं उनमें भी बहुत सारा रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन मान्यवर, आप ही सोचिये, अगर हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी तरह से नहीं हो पायी तो उनकी क्या हालत होगी। आज हम यह भी देख रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी अनुशासन हीनता के शिकार हो रहे हैं, उनकी योग्यता भी मामूली है, उनका करेक्टर भी ऐसा नहीं है कि वे आइन्दा चलकर अपने पांव पर खड़ा हो सकें। इन सभी बातों को हमें अपने ध्यान में रखना है और उनको दूर करना है। यह तभी सम्भव हो सकेगा जब हम अपने प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज कायम करें और अपने विद्यार्थियों को ऊंची प्रकार की शिक्षा दे सकें।

मुझे खेद कि इस विधेयक में जो दो यूनिवर्सिटीज खोलने की व्यवस्था की जा रही है उसमें यह बातें नहीं हैं, यद्यपि इस बात की खुशी है कि जो मांग एक बहुत अर्से से चली आ रही थी उसको पूरा किया गया है। ऐसी यूनिवर्सिटीज जो कि केवल एफिलियेटिंग हों उनमें कोई काम चल नहीं सकता है जब तक कि उनके केन्द्रों पर एक मजबूत और उच्च शिक्षा देने वाली संस्था न हो। जहां कि साइंटिफिक और आर्ट्स के विषयों की शिक्षा दी जा सके और हर तरह की शिक्षा जहां मिल सके, जहां कि दूर-दूर से विद्यार्थी आ कर शरीक हों और शिक्षा प्राप्त करें। लेकिन यह चीज इसमें नहीं मिलती। मैं इस चीज से भी दुखी हूं कि इस तरीके से दो एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटीज़ बनाने से कोई खास मकसद हम लोगों का हासिल नहीं हुआ, कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ। यह तो काम आगरा यूनिवर्सिटी भी कर रही थी कि वह बहुत से कालेजों को एफिलियेट करती थी और वह अपनी-अपनी जगह पर शिक्षा देते थे। हो सकता है कि इसमें कुछ क्लेरिकल काम बट जाय, लेकिन उससे क्या लाभ है ? इसलिये मैं फिर मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह मेरठ और कानपुर में मजबूत शिक्षण केन्द्र स्थापित करें जिससे कि वास्तव में लाभ हो। जो संशोधन है वह नेकनीयती से रखा गया है। उसके पीछे एक अच्छी भावना है। उस पर हमको जरूर विचार करना पड़ेगा। ऐसी एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटीज की हमको बिलकुल आवश्यकता नहीं है। हमको तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज कायम करने की योजना बनानी चाहिये चाहे उसमें हमारा कितना ही खर्चा क्यों न पड़े ? जब तक हम शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठायेंगे उस वक्त तक हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती, मैं समझता हूं, होगी।

आज हमारे जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं उनमें कोई काबलियत नहीं होती। अगर उनकी तादाद बढ़ती चली जाय और स्तर घटता चला जाय तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। मैं फिर अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी इस पर जरूर विचार करें और जो विश्वविद्यालय कायम हो रहे हैं उनके केन्द्रों पर मजबूत शिक्षा केन्द्र स्थापित करें जहां कि हर तरह की शिक्षा विद्यार्थियों को मिल सके। इसी प्रकार से हमारे प्रदेश में और भी बहुत-सी जगहें हैं जहां विश्वविद्यालय की जरूरत है, उनको भी पूरा करने की तरफ आपको ध्यान देना चाहिये। हो सकता है कि आर्थिक कठिनाई हो लेकिन उसको भी दूर करने की कोशिश मंत्री जी करें और जैसे भी हो वह कई यूनिवर्सिटीज कायम करें। मेरठ डिवीजन में कृषि का एक बहुत बड़ा विद्यालय है वहां पर उन्हें एक कृषि विश्वविद्यालय कायम करना चाहिये। जैसे कि मेरे ही क्षेत्र में लखावटी कालेज है उसी को वह रूरल यूनिवर्सिटी का स्तर प्रदान कर सकते हैं और उनको उस पर विचार करना चाहिये। वह हिन्दुस्तान का एक मशहूर कृषि का कालेज है। (व्यवधान) मुझे अफसोस है कि विकास मंत्री जी को पता नहीं है कि वह एक महत्वपूर्ण कालेज कृषि का है। हमको ऐसे विश्वविद्यालय कायम करने चाहिये जो कि गांवों में हों जहां कि हमारे विद्यार्थी शहर की गन्दी हवा से बच कर शिक्षा पा सके और ग्रामीण वातावरण में शिक्षा पा सकें क्योंकि हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, उसमें ग्रामों का एक विशेष महत्व है। ऐसी सूरत में हमको रूरल ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी कायम करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ-साथ मैं फिर माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर दोबारा विचार करें।

*श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सत्यनारायण पांडेय और माननीय मैनेजरसिंह द्वारा प्रस्तुत यह संशोधन इतना महत्वपूर्ण है जिसको स्वयं माननीय मंत्री जी भी समझते हैं । कारण यह है कि परीक्षा लेने वाले विश्वविद्यालय अगर बढ़ा दिये जायं तो उससे उतना लाभ नहीं है । डिग्री कालेज तो आज परीक्षा लेने के लिये आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध थे, अब गोरखपुर, आगरा के साथ मेरठ और कानपुर इन दो को भी जोड़ दिया जाय तो उनकी संख्या का बढ़ जाना तो अच्छा होगा लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट की जो शिक्षा है या डाक्टर या कोई और विशेषज्ञ बनाने की शिक्षा है उसके लिये हमें इंटेंसिव एजूकेशन को बढ़ाना होगा । गहन अध्ययन सम्बद्ध कालेजों में अच्छी तरह से नहीं होता । एक कालेज में एक हजार पुस्तकें हों और दूसरे कालेज में भी वही पुस्तकें हों, इससे काम नहीं चलने का । जो आधुनिकतम पुस्तकें हों एक विषय की, वह केन्द्र पर होनी चाहिये और गाइड देने वाला कोई होना चाहिये, यह काम आपको करना पड़ेगा । अगर आप यह काम नहीं करने जा रहे हैं तो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट के लिये तो कर ही दें । एम० ए० या एम० एस-सी० आदि की पढ़ाई कानपुर और मेरठ में ही होगी । वरना यह होगा कि तमाम डिग्री कालेज अपने यहां एम० ए० और एम० एस-सी० के क्लासेज खोल कर अपने को सम्बद्ध कराते जायेंगे । यूनिवर्सिटी के केन्द्र स्थान पर जैसे मेरठ और में कानपुर अच्छी लाइब्रेरी का प्रबन्ध होना चाहिये ताकि विद्यार्थी अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें । यदि आप प्रशिक्षण के लिये व्यवस्था करने का यह संशोधन नहीं मानते तो बोर्ड एक्जामिनेशन की तरह से इसमें भी घपला चलेगा और हर कालेज पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोल कर अपने को यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कराने की कोशिश करेगा । इस नाते भी मैं चाहता हूं कि विशेष अध्ययन की बात इस संशोधन में जोड़ दें और मैं समझता हूं कि यदि आप इसको मान लेंगे तो वोटिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ।

*श्री कैलाशप्रकाश--

अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन में विषय वही उपस्थित हुआ जिसका संकेत प्रस्तुत कर्त्ता महोदय ने स्वयं भी कर दिया था और जो उस समय हुआ था जब मैंने इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत किया था । विषय यही उपत्पन्न हुआ कि ये विश्वविद्यालय जो कि हम स्थापित करने जा रहे हैं उनमें शिक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिये । मैं अपने विचार, अपनी मजबूरियां और इसके उद्देश्य, उस समय जबकि यह विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत था, उपस्थित कर चुका हूं । उन सब चीजों को दोहरा कर मैं माननीय सदन का ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं समझता हूं । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि विश्वविद्यालय को स्वयं केन्द्र बना कर उच्च शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये क्योंकि जो सुविधायें विश्वबिद्यालय के केन्द्र पर हो सकती हैं वे सुविधायें साधारणतया कालेजों में नहीं दी जा सकतीं । किन्तु अपने प्रदेश की शिक्षा की स्थिति को देखते हुये मुझे यह मानने में दिक्कत होती है--अब इसके विस्तार की आवश्यकता नहीं है । मैं यह समझता हूं कि विस्तार की भी आवश्यकता है ।

इस समय प्रदेश के सिर्फ तीन विश्वविद्यालयों में केन्द्र रूप से शिक्षा की व्यवस्था है । जो केन्द्र के दो विश्वविद्यालयों में उनमें शिक्षण की कुछ व्यवस्था है केन्द्र के रूप में । शेष जो विश्वविद्यालय हैं वे विशेष विषयों के हैं, उनकी मैं चर्चा नहीं करता । केवल अपने केन्द्र पर उच्च स्तर की शिक्षा देकर मैं नहीं समझता कि हम अपने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में कुछ उन्नति कर सकते हैं । यह स्वयं सिद्ध हो चुका है कि इतने बड़े प्रदेश में शिक्षा को देने के लिये, उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिये, अधिक केन्द्रों की आवश्यकता होगी । अगर आज ही देखा जाय कि इन शिक्षा संस्थाओं से कितने विद्यार्थी निकल रहे हैं तो यह स्पष्ट हो जायगा । लखनऊ का विश्वविद्यालय जो शिक्षा देता है, जिसको २५-३० लाख अनुपालन के रूप में दिया जाता है, वह भी अपने क्षेत्र की उच्चस्तर की शिक्षा के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कैलाशप्रकाश]

प्रबन्ध को नहीं कर पा रहा है । लखनऊ में भी इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है कि और कालेजेज खोले जायं और पहले जो खोले जा चुके हैं वे पर्याप्त नहीं हैं । इस बात को मैं इस लिये कह रहा हूं कि लखनऊ शहर में भी हमें अपने नागरिकों को जितनी शिक्षा देनी चाहिये उतनी देने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं । यही स्थिति आप इलाहाबाद में भी देख सकते हैं । इसलिये यदि हम यह समझते हैं कि इस तरह के विश्वविद्यालय खोलने से, जहां केवल शिक्षा का प्रबन्ध हो और कालेज उनसे संबद्ध न हों, काम नहीं चल पायेगा ।

श्री उग्रसेन--

हम लोगों का कहना तो यह है कि शिक्षा के साथ-साथ वह परीक्षा लेने वाला भी हो । माननीय मंत्री जी एक ही बात क्यों कह रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

क्योंकि यह विषय दुबारा उठाया गया है, इसलिये मैं इसका उत्तर दे रहा हूं । वैसे मैं उसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं । तो अब सवाल यह आता है कि इस प्रकार के विश्व-विद्यालयों को रखा जाय या न रखा जाय । यह आपको तय करना है । लेकिन यह बात है कि अपने साधनों की कमी के कारण अभी हम ऐसे विश्वविद्यालयों को स्थापित नहीं कर सकते हैं जो केवल शिक्षा देने वाले हों । आगरा विश्वविद्यालय पर बोझ बढ़ता चला जा रहा है और मैं माननीय सुशीला जी की उस बात से सहमत हूं कि यह विधेयक आगरा विश्वविद्यालय के विकेन्द्रीकरण के लिये ही लाया जा रहा है । जिस समय यह विधेयक मैंने सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया उस समय ही मैंने इस बात को कह दिया था । लेकिन कभी-कभी विकेन्द्रीकरण की भी आवश्यकता होती है और मैं समझता हूं कि इधर के और उधर के सभी माननीय सदस्य विकेन्द्रीकरण के पक्षपाती हैं ।

एक विचार मेरे माननीय मित्र रावत जी ने रखा । उन्होंने शिक्षा संस्थाओं, शिक्षा के स्तर आदि की सब बातों को ले लिया । संभवतः उनकी सारी बातों का नवनीत यह था कि उनके क्षेत्र में भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय और यह जो विश्वविद्यालयों का रंग-रूप आजकल चल रहा है, चाहे वह लखनऊ का विश्वविद्यालय हो या गोरखपुर का हो या इलाहाबाद का हो, उनमें से उनको कोई पसंद नहीं आया और इस वजह से किसी नये तरीके के विश्वविद्यालय की बात होना चाहिये । वैसे तो तीसरी योजना में कुमायूं विश्वविद्यालय की योजना थी लेकिन नये रूप का विश्वविद्यालय हो उसका रूप और रंग वैसा हो जो उस क्षेत्र की उस तरीके से सेवा कर सके जैसे कि रावत जी चाहते हैं वह सोचने की बात है और सोच कर ही कुछ किया जा सकता है । हमें उन की भावना से सहानुभूति है कि उस क्षेत्र के लिये एक विश्वविद्यालय होना चाहिये ।

कहा गया कि बड़े-बड़े कमीशनों की रपट निकल चुकी हैं और कहा गया कि डाक्टर कुठारी भी सहमत नहीं हैं और राधाकृष्णन कमीशन भी इस से सहमत नहीं था । मैंने तो कह दिया इस बात को कि हमें तो प्रदेश की जरूरत के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालय रखने ही होंगे जिनमें कालेज सम्बद्ध हो सकें । डाक्टर कुठारी केन्द्रीय विश्वविद्यालय आयोग के चेयरमैन थे और मैं इस सदन में और उस सदन में भी कह चुका हूं कि यह बिल उनकी स्वीकृति से ही लाया गया है और इसको केन्द्रीय विश्वविद्यालय आयोग की स्वीकृति मिल चुकी है कि ऐसे विश्व-विद्यालय हम स्थापित करें और उस के बाद ही हम इस बिल को यहां लाये हैं ।

अब जो संशोधन माननीय सदस्य लाये हैं उस की तरफ देखा जाय । संशोधन यह है कि "कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय के केन्द्र स्थानों में शिक्षण का भी नियमित प्रबन्ध रहेगा" । अगर धारा ५ की उपधारा (१) को देखा जाय तो उसमें स्पष्ट है कि "ऐसे विषयों में शिक्षण की व्यवस्था करना जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझें तथा शोध-कार्यों और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना ।" जो उन के संशोधन का आशय है वही उनकी इच्छा का आदर करते हुये इसमें पहले से ही रखा हुआ है । कहा गया कि कानपुर में जो विश्वविद्यालय

स्थापित होगा वहां शिक्षा का फौरन प्रबन्ध होना चाहिये और वहां धन का अभाव न होगा । कानपुर हमारा सब से बड़ा औद्योगिक नगर है और हमारे बड़े उद्योगों की राजधानी है, उनका कहना अनुचित न होगा, सही बात है कि वहां के कुछ व्यक्ति और उद्योग-धन्धे कुछ खर्च बरदाश्त कर सकेंगे लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट बात है कि कानपुर में ही जो कुछ शिक्षा संस्थायें चल रही हैं, जैसे कृषि कालेज है या एच० बी० टी० आई० की चर्चा आई, लेकिन वहां की दशा भी मैं जानता हूं । उनके द्वारा भी शासन से सहायता की प्रार्थना की जाती है और मैं ऐसी संस्थायें भी कानपुर की जानता हूं जो धनाभाव के कारण चल नहीं रही हैं । लेकिन फिर भी अगर इस कार्य के लिये धन की व्यवस्था कानपुर में हो जाय और बिना शासन की ओर से कुछ खर्च किये हुये ऊंचे स्तर की शिक्षा का काम वहां चलाया जा सके तो बिल में उसकी व्यवस्था तो है ही । वहां वह काम चलाया जा सकता है और वंचित करने का प्रश्न नहीं है । लेकिन जब हम देखते हैं कि वहां पर छोटी-छोटी संस्थायें तक लोग अपने बूते पर नहीं चला सकते और उन्हें धन की आवश्यकता रहती है और अनुपालन अनुदान की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें प्रसार और बढ़ोत्तरी के लिये धन चाहिये । वह लोग वहां का व्यय स्थानीय रूप से कर सकें तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है ? सिद्धान्ततः तो वह चीज है ही और उसकी उपादेयता मानी जाती है । इसलिये उस की व्यवस्था कर दी गई है । श्रीमन्, इससे अधिक मुझे कुछ कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है क्योंकि पुनरावृत्ति हो जायगी ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

श्रीमन्, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी खर्चे वाली बात कह कर उस बात से जरा दूर हो जाते हैं । बिल्डिंग में खर्चा हो गया, रजिस्ट्रार के रखने में खर्चा हो गया, कुलपति और उप-कुलपति को रखने में खर्चा हो गया । आपने इस सब के लिए ६० लाख रुपया रखा है । पढ़ाई-लिखाई का अगर खर्चा होगा तो आपको फीस भी तो मिलेगी । थोड़ा-सा खर्चा आपको और करना पड़ेगा इससे ज्यादा और क्या गलत बात हो सकती है ?

(श्री कैलाशप्रकाश के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

मैं पहले माननीय सत्यनारायण जी को बुलवा लूं, फिर आप आपनी बात रखें ।

श्री उग्रसेन--

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि आगरा विश्वविद्यालय का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है अतः उसे कम करने के लिये यह बिल लाया गया है । तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस बिल का नाम "कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक" के स्थान पर "आगरा विश्वविद्यालय क्षेत्र परिसीमन विधेयक" रख दिया जाय तो उससे भी काम चल सकेगा ।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय--

अधिष्ठाता महोदय, यह जो हमारे संशोधन के ऊपर सदन में विवाद हुआ है उससे यह बात तो ध्वनित हुयी कि सभी भाइयों ने इससे सहमति प्रकट की है । केवल माननीय कृष्णानन्द राय जी ही ऐसे हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है । वह मैं जानता हूं कि उन्होंने ऐसा किन्हीं कारणों से किया है । वे सरकार के हर प्रस्ताव के समर्थन करने को अपना कर्त्तव्य समझते हैं । इसमें आपकी प्रसिद्धि है कि सरकार जो भी बात रखती है वे उसका तुरन्त ही समर्थन करते हैं । वैसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी हमारे संशोधन को चाहते हैं । कहा गया है कि डिग्री कालेजेज को हम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके महत्व को कम करना चाहते हैं । यह जो संशोधन है इसमें विरोधाभास की बात नहीं है । हम तो सम्बद्धता की भी बात करते हैं । इसमें यह होगा कि डिग्री कालिज की भी उन्नति होगी । विश्वविद्यालय को खोलने से डिग्री कालेज का ह्रास कहीं नहीं होता है । इसकी ओर सरकार का ध्यान न जाय, ऐसी बात नहीं है ।

[श्री सत्यनारायण पाण्डेय]

दूसरी बात यह कही गयी है कि इलाहाबाद से जो छात्र निकलते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से निकलते हैं उनमें क्या खास बात है ? अगर आप इन स्नातकों की सूची देखें जो प्रयाग विश्वविद्यालय से निकलते है तो मेरे खयाल में चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में वे हों, आप पायेंगे कि बड़ी-बड़ी विभूतियां हुयी हैं। इसलिये यह कहना कि डिग्री कालेजों का भी वही महत्व है यह बात समझ में नहीं आती है लेकिन आप तो विश्वविद्यालय की बात को ही नहीं मानते हैं। आप डिग्री कालिज ही सब जगह चाहते है, विश्वविद्यालय खोलना नहीं चाहते हैं। वैधानिक आपत्ति की गयी कि हमारा अभिप्राय 'तत्काल' से है। जो संशोधन मैंने दिया है, इसका अभिप्राय यह है कि जैसे ही आप विश्वविद्यालय का सृजन करें, उसके साथ ही साथ वहां पर शिक्षा की भी व्यवस्था हो। आप कहते हैं कि पहले शरीर तो हो, आत्मा बाद में आ जायगी। लेकिन अगर शरीर आयेगा और आत्मा नहीं आती है तो शरीर श्मशान में चला जाता है। इसलिये आपके शब्दों में ऐसा बच्चा जिसका शरीर हो और आत्मा न हो, उचित नहीं है। ९ महीने के अन्दर ही आत्मा पड़ जाती है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप थोड़ा साहस से काम लीजिये और जिद की भावना से काम नहीं लेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब लोग सहयोग से मिल कर उसको शैक्षिक विश्वविद्यालय का रूप दे सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन पर आग्रह करता हूं। माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

*श्री कैलाशप्रकाश---

श्रीमन्, मैं विचार तो अपने व्यक्त कर चुका लेकिन कुछ स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। एक बात यह कही गयी कि इस विधेयक का नाम "आगरा यूनिवर्सिटी परिसीमन विधेयक" होना चाहिये। आगरा यूनिवर्सिटी से बच्चा पैदा हुआ इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बच्चे का नाम तो रखना ही पड़ता है और इस तरह से हमने बच्चे का नामकरण संस्कार किया है। जब तक बच्चे का नाम नहीं होगा तो उस परिसीमन के अर्थ क्या होंगे ?

दूसरी बात यह कही गयी कि इस तरह का विश्वविद्यालय कायम करने से, ज्यादा खर्च करने से क्या फायदा ? मैं निवेदन करूंगा कि बड़ा भारी फर्क है। जैसा मैं कह चुका हूं, किसी भी विश्वविद्यालय के केन्द्र पर शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये चाहे कितना ही ऊंचा स्तर उसका क्यों न हो, इसमें कोई मतभेद नहीं है। विश्वविद्यालय में शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये, वही एक अच्छा केन्द्र हो सकता है जहां अच्छे स्तर की चीजों को विकसित किया जा सके। वह बात अपनी जगह है लेकिन तत्काल करने में आर्थिक कठिनाई है। यही बात हो कि कानपुर और मेरठ में तभी विश्वविद्यालय स्थापित किये जायं जब उनमें शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय तो मैं यह कह सकता हूं कि आज के साधन इस बात की आज्ञा नहीं देते। इसके लिये एक ही फैसला करना पड़ेगा, "नहीं"। हमने यह किया है कि बीज लगाओ, बीज लगा कर वृक्ष बढ़ता चला जाता है, कुछ बाद में साया देगा। आज लखनऊ यूनिवर्सिटी को जो वार्षिक अनुपालन अनुदान सरकार को देना पड़ता है वह २५--३० लाख रुपये वार्षिक के लगभग है फिर भी लखनऊ यूनिवर्सिटी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती है। यही दशा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। लेकिन आगरा विश्वविद्यालय को शासन के कोष से अगर मुझे अच्छी तरह से याद है तो पौने २ लाख रुपया केवल दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता---

आप बैठ जायं। कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, कोरम के लिये कई बार घंटी बज चुकी है । यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो सदन का कार्य बंद रखा जाय । ये जो नये-नये चुने गये हैं इतनी खुशी मनायेंगे और इतनी दावतें खायेंगे कि सदन का कार्य ही बंद हो जायगा ।

श्री अधिष्ठाता--

सदन में कोरम रहना चाहिये और यह उत्तरदायित्व शासन पर है ।

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कि अगर कोई रुकावट है उनमें शैक्षिक कार्य तुरंत लागू कर देने के लिये तो वह साधन की है । इसमें बड़ा भारी खर्चा है । जैसा कि माननीय मिश्रा जी ने कहा कि कुलपति रहेंगे, यह रहेंगे वह रहेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि आगरा विश्वविद्यालय को हम क्या दे रहे हैं ? उसे हमें केवल पौने दो लाख रुपया देना पड़ता है और जिन विश्वविद्यालयों में केन्द्रित रूप से शिक्षा कार्य होता है वहां २५/३० लाख रुपये देने पर भी ठीक से काम नहीं चल पाता है । इसीलिये इस संशोधन को स्वीकार करने में मेरी जो रुकावट है वह यह है कि आज हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि कानपुर अगर महापालिका या कानपुर के नागरिक स्वयं इतने साधन जुटा सकें कि शैक्षिक यूनिवर्सिटी का काम चल जाय तो उस पर विचार किया जा सकता है और उसकी गुंजाइश इसमें है । दरवाजा कोई बंद नहीं है । सब दरवाजे खुले रखे हैं जब मौका होगा उस समय प्रवेश हो जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ४(१) के अन्त में यह और जोड़ दिया जाये "कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय के केन्द्र स्थानों में शिक्षण कार्य का भी नियमित प्रबंध रहेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--२०

विपक्ष में--५६ ।)

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ४ के उपखंड (३) की छठवीं पंक्ति व अन्त में आया वाक्य "और विभिन्न कालेजों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते है" निकाल दिया जाय । यह वाक्य इस उपखंड में दो बार आया है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस तरह से विधेयक के नाम में, भावना में और दूसरी चीजों के अन्दर अन्तर है, उसी तरह से इसमें भी अन्तर रखा गया है । वह किसी राजनैतिक चाल से या अन्य किसी वजह से जैसा माननीय शिक्षा मंत्री जी समझते हों, रखा गया है । उसके साथ-साथ जितने सम्बद्ध कालेज हैं वह सब लिये जायेंगे, लेकिन वह कहते हैं उनके विभिन्न कालेजों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जायेंगे । इसमें क्या खास बात थी कि इसे इस तरह रखा गया, यह मेरी समझ में नहीं आता है । क्या कारण है कि अलग-अलग तिथियां रखी जायंगी । यदि आप किसी कालेज को एफिलिएट करते हैं, तो उसी दिन से उसे सारे अधिकार हो जाने चाहिये । मैं इसमें समझता हूं कि आप ऐसा करके उनके राइट को पूरा होते नहीं देखना चाहते हैं । अध्याय ५ की धारा १५ में लिखा है "सम्बद्ध कालेजों के प्रिंसिपल उतनी संख्या में जो नियत किये जायें ।" इनकी तिथियां यदि आप अलग-अलग रखेंगे तो आपकी जो कार्यवाही होगी कार्यकारिणी की उसमें वे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट]

आग नहीं ले सकेंगे, और इस प्रकार आप उनको अधिकार से वंचित कर देना चाहते हैं। तो यह उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों? जिनको आप एफिलिएट कर रहे हैं और एक सीमा रख दी है कि इतने-इतने कालेज एफिलिएट हो जायंगे तो आपने भिन्न-भिन्न तिथियां क्यों रखी हैं? सब को एक साथ एफिलिएट किया जाये और उनकी तिथियां भी एक साथ होना चाहिये, क्योंकि इससे कुछ भ्रम होता है कि जो आपका साथ नहीं दे सकते हैं उनकी तिथियां निश्चित न की जायें, जिससे वह आपके मनमाने कार्य में भाग न ले सकें और उसका विरोध कर सकें और आप हित के सारे काम करने के बाद उनकी तिथियां निश्चित करें। इसलिये यह आवश्यक है कि सबके लिये एक साथ ही तिथियां निश्चित होनी चाहिये।

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, यह संशोधन जो विभिन्न तिथियों के विषय में रखा गया है, संशोधन नं० १०। यह कुछ शंका पर आधारित है जिसका संकेत प्रस्तावक महोदय ने भी किया है कि सम्भवतः यह अपनी कार्यकारिणी बनाने के लिये किया जा रहा है किन्तु यह आशंका निर्मूल है क्योंकि वैसे तो यह बाडीज स्वयं बन नहीं सकती, विधेयक के द्वारा सदन की ओर से कुछ अधिकार सरकार को मिल जायेंगे जिनसे कुछ बड़े अधिकारी बनायें जायेंगे जो उनको करेंगे। यह व्यवस्था जो इसमें रखी गयी है केवल इस कारण से है कि अगर कोई विशेष रूप से कालेज इस तरह की अगर उनमें कभी कोई परिस्थिति आ जाय और तुरन्त उसी रोज न दी जा सके तो दूसरे दिन दे दी जायगी। तो ऐसा जब कोई विधेयक या अधिनियम बनाया जाता है तो उसमें इस चीज की गुंजायश रख ही ली जाती है। इसका यह मंशा नहीं है कि कोई कालेज यदि एक वर्ग के हैं तो उनको उसी दिन सम्बद्ध कर दिया जाय और दूसरे वर्गों के कालेजों के लिये देर लगे ऐसी कोई आशंका नहीं है और न यह बात होने वाली है। यह तो केवल अहतियातन, कोई परिस्थिति पैदा हो जब वह उनसे सम्बद्ध न हो सकती हों, फैकल्टी न स्थापित हो सकती हो, तो उसमें आवश्यकता पड़ सकती है। तो या तो उस परिस्थिति में काम रोक दें या फिर संशोधन लावें। इसलिये यह बात विधेयक में रख ली गयी है। मैं समझता हूं कि संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है और इस संशोधन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (३) की छठवीं पंक्ति व अन्त में आया वाक्य "और विभिन्न कालेजों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री रक्षपालसिंह--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (३) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर, कानपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के दिनांक से कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समझा जायगा।"

श्रीमन्, यह संशोधन ठीक उस भावना से लाया गया है जिन पर यह विधेयक आधारित है। मंत्री जी ने कहा है कि यह आगरा विश्वविद्यालय के विकेन्द्रीकरण की बात है। कानपुर में विश्वविद्यालय स्थापित हो और कानपुर के १० मील के अन्दर जो यह विद्यालय हैं वह लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों और उसका प्रबन्ध लखनऊ से हो, उचित नहीं है। फिर यह कानपुर

---

*बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेडिकल कालेज अमरहुतात्मा गणेश शंकर विद्यार्थी जी के पवित्र नाम से सम्बद्ध विद्यालय है जिनका कानपुर के जीवन में कितना अमूल्य स्थान रहा है। वह विद्यालय जब कानपुर में स्वयं विश्वविद्यालय खुल रहा है उससे सम्बन्ध न रहे और लखनऊ के साथ बना रहे, यह सम्भवतः ठीक नहीं होगा। जो बातें मेडिकल कालेज, कानपुर की नियुक्ति के बारे में उठाई गई वह भी राजनैतिक बातें थी और राजनैतिक भावना को बनाये रखने की ओर संकेत करती हैं जो उचित नहीं है। इस कारण मेरा निवेदन यह है कि यह कानपुर विश्वविद्यालय ऐसा है जिसके अन्दर वहां पर जो भी विद्यालय या विश्वविद्यालय है उन सबका उस कानपुर विश्वविद्यालय के अन्दर समावेश होना चाहिये।

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

अधिष्ठाता महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी को बधाई देती हूं कि शुरू में ही जिस दिन इस पर विचार विमर्श हुआ था तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इस विधेयक के अन्तर्गत वे ही कालेज आयेंगे जो आगरा विश्वविद्यालय ऐक्ट, १९२६ के अधीन इस समय सम्बद्ध हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो कालेजेज आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध नहीं हैं उनके ऊपर यह विधेयक लागू नहीं होगा। एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि माननीय मन्त्री महोदय ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि यह एक निर्जीव विधेयक है। इसमें जीवन लाने के लिये शरीर गठन की जरूरत है। यह सही है कि जब गठन इसके शरीर का हो जायगा तो उसके बाद इसमें आत्मा पैदा को जायगी। परन्तु मैं यह पूछना चाहतीं हूं कि जब तक इसके शिक्षा का स्तर विश्वविद्यालय के उस स्तर पर न आ जाय तब तक यह कैसे न्याय संगत है कि इसके अन्दर उसको लाया जाय जो कानपुर का मेडिकल कालेज बहुत बढ़िया काम कर रहा है? वह प्रदेश में ही नहीं बल्कि एशिया में बहुत बढ़िया कालेज होने जा रहा है। जो वह मेडिकल कालेज स्थापित हुआ है उसमें हमारे स्वास्थ्य मन्त्री का बहुत बड़ा हाथ है और वह इस समय बहुत बढ़िया कालेजों में माना जाता है। जो संस्था इतनी प्रगतिशील है, नई-नई प्रयोगशालायें खुल रही हैं, नई-नई लेबोरेटरी खुल रही है, अभी हाल ही में बच्चों के लिये एक डिपार्टमेंट खोला गया है, जो संस्था एक अच्छे तरीके से कार्य कर रही है उसको एक नई संस्था के अन्दर लाना, जिसका कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, मेरी समझ में नहीं आया। इसलिये मेरा विरोधी दल से अनुरोध है कि इस चीज को यहां से हटाने के लिये इस समय मन्त्री महोदय को बाध्य न किया जाय।

*श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, प्रस्तावक महोदय की जो भावना है उसको मैं स्वाभाविक रूप से समझ सकता हूं। यह मेडिकल कालेज आज भी आगरा विश्वविद्यालय के क्षेत्र में है। एक विशेष परिस्थिति के अनुसार यह आवश्यक समझा गया था कि इसको लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाय और आगरा से यह सम्बद्ध न रहे। यह प्रश्न कई बार उठा है कि जब यह कानपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र में स्थित है तो उससे इसको सम्बद्ध होना चाहिये। यह विचार सही हो सकता है लेकिन इस विधेयक के द्वारा इसको तुरन्त करने में दिक्कत है। जैसा कहा गया कि यह विधेयक आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जितने कालेजेज हैं उनके ऊपर लागू होता है। यह मेडिकल कालेज, लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है और उसके स्टैट्यूट्स अपने सारे कालेजेज के लिए बने हुये हैं। अगर किसी एक विश्वविद्यालय के लिए किसी दूसरे विश्वविद्यालय की किसी चीज में परिवर्तन करना होगा, क्षेत्र का या किसी संस्था का तो दूसरें ऐक्ट में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। माननीय सदस्य देखेंगे कि दरवाजा यहां भी बन्द नहीं है। धारा ५(२) में यह बात कही गयी है कि यदि कोई संस्था ऐसी हो जो लखनऊ या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो और यह आवश्यक समझा जाय कि उनको किसी दूसरे विश्वविद्यालय मेरठ या लखनऊ से सम्बद्ध किया जाय आवश्यक समझा जाय तो किया जा सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाशप्रकाश]

इसमें एक प्रतिबन्ध दे रखा है कि इस के अनुसार और इस प्रक्रिया को करने के पश्चात् वे सम्बद्ध किये जा सकते हैं। तो वह आज नहीं हो सकता। यदि आगे चल कर इस बात की आवश्यकता महसूस होती है और यह बात उपयोगी सिद्ध हो सकती है तो कालेज के दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण से और क्षेत्र के दृष्टिकोण से यदि यह उपयोगी प्रतीत होता है कि इसको लखनऊ के बजाय कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाय तो इस के लिए इस में गुन्जाइश है। उस प्रक्रिया द्वारा एक कालेज एक यूनिवर्सिटी से निकल कर उसमें लाया जा सकता है। इसलिए आज इस संशोधन को, जो उपस्थित किया गया है,आवश्यकता नहीं है और इसे मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं क्योंकि इसका प्रभाव दूसरे विश्वविद्यालय पर भी पड़ता है और आज इस अधिनियम में यदि हम यह पास कर दें कि और दूसरे विश्वविद्यालय के स्टैटयूट्स बने रहें और उन में कोई परिवर्तन न किया जाय तो एक पारस्परिक विरोधाभास हो सकता है। इससे कानूनी कठिनाइयां हो सकती हैं और इसलिए मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ के उपखण्ड (३) के बाद में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर, कानपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के दिनांक से कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समझा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

विश्वविद्यालय के अधिकार तथा कृत्य

५—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकार तथा कृत्य होंगे, अर्थात्—

(१) ऐसे विषयों में शिक्षण की व्यवस्था करना जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे तथा शोध कार्यों और ज्ञान की अभिवृद्धि एंव प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(२) धारा ४ की उपधारा (३) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर और कानपुर विश्वविद्यालय की दशा में इलाहाबाद या लखनऊ विश्वविद्यालय की भी सीमाओं के भीतर स्थित किसी कालेज को, नियत शर्तों के अधीन सम्बन्धता का बिशेषाधिकार प्रदान करना :

प्रतिबन्ध यह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सीमाओं के भीतर स्थित किसी कालेज को, यथास्थिति, लखनऊ विश्व. विद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुमोदन के बिना सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया जायगा ;

(३) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टताओं की स्थापना करना ;

(४) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टताओं के निमित्त परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें ऐसे व्यक्तियों को प्रदान एवं सम्प्रदान करना--

(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय, किसी संघटक कालेज या किसी सम्बद्ध कालेज में अनुमोदित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, या

(ख) जिन्होंने विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय, द्वारा तदर्थ मान्यता प्राप्त किसी संस्था में या स्वतंत्र रूप से परिनियमों तथा अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन शोध कार्य किया हो, या

(ग) जो शिक्षा संस्थाओं में अध्यापक हों या शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से सेवायोजित निरीक्षण अधिकारी हों, और परिनियमों तथा अध्यादेशों में तदर्थ निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों, या

(घ) जो महिलायें हों और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया हो; या

(ऊ) जो विश्बविद्यालय या संघटक कालेजों अथवा सम्बद्ध कालेजों के पुस्तकालयों के पुस्तकाध्यक्ष हो और परिनियमों तथा अध्यादेशों में तदर्थ निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों ।

(५) परिनियमों में निर्धारित रीति से तथा शर्तों के अधीन सम्मान-सूचक उपाधियां अथवा अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना ;

(६) ऐसे व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय के छात्र न हों, ऐसे डिप्लोमा प्रदान करना और उनके लिए ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षण की व्यवस्था करना जिसे विश्वविद्यालय अवधारित करे ।

(७) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकरणों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें ।

(८) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन पदों की स्थापना करना तथा ऐसे पदों पर नियुक्तियां करना ;

(९) कालेजों को सम्बद्धता सम्बन्धी शर्तें नियत करना और नियत-कालिक निरीक्षणों द्वारा अथवा अन्य प्रकार से अपना यह समाधान करना कि शर्तें पूरी की जा रही हैं ।

(१०) परिनियममों तथा अध्यादेशों के अनुसार अधिछात्तवृत्तियों (fellowships) छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों (studentships) तथा पारितोषकों को स्थापना करना और उन्हें प्रदान करना ;

(११) बिश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावासों का संधारण करना और उन्हें मान्यता देना ;

(१२) ऐसे शुल्क और अन्य परिव्यय मांगना तथा प्राप्त करना जो अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायें ।

(१३) विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध कालेजों के छात्रों के अनुशासन का पर्यवेक्षण और विनियमन करना;

(१४) प्रशासकीय, लिपिकीय तथा अन्य आवश्यक पदों आ सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना, और

(१५) विश्वविद्यालय के उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित समस्त कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त अधिकारों से आनुषंगिक हों या न हों ।

श्री रघुनाथसिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा धारा ३(१) में एक संशोधन था । वह यदि मान लिया जाता तो इसकी आवश्यकता थी । वह चूंकि माना नहीं गया इसलिये परिणामतः यह बेकार हो गया है और इसलिये मैं यह तथा इसके आगे वाले संशोधन पेश नहीं करना चाहता ।

श्री अधिष्ठाता---

ठीक है ।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय---

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (२) को पूरा हटा दिया जाय ।

श्रीमन्, असल में इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालय से जो संबद्ध कालेज हैं, इसके द्वारा आप उनको भी आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध करने की बात करते हैं । इसकी कोई जरूरत नही प्रतीत होती क्योंकि वहां स्वयं बिश्वविद्यालय हैं । यदि आपने यह संशोधन स्वीकार न किया तो इसका परिणाम यह होगा कि ऐसे कालेजों के बढ़ने की प्रवृत्ति को वहां प्रोत्साहन मिलेगा और वहां के विश्वविद्यालयों को ठेस पहुंचेगी । इसलिये मैं मंत्री जी से अनूरोध करूंगा कि लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालयों की परिधि में जो कालेज हैं उनको उनसे निकालने का अधिकार इस विधेयक द्वारा नहीं दिया जाना चाहिये ।

*श्री राधेश्याम शर्मा---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम लोगों ने बहुत सोच-समझ कर यह संशोधन रखना है, लेकिन माननीय मंत्री जी के तर्क ऐसे होते हैं कि उनके बाद कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है । बड़ी साफ बात है कि कानपुर और मेरठ की यूनिवर्सिटीज एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटीज बन रही हैं और उनमें इम्तहान लिये जायंगे । इसमें भी आप एक अड़ंगा लगा रहे हैं कि जो विद्यालय लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं उनको उनके उपकुलपति की राय से उन से अलग कर के इन नये विश्वविद्यालयों में जोड़ा जा सकता है । इससे घपला पैदा हो जायगा । सीधी-सीधी बात यह है कि कानपुर और मेरठ से इनको क्यों जोड़ना चाहते हैं । अगर आप यह करेंगे तो इससे घपला पैदा हो जायगा और इस संशोधन को मानने में मंत्री जी को कोई एतराज नहीं होना चाहिये । दोनों की परिधि अलग-अलग रहनी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि इसमें कोई बहस की जरूरत नहीं है । यह हमने बहुत समझ बूझ कर रखा है और इसको मंत्रीजी को मान लेना चाहिये ।

श्री रघुनाथसिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसी सम्बन्ध में एक संशोधन मेरा भी था लेकिन मेरा जो मौलिक उद्देश्य था उससे वशीभूत होकर मुझे गुंजायश नहीं थी उसकी प्रस्तुत करने की । लेकिन जिस कारण से यह पूरी उपधारा को निकालने का प्रस्ताव माननीय सत्यनारायण पांडेय और राधेश्याम शर्मा ने रखा है उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब आगरा विश्वविद्यालय के परीक्षा भार को कम करने के लिए आपने कानपुर और मेरठ में विश्वविद्यालय बनाने की बात की है और शिक्षा का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रसार बढ़ता ही जा रहा है तो कुछ दिनों के बाद इन दोनों नये विश्वविद्यालयों पर भी परीक्षा का भार बढ़ेगा और जैसा कि आपका उद्देश्य है, आप उसे शैक्षिक विश्वविद्यालय भी बनाना चाहते हैं, तो पढ़ाई, लिखाई आरंभ होने पर उनका कार्य और भी बढ़ेगा। तो इस सम्बन्ध को न मानने पर कुछ दिनों के बाद आपको एक नया संशोधन लाना पड़ेगा इस विधेयक में भी, जब यह अधिनियम बन जायगा और विधानतः क्षेत्र अनुबंधित करना होगा। इसलिए इस संशोधन के द्वारा आप कई साल तक कई अधिनियमों को संशोधित करने के झंझट से बच सकते हैं। लेकिन इसके मानने से पहले चूंकि दूसरे अध्याय से हम आगे बढ़ आये हैं तो चौथे अध्याय की पहली धारा में भी लखनऊ-इलाहाबाद जिले को जो कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कर दिया गया है तब इन दोनों जिलों को निकालने की मेहरबानी मंत्री जी को करनी पड़ेगी। चौथे खंड के उपखंड (१) में से इलाहाबाद, लखनऊ को निकालकर अगर इस संशोधन को मान लेते तो नये नये संशोधन लाने के झझट से मुक्ति मिल जाती।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि खंड ४(१) में इलाहाबाद गौर लखनऊ जिलों के शब्दों को निकाल कर अगर मंत्री जी इस संशोधन को मान लें तो बड़ी कृपा होगी।

*श्री कृष्णानन्द राय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी समझ में तो जिस प्रकार से ये खंड लिये गये हैं वह पूर्ण रूप से जो माननीय सत्यनारायण पांडेय और राधेश्याम जी चाहते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। अगर आप खंड ४(३) को देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि कानपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर अथवा इलाहाबाद विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालयों की सीमाओं के भीतर स्थित कालिज, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय अगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध हों, ऐसे दिनांक से जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध समझे जायंगे।

खंड ४ के उपखंड (३) में हम लोग यह चीज स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन माननीय सत्यनारायण जी यह चाहते हैं कि लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों की उपेक्षा न की जाय। इसके लिए माननीय मंत्री जी ने पहले से ही खंड २ में एक प्रतिबन्ध लगा दिया है कि यदि इलाहाबाद और लखनऊ के किसी डिग्री कालेज को संबद्ध करना हो तो वहां के वाइस चांसलर से परमीशन जरूर ले लेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि मौजूदा व्यवस्था आपके अनुकूल क्यों नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का बिरोध करता हूं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वैसे बहुमत के बल पर हमारे शिक्षा मंत्री जी जो चाहें करें, किंतु दोनों विश्वविद्यालयों के कानून अलग-अलग बने हुए हैं--लखनऊ का अलग है, इलाहाबाद का अलग है। आपने इसमें एक डिक्टेटोरिएल पावर ले ली है कि उपकुलपति जिसको चाहे परमीशन दे दें। यानी हर विश्वविद्यालय के कोर्ट या कार्यकारिणी जो बनी हैं उनसे न पूछा जाय और केवल कुलपति के अनुमति देने पर ही कोई कालेज दूसरी युनिवर्सिटी में चला जाय। यह उचित नहीं है। इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालय के कानून में वह राइट किसी को नहीं है। इसलिए यह संशोधन बहुत आवश्यक है और इस पूरे उपखंड को निकाल देना चाहिए।

श्री रक्षपालसिंह--

श्रीमन्, इसमें एक वैधानिक अड़चन पड़ सकती है क्योंकि लखनऊ और इलाहाबाद के ऐक्टों में यह प्रावीजन नहीं है कि उनका कोई कालेज कुलपति किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को दे दे। इसलिए यह संशोधन मानने योग्य है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय—

ये दोनों विरोधी बातें हो जाती हैं। इलाहाबाद को आप क्यों कानपुर और मेरठ के झगड़े में डालते हैं? वह विश्वविद्यालय सक्षम है। इलाहाबाद की सीमा केवल १०, १२ मील की ही तो है, इसलिए इस संशोधन के मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री कैलाशप्रकाश—

इससे पूर्व जो संशोधन पेश था और उसके विषय में मैंने जो तर्क उपस्थित किया था, एक तरह से उसे अपनी बात कहने का सिंबल बनाया था, वह यही धारा थी। मेडिकल कालेज के बारे में कुछ माननीय सदस्यों की भावना है कि कानपुर के मेडिकल कालेज को कानपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत होना चाहिए, क्योंकि वह उस क्षेत्र में है। अगर इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि उसे एक विश्वविद्यालय से निकाल कर दूसरे विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दें।

साधारणतया जो सीमायें विश्वविद्यालयों की निर्धारित हैं उनके अन्तर्गत जो संस्थायें हैं या बनती हैं उनका संबंध किसी दूसरे विश्वविद्यालय से न किया जाय, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। जैसे कानपुर के मेडिकल कालेज को लखनऊ से लगा दिया जाय। एक परिस्थिति यह उत्पन्न हुई कि लखनऊ के होम्योपैथिक कालेज को आगरे से संबद्ध किया गया। इसी तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सीमा के अन्तर्गत जो एक संस्था है उसे आगरे से संबद्ध किया गया। कभी-कभी यह भी महसूस हुआ है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की सीमा के अन्तर्गत अगर कोई संस्था है तो वह दूसरे से संबद्ध की जाय। मेरी राय में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, "वाटर-टाइट कंपार्टमेंट", करना उचित नहीं है।

एक बात है कि अपने प्रदेश की शिक्षा के हित में काम करना है। उसमें यह जरूर देखना चाहिए कि कहीं अनुचित पदार्पण न हो जाय और अधिकार चेष्टा से कोई विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र को बढ़ाता न चला जाय या शिक्षा को संबद्ध न करता चला जाय या एक प्रतिस्पर्द्धा की भावना पैदा न हो जाय इस बात से तो सचेत रहना चाहिए और इस बात की गुंजाइश नहीं देनी चाहिए। लेकिन यदि शिक्षा के हित की दृष्टि से यह जानकारी में आवे कि एक संस्था को किसी दूसरे विश्वविद्यालय में जहां कोई विशेषता है, उससे संबद्ध कर दिया जाय तो केवल इसलिए कि हमने कृत्रिम रूप से सीमा निर्धारित कर रखी है, उसको बांध दें उससे यह उचित नहीं प्रतीत होता। इस बात से सचेत रहने के लिए कि प्रतिस्पर्द्धा की भावना पैदा न हो और एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में पदार्पण न हो, यह पाबन्दी रखी गई कि कुलपति को रखा गया। कुलपति को इसलिए रखा गया कि जिसमें यह भावना पैदा न हो क्योंकि कुलपति इस विधेयक के द्वारा मेरठ और कानपुर विश्वविद्यालय का भी गवर्नर ही होगा और इलाहाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालयों का भी गवर्नर ही है। इसलिए उससे यह आशा की जा सकती है कि वह दोनों में संतुलन रखेगा और वह केवल आवश्यकता के अनुसार अनुमति प्रदान करेगा। वह इस भावना से नहीं कार्य कर सकता कि किसी एक विश्वविद्यालय का क्षेत्र या उसकी शक्ति विशेष रूप से बढ़ा दी जाय। इसलिए इस धारा को रखने से यह गुंजाइश पैदा होती है और जो उसमें दिक्कतें पैदा हो सकती थीं उन दिक्कतों को निकाल दिया गया है। अतः यह धारा जिस रूप में है उसी रूप में इसका रहना आवश्यक है और उसमें कोई संशोधन उचित नहीं है।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो प्रश्न उठा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऐक्ट जो है उसके अन्तर्गत कोई कालेज इस तरह संबद्ध नहीं हो सकता, तो इसमें विरोधाभास तो नहीं होगा, यह जरा स्पष्ट कर दें।

श्री कैलाशप्रकाश---

वैसे कानूनी दृष्टि से देख लिया गया है। मैंने निवेदन किया कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी के सीमा क्षेत्र के अन्दर एक की तो मुझे जानकारी है कि एक कालेज ऐसा है जो आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध है और इससे यह प्रतीत होता है कि यह संबद्ध हो सकता है। वैसे कानूनी राय लेकर यह विधेयक बनाया गया है। अतः मैं समझता हूं कि कोई वैधानिक आपत्ति इसमें नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (२) को पूरा हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री रक्षपालसिंह---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (४) की मद (ग), (घ) और (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(ग) जिन व्यक्तियों ने परिनियमों और अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन निजी रूप में अध्ययन किया हो।"

श्रीमन्, इसमें जो भी परीक्षा देना चाहे उसके लिए तीन प्रकार की व्यवस्थायें हैं। (ग) में है कि जो शिक्षा संस्थाओं में अध्यापक हों या शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से सेवा-योजित निरीक्षण अधिकारी हों, और परिनियमों तथा अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। (घ) में है कि जो महिलाएं हों और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया हो और (ङ) में है कि जो विश्वविद्यालय या संघटक कालेजों अथवा संबद्ध कालेजों के पुस्तकालयों के पुस्तकाध्यक्ष हों और परिनियमों तथा अध्यादेशों में तदर्थ निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। तो यह तीन प्रकार के लोगों की परीक्षा की व्यवस्था इसमें है। और बाकी तो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो बाकायदा पढ़ेंगे और उनकी परीक्षा होगी। इनमें से महिलाओं के लिए तो बिलकुल साफ-साफ लिख दिया गया है कि जो नियम बनाये जाएं उनके अन्तर्गत उनकी क्वालीफिकेशन निर्धारित रहेगी और उन क्वालीफिकेशन को पूरा करने वाली महिलाएं प्राइवेट रूप से परीक्षा दे सकेंगी या और दो प्रकार के लोगों के लिए यह अवसर मिलेगा। लेकिन श्रीमन्, मेरा संशोधन यह है कि "जिन व्यक्तियों ने परि-नियमों और अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया हो।" अब तक जो महिलाएं थीं केवल उन्हीं को यह सुविधा प्राप्त थी, लेकिन मेरा कहना यह है कि महिलाओं को तो यह सुविधा प्राप्त है ही, उनके साथ ही हर व्यक्ति को जो निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो प्राइवेट परीक्षा में बैठने की सुविधा इस विधेयक के अन्तर्गत होनी चाहिए। जब यह सुविधा सबके लिए हो जायगी तो अध्यापकों व लाइब्रेरियन्स के लिए भी आपको अलग से कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता न होगी। वास्तव में आज तीन तरह के लोग हैं जिनको प्राइवेट ढंग से रह कर परीक्षा देने की सुविधा प्राप्त हैं। एक तो महिलायें हैं, दूसरे शिक्षा संस्थाओं के अन्तर्गत काम करने वाले अध्यापक व अधिकारी हैं जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में तदर्थ निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और तीसरे लाइब्रेरियन्स हैं जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में तदर्थ शर्तों को पूरा करते हैं। अब मेरा संशोधन "महिलायें" क स्थान पर "व्यक्ति" कर देने का है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को प्राइवेट परीक्षा में बैठने की सुविधा मिल जायगी और कानपुर ऐसे केंद्र के स्थान पर या आजकल जिन स्थानों पर अनएम्प्लायमेंट है जहां लोग कल कारखाने या अन्य स्थानों पर नौकरी करते हुए समय निकाल कर अध्ययन करके अपनी योग्यता बढ़ाते हैं और परीक्षा देना चाहते हैं वे एक निश्चित योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। इसमें सभी लोग आ जाते हैं, चाहे वे महिलायें हों या और कोई भी हों। मेरे संशोधन का यही मन्तव्य है, इसमें पुरुष

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रक्षपालसिंह]

और महिलायें दोनों शामिल हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लें। अब तक तो ऐसा होता रहा है कि लोग इस तरह की परीक्षा देने के लिए बड़ौदा, नागपुर या अन्य स्थानों पर जाते थे लेकिन अब तो शायद प्राइवेट संस्थाओं के अलावा और कहीं इस तरह की परीक्षा का कोई प्रबंध ही नहीं है। इस संशोधन को मान लेने से इस प्रदेश के अंदर ही डिग्री कालेजों से प्राइवेट तौर पर डिग्री प्राप्त करने की सुविधा सब को मिल जायगी।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)---

अधिष्ठाता महोदय, सदन में कोरम नहीं है, इसको भी आप जरा देख लें।

(घन्टी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता---

सरकारी विधेयकों के लिए कोरम को कायम रखना सरकार का दायित्व है। अगर कोरम नहीं रहा तो मुझे आज सदन को स्थगित कर देना पड़ेगा।

*श्री कृष्णानन्द राय---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय रक्षपाल सिंह जी के संशोधन पर ४ माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। आप यदि इस संशोधन को देखें तो इससे स्पष्ट हो जायगा कि सारे विधेयक पर जो भाषण हो रहे हैं और यह जो संशोधन रखा गया है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। एक ओर तो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि शैक्षिक विश्वविद्यालय हो, डिग्री कालेजेज भी उससे संबद्ध न हों, और दूसरी तरफ वे यह संशोधन रख रहे हैं कि निजी रूप से भी जो शिक्षण प्राप्त करें उनको भी डिप्लोमा प्रदान किया जाय। उससे जिस स्तर को वे रखना चाहते हैं, वह किस प्रकार से रह सकेगा। यह तो विशेष अवस्थाओं के लिए रखा गया है कि जो निरीक्षक वगैरा हैं, या किसी पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष हैं, या किसी विशेष सेवा में हैं तो उनको उस विषय का डिप्लोमा दिया जा सकेगा। महिलाओं को अवश्य यह सुविधा दी गयी है कि अगर वे घर बैठ कर भी डिप्लोमा की परीक्षा देकर पास होना चाहें तो हो सकती हैं। क्योंकि यह पहली सारी बहस के प्रतिकूल है, इसलिए मानने के योग्य नहीं है। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो धारा विधेयक में रखी गयी है वही अधिक उपयुक्त है।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकट---

मैं यह नहीं समझ पाया कि माननीय कृष्णानन्द राय जी महिलाओं को क्यों अधिक सुविधायें देना चाहते हैं। उनका पुरुषों के प्रति यह स्टेपमदरली ट्रीटमेंट क्यों है। जब वे शिक्षा का प्रसार महिलाओं में करना चाहते हैं तो पुरुष भी जो उसी श्रेणी में आते हैं उनको यह सुविधा क्यों नहीं देते। ह्यूमेनिटी में यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों? एक तरफ आप कहते हैं कि शिक्षा का प्रसार हो और दूसरी तरफ पुरुषों पर प्रतिबंध लगाते हैं। बहुत से टेलेंटेड बच्चे इस प्रकार के होते हैं जो पढ़ नहीं पाते। अगर इस प्रकार की सुविधा दे दी जायगी तो वे भी इम्तहान पास कर लेंगे। जिन नियमों के अनुसार आप स्त्रियों को सुविधा दे रहे हैं उन्हीं नियमों के अनुसार पुरुषों को भी दें। आपको पुरुषों से घृणा क्यों हो रही है? उनके राइट्स को आप करटेल क्यों कर रहे हैं। स्त्रियों और पुरुषों को आपको बराबर राइट्स देना चाहिए।

*श्री रक्षपालसिंह---

अधिष्ठाता महोदय, मुझे कोई खास बात कहनी नहीं थी। लेकिन माननीय कृष्णानन्द जी को मैं यह बता देता चाहता हूं कि उनके आर्गूमेंट्स से माननीय मंत्री जी खुश होने वाले नहीं हैं। हम किसी लाइब्रेरियन या अध्यापक को रोकना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपने यह जो महिलाओं वाला

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सेक्शन रख दिया है उसके बारे में हमारा कहना यह है कि वह सुविधा पुरुषों को भी होनी चाहिए। विधायकों में भी बहुत से ऐसे हैं जिनको अगर यह सुविधा प्रदान कर दी जाय तो परीक्षा देने को तैयार हो जायेंगे, अगर पुरुषों के लिए व्यवस्था की जाय। रही स्तर की बात वह तो विद्यालय के जो विद्यार्थी परीक्षा देंगे उस का माप उनके आधार पर होता है। प्राइवेट परीक्षार्थी को तो वह एक अलग से सुविधा होगी उनसे कोई स्तर के गिरने व उठने की बात न होगी। उसको इस स्तर से नहीं जोड़ना चाहिए। जो प्राइवेट लोग किन्हीं कारणों से यह सुविधा चाहते हैं उनके लिए केवल अपवाद रूप में यह है।

श्री कैलाशप्रकाश--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, गणित में मैंने एक तरह के सवाल पढ़े थे कि भिन्न आंकड़े होते हैं, संख्याओं के और उनका कहा जाता है कि महत्तम समापवर्त्तक निकालो जिसे "हाईएस्ट कामन फैक्टर" कहते हैं या "एच० सी० एफ०" भी कहते हैं। यहां बहुत से संशोधन आए और उन पर माननीय सदस्यों के विचार मैंने सुने। उन से ऐसा मालूम होता है कि यह बिल एच० सी० एफ० है यानी तमाम संख्यायें हैं वह रायें जो माननीय सदस्यों की आई है। एक ओर तो राय यह थी कि इस कानपुर विश्वविद्यालय को केवल महिला विश्वविद्यालय बनाया जाय। लेकिन दूसरी तरफ यह चीज थी कि यह सारी सहूलियतें जो थोड़ी बहुत महिलाओं को दी हैं वह सभी को देना चाहिए और तीसरी बात यह थी कि जब तक शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रबंध न किया जा सके तब तक यह विश्वविद्यालय एक भी न हो तथा एक यह कि संबद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करने से जो शिक्षा का स्तर गिर जाता है। वह गिर गया है। इस तरह से बहुत से विचार आये और सब अपनी-अपनी जगह वजन रखते हैं जैसे भिन्न-भिन्न संख्यायें वजन रखती हैं। लेकिन हमने इन तमाम रायों या संख्याओं का एक कामन फैक्टर बड़े से बड़ा निकाला कि कुछ महिलाओं को भी बिशेष सुविधा हो और शिक्षा संस्थाओं में काम करने वालों को भी कुछ विशेष सुविधायें हों। हमें स्तर का भी ध्यान है और हम नहीं चाहते कि कोई भी कमरे में किताब पढ़ ले और उसको डिग्री मिल जाय। इन सब बातों का ध्यान रखा गया है और इस पर स जो हाईएस्ट कामन फैक्टर निकाला गया है वही उचित मालूम होता है और इस वजह से मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ५ के उप खण्ड (४) की मद (ग), (घ) और (ङ) के स्थान पर निम्न-लिखित रख दिया जाय।

"(ग) जिन व्यक्तियों ने परिनियमों और अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन निजी रूप में अध्ययन किया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रघुनाथसिंह--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ५ के उपखण्ड (८) की प्रथम पंक्ति में शब्द "अध्यापन" और "पदों" के बीच शब्द "प्रशासकीय लिपिकीय तथा अन्य" जोड़ दिये जायं।

यह जो पांचवीं धारा है उसमें विश्वविद्यालय के अधिकार तथा कृत्य बताये गये हैं कि वह विश्वविद्यालय में काम करने के लिए विभिन्न पदों का सृजन करेंगे और उन पर नियुक्तियां करेंगे। लेकिन इस धारा की आठवीं उपधारा में अपेक्षित अध्यपन पदों की स्थापना तथा उन पर नियुक्तियां करने का जिक्र है। और उपधारा (१४) में प्रशासकीय, लिपिकीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन और नियुक्तियों की बात है। विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य की खास विशेषता है। इन दोनों कार्यों के लिये अलग-अलग धारायें बनाना एक अनावश्यक बिस्तार प्रतीत होता है। विश्वविद्यालय से संबंधित चाहे किसी सेवा का

[श्री रघुनाथसिंह]

पद हो उनकी नियुक्ति भी इस उपधारा में आ जानी चाहिय । इससे अनावश्यक विस्तार भी बच जाता है । मैंने जो संशोधन पेश किया है वह बड़ा ही निरीह और स्पष्ट है और मुझे आशा है माननीय मंत्री जी इस संशोधन को अवश्य ही मान लेंगे ।

श्री कैलाशप्रकाश---

डाक्टर साहब की जो मंशा है वह तो मैंने मान ही रखी है । उपधारा ६ और १४ को देख लिया जाय । उससे कोई लाभ ही नहीं है । इसके लिये दूसरे सदन का समय लिया जाय जब कि विशेष के लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती है । इसलिये मैं समझता हूं कि आप इस संशोधन को वापस ले लीजिये ।

(श्री रघुनाथसिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता---

आपने अपना संशोधन पेश किया उस समय आपको जो कहना था आपने कह दिया था । उस समय और कोई खड़ा नहीं हुआ । जवाबी तकरीर पूरी हो गयी । अतः अब अगर आप केवल स्पष्टीकरण करना चाहते हों तो कर लें ।

श्री रघुनाथसिंह---

स्पष्टीकरण में मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि इस संशोधन द्वारा विधेयक में सुधार कर दिया जाय तो इससे ज्यादा परेशानी होगी या उससे परेशानी होगी कि गजट में छापा जाय और २ धाराओं की चर्चा होती रहे । यह सब ऊट-पटांग सा है । अतः माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि इसको मान लिया जाय ।

श्री कैलाशप्रकाश---

श्रीमन्, सुविधा इसी में होगी कि यह एसा ही रहे जैसा इस समय है ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (८) की प्रथम पंक्ति में शब्द "अध्यापन" और "पदों" के बीच शब्द " प्रशासकीय लिपिकीय तथा अन्य " जोड़ दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

*श्री रक्षपालसिंह---

अधिष्ठाता महोदय, १७, १९, २० पर जो संशोधन लिखे गये हैं ये एक ही संशोधन हैं । जब तक १७ और १९ को नहीं जोड़ा जायगा तब तक कोई महत्व नहीं होगा । यह सब एक ही है । यद्यपि मैंने एक ही जगह दिया था लेकिन यह छपा है ३ जगह पर । मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि :---

"खंड ५ के उपखंड (१४) के अन्त में आया शब्द 'और' निकाल दिया जाय । खंड ५ के उपखंड (१५) के बाद पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय ।"

खंड ५ के उपखंड (१५) के बाद निम्न उपखंड जोड़ दिया जाय---

"(१६) राज्य सरकार की सलाह से विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के प्राध्यापक वर्ग तथा अन्य कर्मचारियों के लिये वेतन क्रम, भत्ता तथा अन्य सुविधाओं का निर्धारित करना ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसमें श्रीमन्, यह जो एक नयी बात जोड़ने के लिये है वह यह है कि विश्वविद्यालय के जो अधिकार होंगे, उसमें जो कृत्य हैं जो (१) से (१५) तक वर्णित हैं, उनमें एक कृत्य और जोड़ देने के लिये प्राध्यापक वर्ग तथा अन्य कर्मचारियों की भी व्यवस्था किये जाने की बात है। हमारे विश्वविद्यालय का यह भी कर्त्तव्य होगा कि अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों जैसे चपरासियों, लिपिकों आदि की सेवा नियमावली बनाने के लिये भी अधिकार विश्वविद्यालय को चाहिये। और यह अधिकार इसलिये देने की बात कही जाती है कि जहां तक अध्यापकों के अधिकार की बात है २७ और २८ धारा के अन्तर्गत उनकी व्यवस्था है, लेकिन जो अन्य कर्मचारी रह जाते हैं, लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, उनके लिये कोई भी व्यवस्था इसमें नहीं है और जब व्यवस्था नहीं रहती है तो बड़ा आर्बीटरी व्यवहार होता है। अध्यापकों के संबंध में सेवा नियमावली लिखने का जो प्राविजन है उसमें लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ह उनके बारे में भी व्यवस्था होनी चाहिये कि उनके क्या अधिकार होंगे। ऐसा होने पर उनके लिये भी रूल्स बनेंगे और उनके लिये सेवा नियमावली भी बनेगी और इस तरह से सबके बारे में व्यवस्था इसी में हो सकेगी और यह आवश्यक भी है क्योंकि लिपिक वर्ग तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ हमेशा अन्याय होता रहा है।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय, अभी श्री रक्षपालसिंह ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। आये दिन हम देखते हैं कि कार्यकारिणी जो होती है उसमें अध्यापक ही होते हैं और वही शासित होते हैं, वहीं शासक होते हैं और वे अपनी सारी सुविधाओं को करा लेते है लेकिन जो विश्वविद्यालय का गरीब मिनिस्ट्रियल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी का जो स्टाफ होता है उनके बार में कार्यकारिणी कभी ध्यान नहीं देती। उनक वेतन क्रम तथा महंगायी भत्ते के बारे में चार-चार पांच-पांच साल तक कार्यकारिणी में बिचार नहीं होता और अध्यापक के मामले में झट हो जाता है। इसलिये इसके स्पष्ट समावेश हो जाने से वह वाध्य होंगे। जिससे इन लोगों की दशा सुधर सकेगी।

श्री कैलाशप्रकाश—

अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन के द्वारा दो बातें रखी जा रही हैं। एक तो विश्वविद्यालय के जो अध्यापक हैं या अन्य कर्मचारी हैं उनके बारे में कुछ किया जाय। इसे तो इसके पूर्व जो संशोधन रखा गया था उसमें भी बता दिया गया था। उप धारा १४ में विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये और प्रशासकीय लिपिक तथा अन्य आवश्यक पदों के सृजन की व्यवस्था है। जब पदों का सृजन होता है तो उनमें उनके वेतन इत्यादि सभी सम्मिलित होते हैं। इसलिये विश्वविद्यालय के लिये यह अनावश्यक होगा। रहा महाविद्यालय, तो उसमें यदि माननीय सदस्य देखेंगे तो पता चलेगा कि आगे जहां परिनियम बनाने का अधिकार दिया गया है अध्यापक ७ में, धारा ३० के अन्तर्गत वहां अध्यापकों के वर्गीकरण और नियुक्ति के बारे में परिनियम बन सकते हैं और किसी विश्वविद्यालय के लिये वहीं व्यवस्था रह सकती है। यहां भी बहरहाल चाहा जाता है, और उसका यह कर्तव्य होना चाहिये। जो कर्तव्य कि ८ और १४ में निर्धारित कर दिये गये हैं, कि परिनियम बनाते वक्त यह उनको अधिकार होगा कि वहां यह किया जाय। इसलिये इसको इस रूप में रखने की कोई विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। बहरहाल ये परिनियम वगैरह विश्वविद्यालय बनायेंगे। जब आपने विश्वविद्यालय की प्रणाली बना रखी है और वहां पर शिक्षकों का आधिपत्य है, यहां रख देगें तब भी कार्य में परिणत करने का अधिकार उनको ही होगा इस दिशा में इसे यहां रखने से कोई मतलब सिद्ध नहीं होता है। चाहे यहां रखें वहां रखें। मेरे सामने यह कठिनायी आयी कि एक एक विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के १४–१४ ग्रेड्स हैं और जहां तक मुझे जानकारी है वह यह कि कार्यकारिणी इन दिशाओं में देख रही है। कार्यकारिणी में केवल शिक्षक ही नहीं रहते हैं बल्कि वहां और तत्व भी रहते हैं। वहां पर वे लोग उनकी दृष्टि आकर्षित कर सकते हैं। खैर जब उनको ध्यान दिलाया जायगा तो उनका कुछ न कुछ हो सकता है। इसलिये मुझे यह अनावश्यक प्रतीत होता है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१४) के अन्त में आया शब्द "और" निकाल दिया जाय ।

खंड ५ के उपखंड (१५) के बाद पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय ।

खंड ५ के उपखंड (१५) के बाद निम्न उपखंड जोड़ दिया जाय :

" (१६) राज्य सरकार की सलाह से विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के प्राध्यापक वर्ग तथा अन्य कर्मचारियों के लिये वेतनक्रम, भत्ता तथा अन्य सुविधाओं का निर्धारित करना ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## खंड ६

निरीक्षण तथा जांच

६—(१) राज्य सरकार को, किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दें, विश्वविद्यालय का या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्था का अथवा किसी सम्बद्ध कालेज का, जिसके अन्तर्गत उसके भवन, प्रयोगशालायें तथा सज्जा (equipments) भी हैं और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या सम्पादित परीक्षणों, अध्ययापन कार्यों तथा अन्य कार्य का निरीक्षण करने अथवा विश्वविद्यालय संस्था या सम्बद्ध कालेज के प्रशासन तथा वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के सम्बन्ध में उसी प्रकार जांच करवाने का अधिकार होगा ।

(२) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा संधारित संस्था की दशा में विश्वविद्यालय को और सम्बद्ध कालेज की दशा में विश्वविद्यालय तथा प्रबन्धकारिणी को अपने इस आशय का एक नोटिस देगी कि वह निरीक्षण या जांच करवाना चाहती है और, यथास्थिति, विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय तथा प्रबन्धकारिणी को ऐसे निरीक्षण या जांच के समय अपना प्रतिनिधि भेजने तथा सुनवाई का अधिकार होगा ।

(३) विश्वविद्यालय अथवा उसके द्वारा संधारित किसी संस्था से सम्बद्ध निरीक्षण या जांच की दशा में, राज्य सरकार, ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम तथा उसके सम्बंध में अपने विचारों को, उपकुलपति को सूचित कर सकती है और की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में परामर्श दे सकती है तथा उपकुलपति उसे कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखेगा ।

(४) किसी सम्बद्ध कालेज से सम्बद्ध निरीक्षण या जांच की दशा में, राज्य सरकार अपने विचारों के साथ ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम प्रबन्धकारिणी को सूचित कर सकती है और की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में परामर्श दे सकती है ।

(५) यथास्थिति, उपकुलपति या प्रबन्धकारिणी, राज्य सरकार को ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम पर की गयी अथवा की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही, यदि कोई हो, की सूचना देगी ।

(६) यदि, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबन्धकारिणी राज्य सरकार के सन्तोषानुसार कार्यवाही न करे तो, राज्य सरकार, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निदेश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे और यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबन्धकारिणी ऐसे निदेशों का पालन करेगी ।

श्री रघुनाथसिंह---

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अध्याय ३ के खंड ६ के उपखंड (१) की अंतिम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "उसी प्रकार" निकाल दिये जांय ।

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि यह बहुत बड़ा सात पंक्तियों का एक वाक्य है जिसमें समय सूचक क्रिया जिसे अंग्रेजी में फाइनाइट वर्ब कहते हैं, "होगा" है । विश्वविद्यालयों के संबंध में बहुत सी स्थितियों में निरीक्षण और जांच के अधिकार होंगे । जांच किये जाने वाली संस्थाओं के नाम इसमें गिनाये हैं । अगर गिनती वाली शब्दावली को निकाल कर वाक्य पूरा कर दें तो उसका मतलब यह होगा कि " राज्य सरकार को, किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दें, विश्वविद्यालय का या विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण करने अथवा, विश्वविद्यालय, या संबद्ध कालेज के प्रशासन तथा वित्त से संबंधित किसी विषय के संबंध में उसी प्रकार जांच करवाने का अधिकार होगा । "

श्रीमन्, यह" उसी प्रकार" शब्द हमेशा काम्पलेक्स सैटेंस में एडवरबियल क्लाज के लिये आते हैं यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य में आता है । यह ऐसी स्थिति में है कि इससे भ्रम हो सकता है । यह इतना बड़ा एक वाक्य है कि इसकी रचना करने वाले को भ्रम हो गया है । यह काम्पलेक्स सेटेन्स है । यह बहुत ही उपहासजनक ढंग से आ गया है । मैं चाहूंगा कि कम से कम इसको मान लेने में मंत्री जी को कोई एतराज नहीं होगा, नहीं तो मेरे मन को बड़ी ठेस लगेगी ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़े दुःख और दुर्भाग्य का विषय है कि शिक्षा से संबंधित एक विधेयक आया है और उसमें छोटे-छोटे शब्दों का इतना हेर फेर किया जा रहा है और माननीय मंत्री जी उसे मानने के लिये नहीं तैयार होते हैं । जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा, "उसी प्रकार" तो होना ही नहीं चाहिये ।

श्री कृष्णानन्द राय---

अधिष्ठाता महोदय, मैं जरा बीच में आपकी आज्ञा से शिक्षा मंत्री स अनुरोध करूंगा कि उसी प्रकार के क्या मतलब हैं, यह बतला दें ।

श्री अधिष्ठाता---

उनको कह लेने दीजिये तो मंत्री जी जब बोलेंगे तब बता देंगे ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

उन्हें कह लेने दिया जाय, आप ( कृष्णानन्दराय) हंस रहे हैं, हंसने की कोई बात नहीं है । शब्दों की गलती है उसको ठीक रूप दिया जाना चाहिये, इसको चेन्ज कर देना चाहिये । शब्दों में यदि इस तरह की कोई चीज आती है तो शिक्षा मंत्री जी को नम्रतापूर्वक मान लेना चाहिए । यह शब्द तो वहां पर किसी तरह से तो बैठता ही नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता---

शिक्षा मंत्री जी आप कोई जवाब देंगे, इसका ?

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

श्रीमन्, इसमें जवाब देने की क्या बात है ? यह तो ठीक करना ही चाहिये । यदि नहीं ठीक करते हैं तो बड़ी अनुचित बात है ।

*श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, मैंने तो अपनी लाचारी डाक्टर साहब के कुछ संशोधनों पर पहले ही जाहिर कर दी। भाषा का मैं कोई विज्ञाता नहीं हूं और जो विशेषकर विधेयक की भाषा होती है वह एक विधि के अनुकूल होती है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यदि कहीं शब्द ठीक न बैठता हो तो शाब्दिक परिवर्तन करने का तो श्रीमन्, आपको भी अधिकार है। मंशा के ऊपर एक सिलसिला चलता है। मुझे मामूली तरीके से अगर ठीक भी मालूम हो जाय, जैसा कि मैंने इसके पूर्व भी कहा, एक शब्द के हेर फेर के बारे में, तो जब तक विधिक दिमाग से परामर्श न उपलब्ध हो जाये तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। क्योंकि एक शब्द के हेर-फेर से ही वैधानिक कठिनाई आ जाती है। किन्तु यहां पर यह शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है, यह मैं निवेदन किये दे रहा हूं। इसमें दो चीजें हैं एक 'निरीक्षण' जिसको अंग्रेजी भाषा में 'इस्पेक्शन कहते हैं और दूसरा है 'जांच', जिसको अंग्रेजी में इनक्वायरी कहते हैं। इसमें आप देखें 'अथवा' से पूर्व वह कहते हैं राज्य सरकार को, किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे, विश्वविद्यालय का या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्था का अथवा किसी संबद्ध कालेज का, जिसके अन्तर्गत उसके भवन, प्रयोगशालायें तथा सज्जा भी है और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या सम्पादित परीक्षाओं, अध्यापन कार्यों तथा अन्य कार्य का निरीक्षण' लिखा है, यह निरीक्षण के वास्ते इतनी चीज दी गयी है, यह उन्होंने कहा। अब जांच का सवाल आया और जांच के लिये लिख दिया गया, 'उसी प्रकार'। यानी, 'राज्य सरकार को, किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यतियों द्वारा,' की वाक्यावली को पुनः दोहराया नहीं गया है। तो इन्क्वायरी और जांच में भी वही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं या नहीं ? जांच किनके द्वारा करवाई जाय, यदि इन्हें स्पष्ट न किया जाय तो बाधा उपस्थिति हो सकती है, इसलिये यह शब्द रखा गया, यानी इन चीजों का निरीक्षण हो सकता है और उसी प्रकार जांच भी करवाई जा सकती है--इन्हीं चीजों की और इन्हीं व्यक्तियों द्वारा। यह "उसी प्रकार" शब्द की मंशा है। यदि वह फिट नहीं बैठ रहा है, कहीं और रखने से स्पष्ट हो सकता है, तो वह तो श्रीमन्, आपको अधिकार है कि विधि विभाग की राय लेकर यह करें। यदि इसी मंशा से यह अन्यत्र ठीक बैठता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस समय इस रूप में इसे स्वीकार करने में लाचारी है।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

शब्द मैं समझ रहा हूं और वह स्पष्टतया गलत है, उसे हम कैसे पास कर दें ?

श्री अधिष्ठाता--

अब आपको बोलने की आवश्यकता नहीं रहती है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है--

"का" की जगह "की" आ जाय तो यह नियमानुसार आपके द्वारा दुरुस्त हो सकता है। लेकिन जो भावना को ही बदल दे उसमें आप संशोधन कर सकें, ऐसा नियम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

अगर भावना नहीं बदलती है और भाषा की या व्याकरण की गलती रह जाती है तो गवर्नर के यहां जाने के पहले ठीक हो सकता है और वह विधि विभाग द्वारा देख लिया जायगा।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

लेकिन इसमें तो भावना ही बदल जाती है।

श्री अधिष्ठाता--

भावना बदलने के लिये तो सम्भवतः मंत्री जी तैयार नहीं हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कैलाशप्रकाश--

यह भावना को बदल देता है। इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अधिष्ठाता--

(श्री रघुनाथ सिंह के खड़े होने पर) अब आपका उत्तर नहीं होगा। पांच बज रहे हैं, इस पर मत मुझे लेने दीजिये।

प्रश्न है यह कि अध्याय ३ के खंड ६ के उपखंड (१) की अंतिम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "उसी प्रकार" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२६ अप्रैल, १९६५।

विधान सभा

## नत्थी 'क'

[ देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०४ पर ]

### विभाजित मदों की सूची

| माह | क्रम सं० | सूची की क्रम सं० | कार्य का विवरण | स्वीकृति की तिथि | वाउचर सं० | भुगतान की धनराशि | भुगतान की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| | | | | | | रु० | |
| मई, १९६४ | १ | ७१ | यू० एस० वी० ३६३६ के लिये "फायर ब्रिगेड" टायर की कीमत | १-५-६४ | १४५ | २१६.६३ | ६-५-६४ |
| | | ७२ | ,, | ,, | १४६ | २१६.६३ | ,, |
| जून, १९६४ | २ | ९३ | मीटर की मरम्मत | १४-३-६४ | २१८ | २४० | १६-६-६४ |
| | | ९४ | ,, | २४-२-६४ | २१९ | २४० | ,, |
| | ३ | ९५ | डी०आर० ओ० के अहाते में वाटर पाईप बैठाना | १६-६-६४ | २४२ | १८१.५० | १६-६-६४ |
| | | ९६ | ,, | ,, | २४३ | २४१.७५ | ,, |
| | ४ | १०३ | स्वास्थ्य विभाग के ट्रक की मरम्मत | २९-६-६४ | ३८० | २२७.५० | ३०-६-६४ |
| | | १०४ | ,, | ,, | ३८१ | २२५ | ,, |
| अगस्त, १९६४ | ५ | १३१ | रोड रोलर की मरम्मत | १९-६-६४ | १९० | २४८ | १२-८-६४ |
| | | १३२ | ,, | १८-६-४ | २२४ | २४८ | १७-८-६४ |
| अक्टूबर, १९६४ | ६ | १६४ | (आर) लारी का टायर | २२-१०-६४ | ४२५ | २४८.७७ | २८-१०-६४ |
| | | १६५ | ,, | ,, | ४२६ | २४८.७७ | ,, |

# नत्थी 'ख'

( देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०६ पर । )

| वर्ष | जेल से बाहर कार्य करने वाले कैदियों की दैनिक औसत संख्या | भागने वाले कैदियों की संख्या | भागे गये कैदियों में से पकड़ कर पुनः जेलों में आने वाले कैदियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| १९६२–६३ | ३,४२२ | ७ | २ |
| १९६३–६४ | ३,५३५ | १९ | १३ |

प्रश्न संख्या ४ से सम्बन्धित तालिका

| जेल का नाम | वर्ष | बाहर काम करने वाले बन्दियों की औसत नेट मजदूरी | रिमार्क |
|---|---|---|---|
| किशोर सदन, बरेली | १९६२–६३<br>१९६३–६४ | २ रु० लगभग प्रति दिन दिन बन्दी | पालन पोषण का व्यय नहीं काटा जाता है । |
| आदर्श कारागार, लखनऊ | १९६२–६३ | रु० २८३.०४ पैसे प्रतिबन्दी (वर्ष में) | पालन पोषण का व्यय ९१ पैसे प्रति दिन की दर से काट लिया गया है । |
| | १९६३–६४ | रु० ५२.४१ पैसे प्रति बन्दी (वर्ष में) | पालन पोषण का व्यय ९८ पैसे प्रति दिन की दर से काट लिया गया है |
| संपूर्णानन्द शिविर धुर्मा, जिला मिर्जापुर । | १९६२–६३<br>१०६३–६४ | ८७ पैसे प्रति कार्य दिवस प्रति बन्दी (जो खदान पर कार्य करते हैं) | बन्दियों को चुर्क फैक्ट्री द्वारा २ रु० १२ पैसे प्रति कार्य दिवस की दर से मजूरी मिलती है जिसमें से १ रु० २५ पैसे उनके पालन पोषण के निमित्त काट लिया जाता है । |
| | | ५० पैसे प्रति दिन प्रति बन्दी (जो शिविर आवश्यक सेवाओं में कार्य करते हैं ।) | |
| संपूर्णानन्द कृषि एवं औद्योगिक शिविर, सितारगंज, जिला नैनीताल । | १९६२–६३<br>१९६३–६४ | २५ पैसे प्रति दिन प्रति बन्दी । | पालन पोषण का व्यय शासन वहन करता है । |

# नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०७ पर ।)

## वर्ष १९६४–६५ में महापालिकाओं द्वारा बढ़ाये गये मंहगाई भत्ते का विवरण

| नगर महापालिका का नाम | मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी | |
|---|---|---|
| कानपुर .. | १––५० रु० तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को नीचे लिखे क्रम सं० ३–४ के कर्मचारियों को छोड़कर । | ७ रु० मासिक |
| | २––५१ रु० से ४५० रु० तक वेतन पाने वाले वाले कर्मचारियों को । | ५ रु० मासिक |
| | ३––सफाई कर्मचारियों को .. | ७ रु० मासिक |
| | ४––प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं को । | ११ रु० मासिक |
| इलाहाबाद .. | नगर महापालिका द्वारा अपने कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई । | |
| वाराणसी .. | १––३०० रु० तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को (अध्यापकों सहित) । | १० रु० मासिक |
| | २––जूनियर हाई स्कूल तथा प्राइमरी स्कूल के के अध्यापकों को । | ५ रु० मासिक (उपर्युक्त १० रु० मासिक वृद्धि के अतिरिक्त) |
| लखनऊ .. | १––२०० रु० तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को | ५ रु० मासिक विवेक भत्ता तथा ५ रु० मासिक मंहगाई भत्ता (कुल १० रु० मासिक) |
| आगरा .. | १––१५० रु० तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को | ५ रु० मासिक |
| | २––अध्यापक तथा अध्यापिकाओं को .. | ५ रु० मासिक (और उपर्युक्त मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त दिया गया है ।) |

# नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०९ पर।)

सूची सरकारी गल्ले के दूकानदारों की जो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र महाइच के अन्तर्गत हैं ।

| क्रमांक | न्याय पंचायत का नाम | नाम दूकानदार |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| १ | शान्तीपुर .. .. .. | १—शंकर राम<br>२—रामनाथ रस्तोगी |
| २ | लालपुर .. .. .. | श्री राम |
| ३ | घानापुर .. .. .. | १—राम सनेही<br>२—कपिलदेव |
| ४ | कमालपुर .. .. .. | रामदेव रस्तोगी |
| ५ | डबरिया .. .. .. | कमीरुद्दीन |
| ६ | हेतमपुर .. .. .. | प्रमशं उपाध्याय |
| ७ | खदान .. .. .. | १—संकठा सिंह<br>२—राम नाथ |
| ८ | आवाजापुर .. .. .. | हवलदार सिंह |
| ९ | प्रेमाश्रेपुर .. .. .. | वंश नरायन पांडेय |
| १० | रेवती .. .. .. | हीर लाल |
| ११ | जगदीशपुर .. .. .. | १—गरीबराम<br>२—राम अवतार |
| १२ | निदिलपुर .. .. .. | १—महेन्द्र प्रसाद<br>२—जगरदेव |
| १३ | अवही .. .. .. | धुरहु सिंह |
| १४ | रमाली .. .. .. | गिरजा प्रसाद |
| १५ | पपारा .. .. .. | मेवालाल गौरीशंकर |
| १६ | महरखा .. .. .. | दलजीत सिंह |
| १७ | कैलवार .. .. .. | राजीराम |
| १८ | कैथी .. .. .. | लालता प्रसाद |
| १९ | प्रमुपुर .. .. .. | शेषवदन मिश्रा |
| २० | मारुफपुर .. .. .. | सत्यनरायन प्रसाद |
| २१ | नादी .. .. .. | कपूर चन्द |
| २२ | रामगढ़ .. .. .. | दुखी राम भोला राम |
| २३ | लक्ष्मणगढ़ .. .. .. | श्री नाथ |
| २४ | चकिया बिहारी .. .. .. | तिलकधारी |
| २५ | जूराहर धान .. .. .. | लालधारी |
| २६ | जीवनपुर .. .. .. | बा.जूशार्ह। |

## नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१० पर।)

### जिला बांदा में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों का विवरण

लगभग प्रत्येक पंचायती अदालत में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान खोली गई थी। अगस्त, सन् १९६४ में इन दूकानों की संख्या सबसे अधिक ९१ तक पहुंच गई थी। इन दूकानों को मासिक गल्ला उनकी आवश्यकतानुसार ३६ से लेकर ५० क्विन्टल तक दिया गया। इस समय केवल करवी और मऊ तहसीलों के पाठा क्षेत्र के बरगढ़, केहुनिया, मारकुण्डी (केहुनिया, मानिकपुर, डोंडा, भाफी, बमबिहा, मेहन, सरैया न्याय पंचायतों में दूकानें चल रही हैं। इसके अतिरिक्त निम्नी पार (तिंदवार) तहसील बांदा और कालीजर, तहसील नरैनी न्याय पंचायतों में भी एक एक दूकान चल रही है एक दूकान बरुआ डैम (करवी तहसील) पर काम करने वाले मजदूरों के लिये भी चालू है इस प्रकार ११ दूकानें चल रही हैं तथा शेष ८० दुकानें स्थानीय खाद्य स्थिति संतोषजनक होने के कारण खरीफ की फसल आने पर बन्द कर दी गई थीं और उनको चालू करने की आवश्यकता अभी तक नहीं पड़ी।

# नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१२–५१३ पर।)

तालिका 'क'

| जिन्स | प्रथम पंचवर्षीय योजना काल | | द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल | | (टनों में) तृतीय पंचवर्षीय योजना के चार वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उत्पादन | लक्ष्य | उत्पादन | लक्ष्य | उत्पादन |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| गेंहूं | .. — | ६४२७१० | — | १०३४७३० | २८३६१८० | २३१४६३७ |
| चना | .. — | ५६५३५८ | — | ८३६८७६ | १७६७६४० | १६५६४६० |
| चावल | .. — | ७१५३८ | — | २११६१६ | १२५११२७ | ५७२६६७ |
| ज्वार | .. — | ३४७७८२ | — | ३७६६६२ | १६२७१८० | ११६४६४८ |
| बाजरा | .. — | ३८७३२ | — | २४१२८ | ८०००० | १००१६० |
| मक्का | .. — | २६५६० | — | ७५०३८ | ८०८२० | ४५४५६ |
| उर्द | .. — | ५७६८ | — | ६०८८ | — | २६११० |
| मूंग | .. — | ६१६ | — | ११७२ | — | ३७४४ |
| अरहर | .. — | १४३२६८ | — | २३२८४८ | — | ३५५०८४ |
| मडुवा | .. — | ६ | — | ४ | — | २० |
| सांवा | .. — | १७५६ | — | २५८८ | — | ७१७० |
| कोदों | .. — | २०६८२ | — | १८१४८ | — | ४०८२० |
| काकुन | .. — | ६६२ | — | ३६८ | — | १३६८ |
| कुटकी | .. — | १००६ | — | १४६० | — | ४६०२ |
| मोठ | .. — | ६६ | — | ६६ | — | १७८ |

नोट : मडुवा, सवां, कोदों, काकुन, कुटकी तथा मोठ के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

तालिका 'ख'

प्रश्न संख्या २३ के सम्बन्ध में प्रथम पंच वर्षीय योजना से रबी १९६३–६४ तक रसायनिक उर्वरकों के लक्ष्य तथा वितरण का विवरण। (टनों में)

| क्रम सं० | जिला का नाम | लक्ष्य | पूर्ति |
|---|---|---|---|
| प्रथम पंचवर्षीय योजना— | | | |
| १—झांसी | .. | .. | १७२ |
| २—जालौन | .. | .. | सूचना उपलब्ध नहीं है |
| ३—हमीरपुर | .. | .. | ४७ |
| ४—बांदा | .. | .. | ७९ |
| | योग .. | .. | २९८ |

| क्रम सं० | जिला का नाम | | लक्ष्य | पूर्ति |
|---|---|---|---|---|
| द्वितीय पंचवर्षीय योजना — | | | | |
| १— | झांसी | .. .. | ३६०० | ३०६२ |
| २— | जालौन | .. .. | १२७ | २१०२ |
| ३— | हमीरपुर | .. .. | ४८५३ | १११४ |
| ४— | बांदा | .. .. | ६०९ | १३१५ |
| | योग | .. | ९१८९ | ७५९३ |
| तृतीय पंचवर्षीय योजना— | | | | |
| १— | झांसी | .. .. | ९९४२ | ४६७२ |
| २— | जालौन | .. .. | १७४५३ | ५८७६ |
| ३— | हमीरपुर | .. .. | १२१३४ | २६३८ |
| ४— | बांदा | .. .. | १४६३६ | ४०११ |
| | योग | .. .. | ५४१६५ | १७१९७ |
| | कुल योग | .. | ६३३५४ | २५०८८ |

तालिका 'ग'

| वर्ष | वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल एकड़ों में | खाद्यान्नों का उत्पादन (टनों में) खरीफ | रबी | योग |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ५ | ६ |
| १९५५–५६ | .. ४०२२४९७ | १५७७६७ | ७१६८०५ | ९७४५७२ |
| १९५६–५७ | .. ४०८२६६० | २७७५५६ | ८८८६२१ | ११६६१७७ |
| १९५७–५८ | .. ३९४६०४१ | २३७६४६ | ६३४७१८ | ८७२३६४ |
| १९५८–५९ | .. ४१२१५१९ | ३७४०८९ | ९४४५३६ | १३१८६२५ |
| १९५९–६० | .. ४१९४०३३ | ३३०७१५ | ९२३२८४ | १२५३९९९ |
| १९६०–६१ | .. ४२६६५८८ | ३२९९६४ | १११४०३४ | १४४३९९८ |
| १९६१–६२ | .. ४२९२१६६ | २४६४८८ | ९५६९५४ | १२०३४४२ |
| १९६२–६३ | .. ४२८३३४७ | ३८२०२६ | ७५६२०८ | ११३८२३४ |
| १९६३–६४ | .. ४३०६५०४ | ३५०६२३ | ७१२००१ | १०६२६२४ |

# नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२६ पर)

## सूची

जिला बलिया की उन शिक्षण संस्थाओं की सूची जिन्हें वर्ष १९६३–६४ एवं १९६४–६५ में भवन निर्माण हेतु सीमेंट का वैगन दिया गया ।

| क्रम सं० | शिक्षा संस्था का नाम | एलाटमेंट वैगनों |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| १—पी० एन० इन्टर कालेज, दुबे छपरा, बलिया .. .. .. | | १ |
| २—जे० बी० इन्टर कालेज, बलिया .. .. .. .. | | १ |
| ३—टाउन डिग्री कालेज, बलिया .. .. .. .. | | १ |
| ४—श्री शिव प्रासद गुप्ता, जूनियर हाई स्कूल, बलिया .. .. | | १ |
| ५—डी० ए० वी० इन्टर कालेज बिल्थरा रोड, बलिया .. .. | | १ |
| ६—के० एस० इन्टर कालेज, बलिया .. .. .. | | १ |
| ७—गांधी इन्टर कालेज सिकन्दरपुर, बलिया .. .. | | १ |
| ८—नेहरूपुर इन्टर कालेज रतनपुरा, बलिया .. .. | | १ |
| ९—राष्ट्रीय हायर सेकेन्डरी स्कूल, संदवापुर, बलिया .. .. | | १ |
| १०—श्रीमती पुष्पा जूनियर हाई स्कूल, जमवाओं पोस्ट आफिस रामपुर कानूंग, जिला बलिया | | |
| ११—मर्चेन्टस इन्टर कालेज, चितबरागांव, बलिया .. .. | | १ |
| १२—हायर सेकेन्डरी स्कूल, सुखपुरा, बलिया .. .. | | १ |
| १३—रेवती इन्टर कालेज, रेवती, बलिया .. .. .. | | १ |
| १४—रतसार इन्टर कालेज, रतसार, बलिया .. .. | | १ |
| १५—सिद्दीकी हायर सेकेन्डरी स्कूल, कोटवारी, बलिया .. .. | | १ |
| १६—पी० एन० इन्टर कालेज, दुबे छपरा, बलिया .. .. | | १ |
| १७—पी० डी० इन्टर कालेज, गईघाट, बलिया .. .. | | १ |
| १८—आर० के० बी० इन्टर कालेज, भीमपुरा, बलिया .. .. | | १ |
| १९—ए० आर० हायर सेकेन्डरी स्कूल, चौरा, बलिया .. .. | | १ |
| २०—जनता इन्टर कालेज नगरा, बलिया .. .. .. | | १ |
| २१—आदर्श हायर सेकेन्डरी स्कूल, सिवायन, बलिया .. .. | | १ |
| २२—मुरारपट्टी हायर सेकेन्डरी स्कूल, मोहनलाल गंज, बलिया .. | | १ |
| २३—गुलाब देवी बालिका विद्यालय, बलिया .. .. | | १ |
| २४—आर० एस० किसान इटन्र कालेज, दुबहर, बलिया .. .. | | १ |
| २५—सेवासंघ इन्टर कालेज, बलिया .. .. .. | | १ |
| २६—हायर सेकेन्डरी स्कूल नीरुपुर, बलिया .. .. | | १ |
| २७—दुआबा राष्ट्रीय विद्यालय इन्टर कालेज, बलिया .. .. | | १ |

## नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२७ पर)

माह जुलाई अगस्त सितम्बर, अक्टूबर १९६४ में शाहबाद तहसील जिला हरदोई में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की चेकिंग का विवरण।

अगस्त सन् १९६४ में जिला हरदोई की शाहबाद तहसील के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की चेकिंग की गई जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

| क्रम-संख्या | दुकानदार का नाम | अभियोग | की गई कार्यवाही |
|---|---|---|---|
| १<br>२<br>३ | १—श्री व्रज बिहारी लाल<br>२—श्री गोकरन नाथ मिश्रा<br>३—श्री कामता प्रसाद | फर्जी बिक्री | दुकाने रद्द कर दी गई |
| ४<br>५<br>६ | ४—श्री कन्हैया लाल<br>५—श्री भगत नरायण<br>६—श्री मुबारक खां | रजिस्टरों में कटिंग आदि। | गम्भीर चेतावनी दे दी गई। |
| ७ | ७—श्री राज नरायन | १—रजिस्टरों में आटे की मात्रा का गलत अंकन। | १—जे० आई० आर० में मुकदमा चल रहा है। |
| | | २—अधिक भाव पर आटा बेचना आदि। | २—निश्चित तथ्यों के अभाव में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकी। |

# नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२८ पर)

## पकड़े गए व्यक्तियो के नाम

| नाम | पता |
|---|---|
| १—श्री भुनेश्वर सिंह, पुत्र रोशन सिंह | निवासी बिजना थाना सांजे |
| २—श्री नौरंग सिंह, पुत्र रोशन सिंह | ,, ,, ,, |
| ३—श्री विजेन्द्र सिंह, पुत्र नौरंग सिंह | ,, ,, ,, |
| ४—श्री राजेन्द्र सिंह, पुत्र भुनेश्वर सिंह | ,, ,, ,, |
| ५—श्री संकटा प्रसाद, पुत्र लालता प्रसाद | निवासी ठपरापुर थाना बेनीगंज |
| ६—श्री कालू राम, पुत्र संकटा प्रसाद | ,, ,, ,, |
| ७—श्री पुत्तू लाल, पुत्र शिव प्रसाद | निवासी काजीपुर थाना कासिमपुर |
| ८—श्री राम चन्द्र, पुत्र शिव प्रसाद | ,, ,, ,, |
| ९—श्री दरयान सिंह, पुत्र चम्पत सिंह | निवासी बहानपुर थाना सांडी |
| १०—श्री राजाराम, पुत्र चम्पत सिंह | ,, ,, ,, |
| ११—श्री छोटे सिंह, पुत्र चम्पत सिंह | ,, ,, ,, |
| १२—श्री गंजन सिंह, पुत्र चम्पत सिंह | ,, ,, ,, |
| १३—श्री सचितादीन, पुत्र रघुवर दयाल | निवासी कुरसी थाना बेनी गंज |
| १४—श्री जनार्दन प्रसाद, पुत्र ठाकुर प्रसाद | ,, ,, ,, |
| १५—श्री ठाकुर प्रसाद, पुत्र रघुवर दयाल | ,, ,, ,, |
| १६—श्री ओम प्रकाश, पुत्र ठाकुर प्रसाद | ,, ,, ,, |
| १७—श्री शहजादे सिंह, पुत्र नरायन सिंह | निवासी छठिया मजरे, माझगांव थाना अतरौली |

# नत्थी 'ञ'

(देखिये ताराँकित प्रश्न ७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३० पर)

## सूची

| | सं० बोरों में |
|---|---|
| १—श्री ओंकार सिंह, एम० एल० ए० | १०० |
| २—,, महाबीर सिंह, अध्यापक बी०आर० एस० इन्टर कालेज, बबराला | १५ |
| ३—,, लछमी प्रसाद पारिक, प्रबन्धक, हरीधाम बांध कमेटी, बबराला | ३० |
| ४—,, लोचन सिंह, ग्राम वरकुइया, तहसील बदायूं | १० |
| ५—,, जुगुल किशोर, एम० एल० ए० | २० |
| ६—,, किशन लाल बबराला, सहसवान | २० |
| ७—,, कन्धर सिंह, सिपाही बरेली, ग्राम सहसवान | १० |
| ८—,, प्रश्न कुमार सिंह यादव, गुन्नार | १५ |
| ९—,, लक्ष्मीनारायण शर्मा, प्रेसीडेन्ट सर्वहितकारी गौशाला, बिल्सी | १५ |
| १०—,, राम चरन लाल, पुत्र अगन लाल ग्राम तथा पत्रालय कोल्हाई, तहसील सहसवान | १० |
| ११—,, स्टेट बैंक बिल्डिंग, सहसवान | २० |
| १२—,, सी० पी० एस० राठौर, ग्राम गुमाई तहसील, बदायूं | २० |
| १३—,, पी० एस वैश्य बदायूं द्वितीय लैफ्टीलेन्ट ए० एम० सी०, बरेली । | २० |
| १४—,, रामआसरे लाल सिंह, बदायूं | २ |
| १५—,, राहत अली खांन, २८५४०४१ सी० कम्पनी | ५ |
| १६—,, रामलाल, ग्राम भटौली तहसील बदायूं | १० |
| १७—,, सतीश चन्द्र बदायूं (फौजी) | २० |
| १८—,, नन्द किशोर मिश्र नं० ६५९४१४७/६६६-ए प्लाटून ५६ पी० ओ० (सिधौली) | १० |
| १९—,, रक्षपाल सिंह यादव, प्रधान मोकमपुर (स्कूल भवन के लिये) | २० |
| २०—,, जमुना प्रसाद, प्रेसीडेन्ट गारी | ३० |
| २१— नन्द किशोर मित्रा, ६५९ ४१४७ ग्राम रीटा, तहसील बिसौली | ८ |
| २२—,, महेन्द्र सिंह ११४ आई एन०,ए० बी० एन० (टी ए) शल्वालाल सचमोरा देहरादून उझानी | २० |
| २३—,, भुपाल दास पुत्र काशीराम ग्राम बरसुआ उझानी | १५ |
| २४—,, कैलाश कुमार सिंह | १५ |
| २५—,, पुरुषोत्तम दास उझानी | ८ |
| २६—,, हिमाचल, पुत्र हुलासी उझानी | ४ |
| २७—,, अली जान राइफलस मैन राजपूत राइफलस १०६ दिल्ली कैन्ट | ४ |
| २८—,, मदनलाल इन्टर कालेज बिसौली | २५ |
| २९—,, मुन्ना लाल इन्टर कालेज वजीरगंज | ४१ |

| | |
|---|---|
| ३०—,, हस्तानिर्मित कागज उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, गोंडा | २५ |
| ३१—,, राम प्रकाश गुप्ता, ग्राम नरपुर पिनौनी स्कूल भवन के लिये | १५ |
| ३२—,, श्रीमती जावित्री देवी मन्डिया, सहसवान | १५ |
| ३३—,, कन्या पाठशाला, मुबारकपुर | २० |
| ३४—,, मैनेजर, प्रकाश टाकीज, बदायूं | १७ |
| ३५—,, श्री राम चन्द्र गुप्ता नं० ११५५७८९ ढहरपुरकला | १० |
| ३६—,, उजारगमल नं० ६८६८०१६—निवासी बिनावर बदायूं | २० |
| ३७—,, राम मूर्ति सिंह, ग्राम रमपुरा | १५ |
| ३८—,, रमेश बाबू नं० ६३९३०६५ अलीपुर महरिया उझानी | १५ |
| ३९—,, श्री राम पुत्र जुगुल किशोर गुरगांव बदायूं। | १० |
| ४०—,, गंगा सरन रस्तोगी नं० १५७६६ एच-सी रिक्रूटिंग क्लर्क निवासी बदायूं | १५ |
| ४१—,, ज्ञानचन्द्र सेठ मैनेजर बारहसैनी धर्मशाला बिल्सी.. | २० |
| ४२—,, लोचन सिंह नं० ७०३५९२७–२१७ फील्ड वर्कशाप द्वारा ५६ ए०पी० ओ० ग्राम बरकुर्या | १० |
| ४३—,, केशव राम एम० एल० ए० | १५ |
| ४४—,, पौशकी लाल नं० ७०३२७०९ संफी एफ एम एम ई०। | ८ |
| ४५—,, विश्नु सहाय बिसौली | २५ |
| ४६—,, ओंकार सिंह नं० ४१४७२८० सी० पी० क० द्वारा ५६ ए० पी० ओ०, निवासी उझानी | १० |
| ४७—,, वारिश अली खां नं० १०१७८२८ | १० |
| ४८—,, मुन्ना लाल शर्मा नं० ६८०४३३६ थाना विल्सी | १० |
| ४९—,, राम चन्द्र गुप्ता नं० ११५७८९ | १० |
| ५०—,, जयकान्त शर्मा ग्राम झडपुर बदायूं | ५ |
| ५१—,, श्याम बिहारी लाल मुहल्ला पटियाला सराय बदायूं | १५ |
| ५२—,, राजपाल सिंह नं० ३९–५६८५६१८ राजपुर फतेगढ़ निवासी उझानी | १० |
| ५३—,, आर० सी० रस्तोगी, मैनेजर शान्तीप्रेस, बदायूं | १५ |
| ५४—,, सुखराम कचेहरी | १० |
| ५५—,, बंशीधर प्रधान उझानी क्रय विक्रय समिति, उझानी | २० |
| ५६—,, राजेन्द्र प्रसाद | १० |
| ५७—,, के एल गोयल एडवोकेट, बदायूं | १५ |
| ५८—,, जिया अली खां मोहल्ला सराय नौ बदायूं | १५ |
| ५९—,, सीताराम रस्तोगी | ३० |
| योग | ९६४ |

## नत्थी 'ट'

( देखिये तारांकित प्रश्न ८८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३३ पर)

### सूची

वर्ष १९६४ में गाजीपुर जिले में कृषि विभाग द्वारा वितरित आलू के बीज का विवरण।

| क्रम-संख्या | विकास क्षेत्र का नाम | कृषक का नाम | आलू की मात्रा |
|---|---|---|---|
| | | | क्विन्टल में |
| १—गाजीपुर | .. | १—श्री गंगा सिंह, ग्राम कसौता .. | ६.०० |
| | | २—श्री मुद्दी, ग्राम कलौता .. .. | ६.७५ |
| | | ३—श्री खुशहाल प्रसाद, ग्राम बाबू रामपुर .. | ७.६३ |
| | | ४—श्री राम लोचन, ग्राम पगवा .. | ७.५१ |
| | | ५—श्री रामदास पान्डेय, ग्राम कतैला .. | ४.०५ |
| | | ६—डिग्री कालेज, गाजीपुर .. .. | ६.५० |
| | | ७—ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, गाजीपुर .. | ८.०० |
| २—मुहम्मदाबाद | .. | १—श्री मिर्जा अशफाक बेग, ग्राम अदिलाबाद .. | ८.०० |
| | | २—श्री रघुराज सिंह, ग्राम कन्डेसर .. | १८.१३ |
| ३—सादार | .. | १—श्री राम कुंवर सिंह, ग्राम परसनी .. | ६.७२ |
| | | योग .. | ७९.२९ |

## नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५४५ पर)

# उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९६५

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश, में श्रम कल्याण की प्रोन्नति करने के लिए एक निधि की स्थापना करने तथा उसे व्यवहृत करने से सम्बद्ध विधि को संहत तथा संशोधित करने के लिए

## विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

### अध्याय १

### प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारंभ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे।

परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(१) "परिषद्" का तात्पर्य धारा ४ के अधीन संघटित उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद् से है;

(२) "कर्मचारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी अधिष्ठान में भाड़े या पारितोषिक पर, कोई कुशल या अकुशल, शारीरिक या लिपिक कार्य करने के लिए सेवायोजित हो और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो पर्यवेक्षी कार्य करने के लिए सेवायोजित किया गया हो, यदि उसकी मजदूरी चार सौ रुपए प्रतिमाह से अधिक न हो;

(३) "सेवायोजक" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो या तो स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, या तो अपनी ओर से अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी अधिष्ठान में एक या अधिक कर्मचारियों को सेवायोजित करता हो, और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है:—

ऐक्ट संख्या ६३, १९४८

(क) किसी कारखाने में, फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ की धारा ७ (१) (एफ) के अधीन प्रबन्धक कहलानेवाला कोई व्यक्ति;

(ख) सरकार के प्राधिकार द्वारा अथवा इसके अधीन चलाये जाने वाले किसी अधिष्ठान में, कर्मचारियों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए नियुक्त व्यक्ति या प्राधिकारी, किन्तु यदि कोई व्यक्ति या प्राधिकारी इस प्रकार नियुक्त न किया गया हो, तो सम्बद्ध विभाग का अध्यक्ष;

(ग) किसी अन्य अधिष्ठान में कर्मचारियों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए अथवा मजदूरी के भुगतान के लिए अधिष्ठान के स्वामी के प्रति उत्तरदायी कोई व्यक्ति;

(४) "अधिष्ठान" का तात्पर्य केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अधिष्ठान (जो कारखाना न हो) से भिन्न, किसी कारखाने, किसी रोपस्थली अथवा किसी ऐसे अन्य अधिष्ठान से है, जिसमें उससे सम्बद्ध अथवा उससे सहायक कोई व्यवसाय या व्यापार अथवा कोई कार्य किया जाता हो और जिसमें उतनी संख्या में, जो समय-समय पर नियत की जाये, व्यक्तियों को सवायोजित किया जाता हो अथवा पिछले बारह महीने में किसी कार्य-दिवस को सेवायोजित किया गया हो;

ऐक्ट संख्या ६३, १९४८

(५) "कारखाने" का तात्पर्य फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ की धारा २ (एम) में यथा परिभाषित "Factory" से है;

(६) "निधि" का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि से है;

(७) "निरीक्षक" का तात्पर्य धारा ९ के अधीन नियुक्त निरीक्षक से है;

(८) "श्रम कल्याण आयुक्त" का तात्पर्य धारा ८ के अधीन नियुक्त श्रम कल्याण आयुक्त से है;

(९) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(१०) "विनियम" तथा "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये क्रमशः विनियमों तथा नियमों से है;

(११) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;

अधिनियम संख्या १९, १९५२

(१२) "अदत्त संचय" का तात्पर्य ऐसी समस्त धनराशियों से है जो कर्मचारियों के देय हों, किन्तु जिसका भुगतान देय होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के भीतर इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् उन्हें न किया गया हो, और इसके अन्तर्गत सेवायोजक द्वारा उनको देय मजदूरी, उपदान तथा गृह-भत्ता, यदि कोई हो, भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत इम्प्लाइज प्राविडेन्ट फंड्स ऐक्ट, १९५२ के अधीन स्थापित भविष्य निधि में सेवायोजक द्वारा दिये गये अंशदान की धनराशि यदि कोई हों, नहीं है; और

(१३) "मजदूरी" का तात्पर्य धनराशि के रूप में अभिव्यक्त किये जाने योग्य ऐसे समस्त पारिश्रमिक से है जो अभिव्यक्त या अन्तर्निहित संविदा अथवा सेवायोजन की शर्तें पूरी की जाने की दशा में, किसी सेवायोजित व्यक्ति को उसके सेवायोजन के अथवा ऐसे सेवायोजन में दिये गये कार्य के सम्बन्ध में देय होगा, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है :—

(क) (१) किसी आवास स्थान, रोशनी, जल-सम्भरण अथवा चिकित्सा सुविधाओं; या

(२) राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ अपवर्जित किसी अन्य सुविधा या सेवा का मूल्य; या

(ख) किसी सेवायोजक द्वारा किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि में अथवा सामाजिक-बीमा या किसी योजना के अन्तर्गत दिया गया कोई अंशदान; या

(ग) कोई यात्रा भत्ता अथवा यात्रा संबंधी रियायत; या

(घ) कोई धनराशि जो सेवायोजित व्यक्ति को उसके सेवायोजन के कारण उस पर हुए विशेष व्ययों को पूरा करने के लिए भुगतान की गयी हो; या

(ङ) सेवो मुक्ति पर देय कोई उपदान ।

## अध्याय २

## निधि तथा परिषद् की स्थापना

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि की स्थापना

३—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार एक निधि की स्थापना करेगी जो उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि कहलायेंगी ।

(२) निधि में निम्नलिखित होंगे—

(क) कर्मचारियों से वसूल किये गये अथवा उनके द्वारा देय सभी अर्थ-दण्ड;

(ख) धारा ६ के अधीन निधि को संक्रमित अदत्त संचय;

(ग) उपधारा (३) के अधीन निधि को संक्रमित कोई धनराशि;

(घ) राज्य सरकार द्वारा निधि को दिया गया कोई अनुदान;

(ङ) किसी व्यक्ति द्वारा निधि में स्वेच्छा से दिया गया दान या अंशदान;

(च) धारा १४ के अधीन उधार ली गयी कोई धनराशि; और

(छ) कोई अन्य धनराशि जो निधि को भुगतान की गयी हो अथवा भुगतान योग्य हो ।

(३) यदि किसी अधिष्ठान के सेवायोजक द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिये कोई धनराशि अलग रक्खी जाय अथवा कोई निधि स्थापित की जाय तो वह, सेवायोजक के अनुरोध पर राज्य सरकार के अनुमोदन से, निधि को संक्रमित की जा सकती है।

(४) उपधारा (२) में निर्दिष्ट धनराशि ऐसी रीति से जमा की जायगी जो नियत की जाय ।

परिषद का संघटन, उसके सदस्यों का कार्यकाल और अर्हताएं

४—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् ,यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा एक परिषद् की स्थापना करेगी जो उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद् कहलायेगी ।

(२) परिषद् उपर्युक्त नाम से सतत् अनुक्रम तथा सामान्य मुद्रावली एक निगमित निकाय होगी, उसे चल तथा अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों का अर्जन करने तथा बेंचने का अधिकार होगा और वह उक्त नाम से वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकता है ।

(३) परिषद् में निम्नलिखित होंगे :—

(क) एक अध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायगा;

(ख) सेवायोजकों तथा कर्मचारियों के बराबर-बराबर संख्या में उतने प्रतिनिधि जो नियत किये जायें, और जो राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियत की जायें नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) महिला सदस्यों को मिलाकर उतनी संख्या में जो नियत की जाये स्वतंत्र सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे; और

(घ) परिषद् के पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने के लिए श्रम कल्याण आयुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी।

(४) परिषद् के अध्यक्ष तथा उपधारा (३) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा जो गजट में नाम निर्देशन के विज्ञापित किये जाने के दिनांक से प्रारम्भ होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि , उस सदस्य के शेष कार्य काल के लिए होगी, जिसकी रिक्ति में वह नामनिर्दिष्ट किया जाय।

(५) कोई सदस्य, राज्य सरकार को लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, और उक्त त्याग पत्र के स्वीकार हो जाने पर यह समझा जायगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

(६) परिषद् के सदस्यों को देय भत्ता, यदि कोई हो, वही होगा जो नियत किया जाय।

अनर्हताएं तथा निष्कासन

५--(१) कोई भी व्यक्ति, परिषद् के सदस्य के रूप में न तो नामनिर्दिष्ट किया जायगा और न बना रहेगा, यदि वह--

(क) परिषद् का वैतनिक अधिकारिक हो; या

(ख) किसी समय दिवालिया निर्णीत किया गया हो; या

(ग) विकृत चित्त का हो; या

(घ) नैतिक पतन समन्वित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष हुआ हो।

(२) राज्य सरकार किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है--

(क) जिसमें उपधारा (१) में उल्लिखित कोई अनर्हता हो अथवा हो गयी हो; या

(ख) जो परिषद् की लगातार तीन से अधिक बैठकों में परिषद् की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहा हो; या

(ग) जो धारा (४) की उपधारा (३) के खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य होने की दशा में, अपने नाम निर्देशन की शर्तों को अब पूरा न करता हो।

## अध्याय ३

## अदत्त संचय और निधि की प्रयुक्ति

अदत्त संचय और उनके सम्बन्ध में दावा

६—(१) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि या किसी संविदा या संलेख में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् को समस्त अदत्त संचयों का भुगतान किया जायेगा जो उसके लिए तब तक एक पृथक् लेखा रखेगी जब तक कि उसके सम्बन्ध में दावों को इस धारा के अनुवर्ती उपबन्धों के अधीन निर्णय न हो जाय।

(२) उपधारा (१) के अधीन परिषद् को भुगतान किये गये अदत्त संचय से सेवायोजक, उसके सम्बन्ध में केवल उतनी धनराशि की सीमा तक जितनी धनराशि का भुगतान इस प्रकार परिषद् को किया जाय, दायित्व से उन्मुक्त हो जायगा और कर्मचारियों या उनके विधिक प्रतिनिधियों को उपर्युक्त सीमा तक भुगतान करने का दायित्व, इस धारा के अनुवर्ती उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद् को संक्रमित किया गया समझा जायगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन परिषद् को किन्हीं अदत्त संचयों का भुगतान होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, परिषद् नोटिस द्वारा, जिसमें नियत रीति से सभी ब्योरे होंगे और जो उपधारा (४) में निर्धारित रीति से प्रकाशित किया जायगा और जो, यथास्थिति, कर्मचारिवर्ग या उनके विधिक प्रतिनिधियों से कोई ऐसा भुगतान करने के लिए, दावे आमंत्रित करेगी जो परिषद् को इस प्रकार भुगतान किये गये अदत्त संचय में से उनको देय हो।

(४) परिषद् द्वारा अदत्त संचयों की प्राप्ति के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि में प्रत्येक वर्ष जून तथा दिसम्बर के महीनों में कम से कम एक बार, उपधारा (३) के अधीन नोटिस—

(क) उस अधिष्ठान के, जिसमें अदत्त संचय उपार्जित हुए हों, सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायगा;

(ख) गजट में प्रकाशित किया जायगा;

(ग) किन्हीं दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा; और

(घ) ऐसी अन्य रीति से भी प्रकाशित किया जायगा जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जाय।

(५) यदि यह प्रश्न उठे कि उपधारा (३) में उल्लिखित नोटिस, उपधारा (४) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया गया था अथवा नहीं तो परिषद् का यह प्रमाण-पत्र कि वह इस प्रकार प्रकाशित किया गया था, निश्चायक होगा।

ऐक्ट संख्या ४, १९३६

(६) यदि ऐसी धनराशि के सम्बन्ध में नोटिस के गजट में प्रथम प्रकाशन से चार वर्ष के भीतर अदत्त संचय की किसी धनराशि के सम्बन्ध में कोई दावा प्राप्त हो तो वह दावा परिषद् द्वारा पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ की धारा १५ के अधीन नियुक्त प्राधिकारी को, जिसका क्षेत्राधिकार उस क्षेत्र पर हो जिसमें अधिष्ठान स्थित हो, संक्रमित कर दिया जायगा, और वह दावे की सुनवाई करेगा और उसे अवधारित करेगा।

(७) उपधारा (६) के अधीन प्रस्तुत किसी दावे की सुनवाई करने वाले प्राधिकारी को वही अधिकार होंगे जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी

वाद पर विचार करते समय कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी दीवानी न्यायालय में निहित होते हों; अर्थात्—

ऐक्ट संख्या ५, १९०८

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसका बयान लेना;

(ख) लेख्य प्रकट करने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना; और

(ग) कोई अन्य विषय जो नियत किये जायं।

(८) यदि उपर्युक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि अदत्त संचय में से किसी धनराशि के सम्बन्ध में दावा वैध है तो वह यह आदेश देगा कि ऐसी धनराशि का भुगतान परिषद् द्वारा ऐसे आदेश में उल्लिखित व्यक्ति या व्यक्तियों को कर दिया जाय और तदुपरान्त परिषद् तदनुसार भुगतान करेगी। प्राधिकारी का निर्णय, उपधारा (९) के अन्तर्गत किसी अपील के यदि कोई हो, निर्णय के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

(९) यदि अदत्त संचय में से भुगतान करने का दावा अस्वीकार कर दिया जायं तो दावेदार को उस जिले के, जिसमें अधिष्ठान स्थित हो, जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा। अपील प्राधिकारी के आदेश के दिनांक से ६० दिन के भीतर की जा सकेगी। ऐसी अपील पर जिला न्यायाधीश का निर्णय अन्तिम होगा।

(१०) अदत्त संचय में से, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (३) के अधीन दावे आमंत्रित किये गये हों, वह धनराशि, जिसके लिए उपधारा (६) के अधीन निर्दिष्ट समय के भीतर कोई दावा न किया गया हो अथवा जिसके सम्बन्ध में उक्त रीति से प्रस्तुत दावों को अन्तिम रूप से अस्वीकार कर दिया गया हो, परित्यक्त सम्पत्ति समझी जायगी और वह स्वामीहीनत्व (Bona vacadtia) के रूप में राज्य में निहित हो जायगी और उसे निधि में संक्रमित तथा उसका भाग समझा जायगा।

वे प्रयोजन जिनके लिए निधि का प्रयोग किया जा सकेगा।

७—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये निधि परिषद् में निहित और उसी के द्वारा धृत होगी तथा प्रयुक्त की जायगी।

(२) उपधारा (१) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् कर्मचारियों के लाभार्थ निम्नलिखित पर व्यय करने के लिये निधि की धनराशि का उपयोग कर सकती है, अर्थात्—

(क) सामुदायिक तथा सामाजिक शिक्षा केंद्र जिसके अन्तर्गत वाचनालय तथा पुस्तकालय भी है

(ख) सार्वजनिक स्नान-गृह तथा धुलाई स्थल;

(ग) चिकित्सा सहायता तथा स्वास्थ्य लाभ-गृह;

(घ) महिलाओं तथा बालकों के लिये शैक्षिक सुविधायें और प्रौढ़ शिक्षा

(ङ) खेल-कूद;

(च) बिहार, पर्यटन तथा अवकाश-गृह;

(छ) मनोरंजन तथा अन्य के प्रकार विनोद;

(ज) महिलाओं तथा बेरोजगार व्यक्तियों के लिये गृह उद्योग तथा सहायक धंधे;

(झ) परिषद् के सदस्यों के भत्ते तथा परिषद् के अधिकारियों और अन्य सेवकों के वेतन तथा भत्ते;

(ञ) ऋणवान, उपभोक्ता और बहुप्रयोजनीय सहकारी समितियों की स्थापना ;

(ट) सामाजिक प्रकार के संगठित कार्य-कलाप ;

(ठ) खाद्य-पदार्थों को तैयार तथा प्रक्रिया करने के लिये सुविधायें ;

(ड) आवास की सुविधाओं और उसके सुधार की व्यवस्था;

(ढ) ऐसे अन्य उद्देश्य जिनसे परिषद् की राय में, श्रमिकों के रहन-सहन में सुधार हों;

वे प्रयोजन जिनके लिये निधि का प्रयोग किया जा सकेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि निधि का उपयोग किसी ऐसे कार्य में धन लगाने के लिये न किया जायगा जिसे किसी सेवायोजन को तत्समय प्रचलित किसी विधि के के अधीन कार्यान्वित करना अपेक्षित हो।

(३) परिषद् राज्य सरकार के अनुमोदन से, किसी सेवायोजक, स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को श्रम कल्याण के किसी ऐसे कार्य की सहायता के निमित्त, जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अनुमोदित हो, निधि में से अनुदान दे सकती है ।

(४) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई विशिष्ट व्यय निधि के नाम लिखने योग्य है अथवा नहीं तो यह मामला राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा और राज्य सरकार का उस पर निर्णय अंतिम होगा ।

(५) परिषद् के लिए यह बैध होगा कि वह कर्मचारियों के कल्याण के लिये सेवायोजक द्वारा अलग रक्खी गयी किसी धनराशि से अथवा उसके द्वारा स्थापित किसी निधि से वित्तपोषित किसी कार्य को, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुये, जारी रक्खे यदि ऐसी धनराशि या निधि धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन परिषद् को संक्रमित कर दी जाय ।

## अध्याय ४

## अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति और अधिकार

८—(१) श्रम आयुक्त, परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा ।

श्रम कल्याण आयुक्त तथा अपर या उपश्रम कल्याण आयुक्त की नियुक्ति और अधिकार

(२) श्रम कल्याण आयुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध यथाविधि कार्यान्वित किये जाते हैं और इस प्रयोजन के लिये उसे इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से सुसंगत, ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार होगा, जिन्हें वह उचित समझे । इसके अन्तर्गत इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन परिषद्र द्वारा लिये गये किसी निर्णय को कार्यान्वित करने के संबंध में कोई आदेश भी है ।

(३) राज्य सरकार श्रम विभाग के एक या अधिक अधिकारियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को पदेन या पूर्णकालिक अपर या उप-श्रम कल्याण आयुक्त नियुक्त कर सकती है । ऐसे अपर या उप-श्रम कल्याण आयुक्त इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन

करेंगे जो परिषद, राज्य सरकार के अनुमोदन से, आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें। परिषद् ऐसी स्थानीय सीमायें भी निर्धारित कर सकती है जिनके भीतर ऐसा कोई अपर या उप-श्रम कल्याण आयुक्त इस प्रकार निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग या कर्त्तव्यों का सम्पादन करेगा।

**निरीक्षकों की नियुक्ति**

९—(१) राज्य सरकार, निधि में दिये गये अथवा देय धन के संबंध में अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये सम्पूर्ण राज्य अथवा उसके भीतर किसी निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये एक या अधिक निरीक्षक नियुक्त कर सकती है।

(२) निरीक्षक—

(क) ऐसी सहायता के साथ यदि कोई हो, जो वह उचित समझे, किसी उचित समय पर निरीक्षण के लिये किसी अधिष्ठान के किसी भू-गृहादि में प्रवेश कर सकता है; और

(ख) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो नियत किये जायें।

**अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति**

१०—ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो तदर्थ नियत की जायें, परिषद ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह अपने कृत्यों का दक्षता से पालन करने के लिये आवश्यक समझे।

**कर्मचारियों की सेवा की शर्तें**

११—परिषद् के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और सेवा की शर्तें जिसके अन्तर्गत वेतन-क्रम भी हैं:—

(क) श्रम कल्याण आयुक्त, अपर या उप-श्रम कल्याण आयुक्तों और निरीक्षकों के संबंध में वही होंगी जो नियत की जायें, और

(ख) धारा १० के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के संबंध में वही होंगी जो विनियम द्वारा अवधारित की जाये।

## अध्याय ५

## निधि का प्रशासन और लेखे तथा लेखा परीक्षा

**निधि का प्रशासन तथा प्रबन्ध**

१२—निधि का प्रबन्ध तथा प्रशासन ऐसी रीति से किया जायगा जो नियत की जाय।

**निधि का विनियोजन**

१३—यदि निधि के धन को अधिनियम के प्रयोजनार्थ शीघ्र लगाना अपेक्षित न हो तो, परिषद् उसे इंडियन ट्रस्ट्स ऐक्ट, १८८२ की धारा २० के खंड (ए) से (डी) और (एफ) में निर्दिष्ट किन्हीं प्रतिभूतियों में विनियोजित कर सकती है। ऐक्ट संख्या २, १८८२

**परिषद् का ऋण लेने का अधिकार**

१४—परिषद्, समय-समय पर, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, और इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों और ऐसी अन्य शर्तों के, जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निश्चित की जाये, अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कोई ऋण ले सकती है।

**लेखे तथा लेखा परीक्षा**

१५((१) परिषद निधि के संबंध में ऐसे लेखे, बही तथा अन्य अभिलेखों को रखवायेगी जो नियत किये जायं।

(२) परिषद् अपने वार्षिक लेखा बन्दी के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, लेखों का एक वार्षिक विवरण-पत्र ऐसे प्रपत्र में और रीति से तैयार करेगी जो नियत की जायं ।

(३) निधि, किसी स्थानीय प्राधिकरण की स्थानीय निधि समझी जायगी और उसकी लेखा-परीक्षा, स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा, उत्तर प्रदेश द्वारा की जायगी । परिषद्, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और उस पर की गयी कार्यवाही की सूचना राज्य सरकार को देगी ।

लेखों तथा व्यय का प्रकाशन

१६--राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष जून के महीने में अथवा तत्पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, पिछले वित्तीय वर्ष से सम्बद्ध परिषद् के लेखों का एक विवरण पत्र और उसके कार्यों का एक प्रतिवेदन गजट में प्रकाशित करेगी ।

## अध्याय ६
## विविध

निधि में देय धनराशियां की वसूली की रीति

१७--इस अधिनियम के अधीन निधि में देय कोई धनराशि, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् की ओर से मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जायगी ।

राज्य सरकारद्वार परिषद् को निर्देश

१८--(१) राज्य सरकार, समय-समय पर, परिषद् को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या इष्टकर हों ।

(२) परिषद् का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार से प्राप्त निदेशों का पालन करें ।

कतिपय दशाओं में परिषद् का अतिक्रमण

१९--(१) यदि राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि परिषद् ने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन आरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन करने में चूक की है अथवा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, परिषद का अतिक्रमण कर सकती है ;

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् का अतिक्रमण विज्ञापित करने के पूर्व, राज्य सरकार, यह कारण बताने का कि क्यों न उसका अतिक्रमण कर दिया जाय, उसे उचित अवसर देगी और परिषद् के स्पष्टीकरण तथा आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी ।

(२) अतिक्रमण हो जाने के पश्चात् जब तक कि परिषद् नियत रीति से पुनः संगठित न हो जाय, इस अधिनियम के अधीन परिषद् के अधिकारों का प्रयोग, कर्त्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का संपादन ऐसे अधिकारी अथवा अधिकारियों द्वारा किया जायगा जो उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायें ।

परिषद् के सदस्य, श्रम कल्याण आयुक्त तथा परिषद् के अन्य सभी अधिकारी तथा सेवक लोक-सेवक होंगे

ऐक्ट संख्या ४५, १८६०

२०--परिषद के सदस्य, श्रम कल्याण आयुक्त तथा परिषद् के अन्य सभी अधिकारी और सेवक, इंडियन पीनल कोड, १८६० की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक (Public servant) समझे जायेंगे ।

सद्भावना से कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण

२१--कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या किसी नियम अथवा तद्धीन दिये गये अथवा दिये गये समझे गये किसी आदेश के अधीन सद्भावना से किया गया हो अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत हो ।

परिषद् के कार्यों तथा कार्यवाहियों की वैधता

२२--परिषद् के किसी कार्य अथवा कार्यवाही पर केवल इस कारण से न तो आपत्ति की जायगी और न वह अवैध समझी जायगी कि उसमें कोई रिक्ति थी अथवा उसके संगठन में कोई दोष था या बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से उसकी कार्यवाहियों में उपस्थित था, उसने मत दिया या अन्य प्रकार से भाग लिया था ।

अधिनियम संख्या ४, १९३६ की धारा ८ का संशोधन

२३--उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में, पेमेंट आफ वेलेज ऐक्ट, १९३६ की धारा ८ की उपधारा (८) में, स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित प्रति-बन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय--

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे कारखाने अथवा अधिष्ठान की दशा में जिस पर उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९६५ लागू होता हो, ऐसी समस्त वसूलियां उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित निधि में जमा की जायेंगी ।"

राज्य सरकार अथवा प्राधिकृत अधिकारी का अभिलेख आदि मंगाने का अधिकार

२४--राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी परिषद् की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करने के लिए परिषद् के अभिलेखों को मंगा सकता है तथा उनका निरीक्षण कर सकता है और परिषद् को ऐसे आदेश दे सकता है जो वह इष्टकर समझे ।

नियम बनाने का अधिकार

२५--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये गजट में विज्ञप्ति द्वारा, और पूर्व प्रकाशन के शरतों के अधीन रहते हुए, नियम बना सकती है ।

(२) विशेष रूप से और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों अथवा किसी एक की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्--

(क) धारा ३ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट धनराशियां जमा करने की रीतिः

(ख) परिषद् में सेवायोजकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या और उनके नाम-निर्देशन की रीति तथा शर्तें;

(ग) परिषद् में स्वतंत्र परिषद सदस्यों की, जिसके अन्तर्गत महिला सदस्य भी हैं, संख्या;

(घ) परिषद् के सदस्यों को देय भत्ते;

(ङ) अदत्त संचय संबंधी दावों की जांच में धारा ६ में उल्लिखित प्राधिकारी के अधिकारों से सम्बद्ध विषय,

(च) श्रम कल्याण आयुक्त, अपर श्रम कल्याण आयुक्त, उप-श्रम कल्याण आयुक्त और निरीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें;

(छ) शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, परिषद् के अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त किय जायें;

(ज) निधि का प्रबन्ध करने के लिये किये गये व्यय का भुगतान करने की प्रक्रिया;

(झ) निरीक्षकों के कर्त्तव्य तथा अधिकार:

(ञ) परिषद् के अधिकारों तथा कृत्यों का श्रम कल्याण आयुक्त, अपर या उप-श्रम कल्याण आयुक्त को प्रतिनिधान तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्ध जिनके अधीन रहते हुए, उनके द्वारा अधिकारों का प्रयोग या कृत्यों का सम्पादन किया जा सके ;

(ट) इस अधिनियम के अधीन रक्खे जाने वाले रजिस्टर तथा अभिलेख;

(ठ) वार्षिक लेखा विवरण-पत्र और निति से वित्तपोषित कार्यों के प्रतिवेदन का प्रकाशन;

(ड) कोई अन्य विषय जिसे अधिनियम के अधीन नियत किया जाना हो अथवा नियत किया जाय।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसक एक सत्र म या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रक्खे जायेंगे, और जब तक कि राज्य सरकार द्वारा कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, एसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल क दोनों सदन करन के लिय सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों में पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

विनियम

२६--(१) परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बना सकती है ।

(२) विशेष रूप से और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिये विनियम बना सकती है--

(क) परिषद् के कार्य संचालन से सम्बद्ध प्रक्रिया

(ख) अदत्त संचयों के संबंध में दावे आमंत्रित करने के लिये नोटिसें प्रकाशित करन की रीति;

(ग) श्रम कल्याण आयुक्त, अपर श्रम कल्याण आयुक्त, उप श्रम कल्याण आयुक्त तथा निरीक्षकों को छोड़कर, परिषद् के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति तथा शर्तें ; और

(घ) कोई अन्य विषय जिसकी व्यवस्था विनियम द्वारा की जानी हो अथवा की जा सकती हो।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३७, १९५६ का निरसन

२७--उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९५६ निरस्त किया जाता है ।

## उद्देश्य और कारण

वर्ष १९५६ में उत्तर प्रदेश श्रमकल्याण निधि अधिनियम, १९५६ अधिनियमित किया गया था जिसमें औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण की प्रोन्नति के लिये किये जाने वाले कार्य-कलापों को वित्तपोषित करने के निमित्त एक श्रम कल्याण निधि स्थापित करन की व्यवस्था की गयी थी । यह अधिनियम उस दिनांक से प्रचलित होने वाला था जो सरकार द्वारा तदर्थ गजट में विज्ञापित किया जाता । किन्तु यह अधिनियम प्रचलित नहीं किया जा सका क्योंकि बाम्बे लेबर वेलफेयर फण्ड ऐक्ट, १९५३ के कुछ महत्वपूर्ण उपबन्धों की जो कि हमारे अधिनियम के उपबन्धों के समान थे, वैधता पर आपत्ति की गयी थी और यह मामला भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारधीन था । उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखकर उपर्युक्त बाम्बे ऐक्ट, १९६१ में संशोधन किया गया ।

(२) जांच करने पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा अपेक्षित संशोधनों के अतिरिक्त कुछ अन्य उपबन्धों में भी संशोधन करने की व्यवस्था प्रतीत हुई । वर्तमान अधिनियम में संशोधन करने के बजाय यह उचित और इष्टकर समझा गया कि उक्त विषय के कानून को निरस्त करते हुए एक नया अधिनियम बनाया जाय ।

३—प्रस्तावित श्रम कल्याण निधि की पूंजी श्रमिकों की अदत्त मजदूरी तथा उनसे वसूल किये गये अर्थ दण्ड की धनराशि आदि से सेवायोजकों के पास बिना किसी लाभकारी कार्य में उपयुक्त हुए पड़ी रहती है निर्मित की जायगी । निधि की पूंजी राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों, स्वैच्छिक अंशदानों, अन्य व्यक्तयों द्वारा दिये गये दानों और प्रस्तावित अधिनियम के अन्तर्गत संगठित की जाने वाली परिषद् द्वारा लिये गये ऋणों से भी अनुपूरित की जायेगी । निधि का उपयोग श्रमिकों के लाभार्थ विधेयक में निर्देशित रीति से किया जायगा ।

तदनुसार विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है ।

बनारसी दास,
श्रम मंत्री ।

## उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण विधेयक, १९६५ के सम्बन्ध में वित्तीय लेख ज्ञप

श्रमिकों को अदत्त मजदूरी अर्थ दण्ड आदि से एक श्रम कल्याण निधि स्थापित करने का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है । वर्ष १९६५ में उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९५६ राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किया गया था किन्तु उसको लागू नहीं किया गया क्योंकि बम्बई श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९६४ जिस पर कि हमारा अधिनियम बहुत अंश में आधारित था, के कुछ प्राविधानों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन थी जो अन्त में अंशतः स्वीकृत हो गई ।

२—श्रम मंत्रियों की १९६१ में हुई अनौपचारिक बैठक में दिये गये सुझाव के अनुसार श्रम कल्याण निधि स्थापित करने के प्रश्न पर फिर विचार किया गया है, और एक नया उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक विधान मंडल में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है । उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९६५ में संशोधन करने की अपेक्षा यह उचित समझा गया है कि एक नया अधिनियम ही बनाया जाय । नये अधिनियम के पारित हो जाने पर उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण अधिनियम, १९५६ निरस्त हो जायगा ।

३—नये अधिनियम को लागू करने के लिये, आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी । आरम्भ में श्रम विभाग के ही कुछ अधिकारियों को नियुक्त किये श्रम कल्याण आयुक्त, उप-श्रम कल्याण आयुक्त आदि का काम, अपने कार्य के अतिरिक्त दिया जा सकता है । इसी प्रकार कुछ क्षेत्रीय अधिकारी जैसे कारखाना निरीक्षक और श्रम निरीक्षकों को भी इसके प्रवर्तन क कार्य सौंपा जायगा फिर भी कार्यालय के लिये कुछ कर्मचारियों जैसे कार्यालय अधीक्षक अथवा हेड क्लर्क, लगभग १० नोटर ड्राफ्टर, टाइपिस्ट और एकाउन्टेंट की आवश्यकता होगी । आकस्मिक व्यय के लिये भी कुछ धन की आवश्यकता होगी । यह व्यय साधारणतया विधेयक के अन्तर्गत प्रस्तावित श्रम कल्याण निधि से वहन होना है परन्तु चूंकि प्रस्तावित परिषद् के पास अपना धन होने में कुछ समय लगेगा अतएव प्रारम्भ में सरकार को आवश्यक धन परिषद् को देना पड़ेगा । वर्ष १९६५–६६ में परिषद् को कर्मचारियों इत्यादि के ऊपर व्यय करने के लिये अनुमानतः २८,००० रुपये की आवश्यकता होगी ।

बनारसी दास,
श्रम मंत्री ।

## ज्ञाप

जिसमें उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९६५ में अन्तर्ग्रस्त विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान संबंध प्रस्थापनाओं को नष्ट किया गया है ।

१ खंड २ — इस खंड का उप-खंड (४) राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनके किसी अधिष्ठान में सेवायोजित होने से उक्त अधिष्ठान पर इस अधिनियम के उपबन्ध लागू हो जाय, नियत करे ।

२ खंड ३ — इस खंड के उप खंड (४) द्वारा राज्य सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह ऐसी रीति, जिसके अनुसार इस खंड के उप खंड (२) में निर्दिष्ट धन राशियां जमा की जायगी, नियत करे ।

३ खंड ४ — उप खंड (३) (ख) राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह सेवायोजकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या और रीति, जिसके अनुसार तथा शर्तें जिनके अधीन वे परिषद् में नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे, नियत करे

उप खंड (३) (ग) द्वारा राज्य सरकार को यह अधिकार दिय जा रहा है वह महिला सदस्यों को मिला कर स्वतंत्र सदस्यों की संख्या, जो परिषद् में उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किय जायेंगे, नियत करे ।

उप खंड (६) राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह परिषद् के सदस्यों को देय भत्ता, यदि कोई हो, नियत करे ।

४ खंड ६ — इस खंड का उपखंड (३) राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह परिषद् द्वारा जारी किये जाने वाले ऐसे नोटिस में, जिससे कमचारियों या उनके विधिक प्रतिनिधियों से कोई ऐसा भुगतान करने के लिये दावे आमंत्रित किये जायेंगे जो परिषद् को भुगतान किये गये अदत्त संत्रय में से उनको देय हो उल्लेख किये जाने वाले ब्योरे, नियत कर ।

उप खंड (४) (घ) परिषद् को यह अधिकार देता है कि वह ऐसी रीति जिसके अनुसार प्रस्तावित उपधारा (३) के अधीन नोटिस प्रकाशित की जा सके, नियत करे ।

उप खंड ७ (ग) द्वारा राज्य सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह एस विषय जिनक संबंध में प्रस्तावित उप धारा (६) क अधीन प्रस्तुत किये गये किसी दावे का निर्णय करने वाले सक्षम अधिकारी को उक्त दावे की सुनवाई करते समय वही अधिकार हो जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी दीवानी न्यायालय में निहित हो, नियत करे ।

५ खंड ८ — उप खंड (३) परिषद् को यह अधिकार देता है कि यह राज्य सरकार के अनुमोदन स, एक आदेश द्वारा इस अधिनियम क अधीन श्रम कल्याण आयुक्त क एस अधिकारों और कृत्यों को जिनका प्रयोग तथा सम्पादन इस उपखंड के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त अपर अथवा उप श्रम कल्याण आयुक्त द्वारा किया जा सके, निर्दिष्ट करे ।

६ खंड ९ — इस खंड का उप खंड (२) (ख) राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि यह उप खंड (२) (क) में निर्दिष्ट अधिकारों के अतिरिक्त, ऐसे अधिकारों को, जिनका प्रयोग उपखंड (१) के अधीन नियुक्त किये गये निरीक्षक द्वारा किया जा सके, नियत करे ।

७ खंड १० — राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह ऐसी शर्तें, जिनके अधीन रहते हुये परिषद् ऐसे अन्य अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त कर सके, जिन्हें वह अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दृढ़ता से पालन करने के लिये आवश्यक समझे, नियत करे ।

८ खंड ११ — जब कि इस खंड का उपखंड (क) राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह नियमों द्वारा श्रम कल्याण आयुक्त, अपर या उप श्रम कल्याण आयुक्त, और निरीक्षकों की नियुक्ति की रीति और सेवा की शर्तें जिनके अन्तर्गत वेतन-क्रम भी है, नियत करे; उपखंड (ख) परिषद् को यह अधिकार देता है कि वह खंड १० के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के संबंध में में विषयों को और विनियमों द्वारा अवधारित करे ।

९ खंड १२ — यह खंड राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह ऐसी रीति जिसके अनुसार निधि का प्रबन्ध तथा प्रशासन किया जा सके, नियत करे ।

१० खंड १४ — राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह ऐसी शर्तें जिनके अधीन रहते हुये, परिषद् अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित कोई ऋण ले सके, निश्चित करे ।

११ खंड १५ — इस खंड का उप खंड (१) राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह निधि के संबंध में परिषद् द्वारा रक्खे जाने वाली लेखा, बही तथा अन्य अभिलेखों को नियत करे ।

उप खंड (२) द्वारा राज्य सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह ऐसा प्रपत्र जिसमें और जिसके अनुसार परिषद् से लेखों का वार्षिक विवरण पत्र तैयार करने की अपेक्षा की जायगी, नियत करें ।

१२ खंड १६ — इस खंड का उपखंड (२) राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह ऐसी रीति, जिसके अनुसार परिषद् के अतिक्रमण पर, उसे पुनः संघटित किया जा सके, नियत करे ।

१३ खंड २५ — राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर उसके प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाये । इससे राज्य सरकार को यह भी अधिकार दिया जा रहा है कि वह विशेषतः इस खंड के उप खंड (२) में उल्लिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के संबंध में नियम बना सकती है ।

१५ खंड २६ — परिषद् को यह अधिकार देता है कि वह इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बनाये । परिषद् को यह भी अभिकार दिया जा रहा है कि यह विशेषतः इस धारा के उप खंड (२) में उल्लिखित समस्त या किसी भी विषयों के संबंध में विनियम बना सकती है ।

उपर्युक्त अधिकार सामान्य प्रकार के हैं ।

बनारसी दास,
श्रम मंत्री

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ४२ एल० ए०—१९६५—८६२ ।